राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 38वां दिवस संख्या 19

शुक्रवार,
दिनांक 9 जून, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, गृह, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, यातायात व नियुक्ति विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री ललितसिंह

प्रश्न संख्या 352

(अनुपस्थित)।

(कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। श्री प्रद्युम्नसिंह

उप-जिला धौलपुर के निर्माणाधीन सार्वजनिक मार्ग

353. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) धौलपुर उप-जिले में कौन-२ से सार्वजनिक मार्ग निर्माणाधीन हैं तथा इनके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

(ख) इन मार्गों में से कौन कौन से मार्गों पर पहले से प्रारम्भ हुआ कार्य रोक दिया गया है तथा क्यों ?

(ग) क्या मनिया से मरेना जाने वाली सड़क इन्हीं निर्माणाधीन मार्गों में से एक है ? यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कब रोका गया और अब कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना बहुत कोशिश के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हुई है इसलिये १५ दिन की मोहलत दी जाए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी दिन पहले प्रश्न पूछा है। काफी खेद का विषय है कि मंत्री महोदय अभी तक भी सूचना प्राप्त नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष : खेद का विषय है। समय दिया जाता है।

नेक्स्ट। श्री सूवालाल चौधरी।

प्रश्न संख्या 354

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केदारनाथ।

Page No.2

पाकिस्तान द्वारा राजस्थान में हमले और डकैती

355. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-
गतवर्ष में तथा इस वर्ष में पाकिस्तान ने राज्य सीमा पर कब कब हमले और डकैती की ? राज्य सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राज्य सीमा पर गत वर्ष में कुल 205 वारदातें तथा इस वर्ष (30 अप्रेल तक) 47 वारदातें हुई हैं। इनमें से सन् 1966 में 5 व सन् 1967 में एक डकैती की है।

राज्य सरकार ने सीमा पर अपराधों की रोकथाम के लिये जिला पुलिस एवं भारत सरकार ने बी. एस. एफ. तैनात कर रखी है जो सदैव ही सतर्क है और निरन्तर गश्त करती रहती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनको गश्त करने के लिये सरकार ने क्या क्या साधन दे रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मजलिसखां।

श्री भैरोंसिंह : जो डकैतियां हुई हैं उनमें किसी को गिरफ्तार भी किया गया है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (अश्रव्य)।

श्री भैरोंसिंह : उसमें एक डकैत से मुठभेड़ हुई और एक मारा गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक में मारा गया और दूसरे में 6-1-66 को डकैती हुई उसमें गांव वालों ने उनको घेर लिया और ऊंट को ले जा रहे थे उसको पकड़ लिया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न संख्या 357

श्री भैरोंसिंह : इन डकैतियों में राजस्थान की सीमा में अधिक से अधिक कितने फासलों में और कहां डकैती हुई और कितनी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूचना मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहें तो जगहों के नाम बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें नाचना से 5 मील दूरी पर जो डकैती हुई वह भी शामिल है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नाचना को पूछते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : नाचना से 5 मील दूरी पर जो डकैती हुई वह भी इसमें शामिल है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नाचना में कोई डकैती नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : नाचना से 5 मील दूर नाचना भवातड़ा रोड, उस पर कोई डाका पड़ा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कब ! मैंने सदन की मेज पर रखा है वह आप देख लें। मैंने उसमें जो जो डकैतियां हुई हैं वह बता दी हैं और जो कोई और हो तो आप बता दें।

Page No.3

श्री भैरोंसिंह : इस पर....

श्री दामोदरलाल व्यास : जो रोड रोलर की बात ग्राप कहते हैं....

श्री भैरोंसिंह : यह रोड रोलर की बात नहीं है । नाचना से 5 मील दूरी पर जो डकैती हुई उसकी बात कहता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पी. डब्ल्यू. डी. के कुछ लोग सड़क बना रहे थे तो कुछ लोग ग्राये ग्रौर उनको डराया धमकाया गया ।

श्री भैरोंसिंह : जब हमने यह कहा कि कुछ लोग ग्राए ग्रौर उन्होंने वहां पर काम करने वालों को सड़क बनाने से रोका तो उस समय ग्रापने यह कहा कि सड़क का कार्य रोकने के लिये नहीं ग्राये थे तो लूटने के लिये डकैती करने ग्राये थे । ग्राज ग्राप कहते हैं कि डराने धमकाने के लिये ग्राये थे । प्रेस नोट है । ग्रापने जो जवाब दिया वह कन्ट्राडिक्शन ग्रखबारों में निकला है । जब यह प्रश्न था कि उनको सड़क बनाने से रोका गया उस समय ग्रापने बताया कि वे डाका डालने की गर्ज से ग्राये थे ।

श्री ग्रध्यक्ष : वह कहां है ?

~~**श्री भैरोंसिंह** : यह ग्रापके पास होगा ।~~

श्री दामोदरलाल व्यास : 13 व 14-2-66 को 5....

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है । यह नाचना है । ग्रखबार का कटिंग मेरे पास है, ग्रगर ग्राप चाहें तो मैं ग्रापको पढ़कर सुना दूं । जब इतनी सी बात भी ग्रापको मालूम नहीं है तो पाकिस्तानी जो गड़बड़ी करेंगे वह कैसे मालूम होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रोड बनी ग्रौर लोगों को उस समय धमकाने की बात है उसका कन्ट्राडिक्शन है क्या ?

श्री भैरोंसिंह: कन्ट्राडिक्शन इस समय मेरे पास नहीं है, पर ग्रापने कन्ट्राडिक्ट किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसको फिर से देख लूंगा । मैं इसकी जानकारी कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह: तो ग्रापका मतलब यह है कि नाचना के पास डकैती नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो डकैतियां हुई हैं, उनकी सूचना मैंने सूची में दे दी है ।

श्री भैरोंसिंह: नाचना के पास जो इन्सिडेन्ट हुग्रा, वह ग्रापकी सूची में शामिल है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जानकारी मेरे पास ग्राई है उसके ग्रनुसार जो डकैतियां हुई हैं, उनकी लिस्ट सूची में दी है। नाचना के पास की मेरे पास यह जानकारी है कि नाचना के पास कुछ डकैत ऊंटों पर सवार होकर गये थे ग्रौर सड़क बनाने वालों को धमकी दी थी, यह मेरे पास है, इसके ग्रलावा ग्रौर कोई जानकारी मेरे पास नाचना के पास के बारे में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: धमकी किस प्रयोजन के लिये दी थी, क्या यह बता सकते हैं ?

Page No.4

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप देख लीजियेगा, इस सवाल के अन्दर यह जो फीगर्स दिये गये हैं जिन जिन तारीख के, उसके बाद की घटना है, अप्रेल के महीने तक के मैंने फीगर्स दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर इसमें नाना के पास का जो इन्सिडेन्स है, वह शामिल नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। जो सूचना मेरी जानकारी में है, वह दी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, आपने खुद ने कन्ट्राडिक्शन दिया है, इससे कन्ट्रोवर्सी हो जायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसकी पूरी जानकारी करके पूरी सूचना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मूल चन्द डागा।

(प्रश्न संख्या 356 नहीं पूछा गया)

(कृपया आगे देखिये)

पाली जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संस्था की मांगें

357. **श्री मूल चन्द डागा (पाली)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पाली जिले के सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कोई संस्था या शाखा है ? यदि हां, तो उसका क्या नाम है और उसके अध्यक्ष व मंत्री कौन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आज से कुछ समय पहले यह संस्था अपनी मांगों को लेकर पाली जिलाधीश के पास गई थी ? यदि हां, तो क्या मांगें लेकर कब गई थी ? उनकी मांगों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उनकी मांगों का निराकरण करने के लिये जिलाधीश महोदय, पाली ने क्या क्या कदम उठाये और नहीं, तो क्यों नहीं और उनकी कौन कौन सी मांगें आज तक पेन्डिग हैं और क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (मुख्य मंत्री की ओर से) : (1) जी हां, संस्था का नाम है "राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ शाखा, पाली" इस समय इस शाखा का कोई अध्यक्ष अथवा मंत्री नहीं है। इसके संयोजक श्री पूर्णसिंह जो जिलाधीश के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, हैं।

(2) उक्त शाखा के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ की पाली शाखा के प्रतिनिधियों के साथ ही एक मिला जुला मांग-पत्र तारीख 26-5-66 को प्रस्तुत किया था। सहायक कर्मचारी संघ ने अपनी ओर से अलग से कोई मांग-पत्र पेश नहीं किया। उक्त मांगों की सूची प्रश्न संख्या 6 मु. म. के उत्तर में सदन की मेज पर रख दी गई थी।

(3) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 6 मु. म. के उत्तर में विस्तार पूर्वक दे दिया गया था फिर भी इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिया जाता है :-

(i) वेतन आयोग नियुक्त करने की घोषणा करदी गई है। यह आयोग शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ii) मंहगाई भत्ते में 1-1-67 से वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते की दरें भारत सरकार की वर्तमान मंहगाई भत्ते की दरों से समकक्ष हो गई हैं।

(iii) मकान किराया भत्ता इस समय केवल उन प्रधान नगरों में नियुक्त कर्मचारियों को दिया जाता है जहां जनसंख्या और अन्य कारणों से मकान किराये अत्यन्त ऊंचे हैं। पाली जैसे कस्बे इस प्रकार के नगरों की गणना में नहीं आते। अतः पाली में स्थित राज्य कर्मचारियों को मकान भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

(iv) चयन वेतन श्रृंखलायें समाप्त की जाकर मूल वेतन श्रृंखलाओं में 1-4-66 से संशोधन कर दिया गया है जिसके कारण इन वेतन श्रृंखलाओं की उच्च सीमा बढ़ गई है। इन वेतन श्रृंखलाओं का लघु श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई प्रतिशत निर्धारित करने का कोई इरादा नहीं है इस समय उक्त संघ की कोई मांग विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेम्बर... प्रश्न संख्या 358

श्री माधोसिंह।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री मूल चन्द कटेवा।

झुंझुनू जिले में हुई चोरियों की बरामदगी

359. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झुंझुनू के सर्किल में कौन कौन से थाने हैं ?

(2) डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झुंझुनू ने 1 अप्रेल 1966 से 31 मार्च, 1967 तक किस किस थाने का कितनी कितनी बार दौरा किया है ?

(3) क्या यह सच है कि सर्किल के थाना पिलानी में दूसरे थानों से अपराधों की संख्या इस वर्ष में अधिक नहीं रही है बल्कि कम है ?

(4) क्या यह सच है कि सबसे अधिक दौरे पिलानी किये गये हैं ?

(5) अगर हां, तो किस लिये ?

(6) मौजूदा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झुंझुनू ने अपने झुंझुनू के कार्यकाल में किस किस थाने के क्षेत्र में हुई चोरियों में से कितनी कितनी चोरियों की अपने प्रयत्नों से बरामदगियां कीं ?

(7) अगर कोई भी बरामदगी नहीं की गई तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि आज भी बहुत सी ऐसी चोरियां हैं जिनका माल बरामद नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

Page No.6

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) पुलिस उप-अधीक्षक के सर्किल में 4 थाने हैं (1) मलसीसर, (2) चिड़ावा, (3) पिलानी, (4) झुंझुनू ।

(2) उप-अधीक्षक, पुलिस, झुंझुनू ने 1 अप्रेल, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक पिलानी में 39 बार, चिड़ावा 40 बार, और मलसीसर 30 बार दौरा किया। झुंझुनू उनका हैडक्वार्टर ही है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(6) उप-अधीक्षक, आरक्षी, झुंझुनू उनके सर्किल के 26 चोरी के मुकद्दमात की तफतीश में शरीक रहे जिनमें से 10 मुकद्दमात का माल उनकी हिकमत अमली से बरामद हुआ ।

(7) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

(8) झुंझुनू सर्किल में केवल 17 मुकद्दमात चोरियों के जेर तफतीश हैं और उनकी बरामदगी के प्रयत्न जारी हैं। माल बरामद न हो सकने के लिये किसी कर्मचारी को उत्तरदायी बनाने के कोई कारण नहीं हैं।

श्री मूलचन्द कटेवा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो मैंने पूछा है, इस प्रश्न के सन्दर्भ में आपके द्वारा मंत्री महोदय को एक सूचना देना चाहता हूं । यह डी वाई० एस० पी०, झुंझुनू है वह तस्कर व्यापार को बढ़ावा देता है । बार बार पिलानी जा कर, अपनी जीप दे कर गल्ले को लोहारू की तरफ निकालता है इसकी सतर्कता आयोग के पास शिकायतें की हैं । इसका ट्रान्सफर भी हो गया और ट्रान्सफर होने के बाद 10 दिन से व्यापारियों के झुण्ड घूम रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल तो आपने पूछा था कि कितने दौरे किये, कितनी चोरियां हुई कितनी चोरियों की तफतीश में शरीक हुए । अब आप तस्कर व्यापार का कह रहे हैं, यह इस प्रश्न में कहां से आगया, इसका जवाब कैसे दूं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न ।

श्री मूलचन्द कटेवा : चिड़ावा और पिलानी में अधिक दौरे करने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल चिड़ावा, पिलानी ही नहीं गये मैंने आपको बताया कि चिड़ावा, पिलानी और मलसीसर भी गये ।

श्री मूलचन्द कटेवा : चिड़ावा के कितने दौरे किये, पिलानी और मलसीसर के कितने दौरे किये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पिलानी के 39, चिड़ावा के 40 और मलसीसर के 30 और झुंझुनू उनका हैडक्वार्टर है ही ।

रावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्नकर्ता का चिड़ावा पिलानी में इतने दौरे करने में पूछने का मतलब यह था कि तस्कर व्यापार करने के उद्देश्य से इतने दौरे किये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने कहा, हो सकता है उनका यह मतलब, पर प्रश्न में जो पूछा गया उसका मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री मूलचन्द कटेवा : सीनियर ग्रॉफिसर को जिन मुकद्दमात में जाना चाहिये, उन्हीं मुकद्दमों के सिलसिले में गये या ग्रौर किन्हीं में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके नीचे के थानों का वे इन्स्पेक्शन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हिदायत दे सकते हैं, रहबरी कर सकते हैं। बहुत काम हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रर्ज करूंगा कि ग्रगर वे पूछना चाहते हैं कि सतर्कता ग्रायोग ने, एन्टी-करप्शन ने क्या कोई एन्क्वायरी की है तो इसके लिये ग्राप प्रश्न पूछिये, ग्रलग से मैं उसका जवाब दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तस्कर व्यापार चोरी नहीं, चोरी ग्रलग है, तस्कर व्यापार ग्रलग है।

श्री दामोदरलाल व्यास : चोरी से भी हीनियस ग्राफेन्स है तस्कर व्यापार।

श्री मूलचन्द कटेवा : ग्रध्यक्ष महोदय, उन्होंने इतने ग्रधिक दौरे किये हैं कि 9 दिन में एक दौरा बन जाता है, पिलानी के 39 ग्रौर चिड़ावा के 40 दौरे किये हैं, तस्कर व्यापार को प्रश्रय देने के लिये इतने दौरे किये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खयाल से दौरे कम किये हैं ग्रौर ज्यादा दौरे करने चाहिये।

श्री मूलचन्द कटेवा : किस सिलसिले में ये दौरे किये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने प्रश्न के उत्तर में कारण बताये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तफतीश के सिलसिले में गये या ग्रौर किसी सिलसिले मे ?

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट। शान्त, शान्त।

वार्ड बॉय पर पागलपन का इल्जाम

360. **श्री भैरोंसिंह** (किशन पोल, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15-12-66 को सवाई मानसिंह होस्पिटल के वार्ड बॉय, श्री मदनलाल को ग्रस्पताल के अधिकारियों द्वारा पागल करार देकर पागलखाने में बन्द करा दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मदनलाल को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी परन्तु कुछ ग्रधिकारियों की नाराजगी के कारण उसको पागल करार दिया गया ?

(3) क्या इस विषय में श्री मदनलाल ने कई बार शिकायतें भी कीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उप-मंत्री चिकित्सा (राव श्री धीर सिंह):

(1) जी नहीं। श्री मदनलाल वार्ड बॉय को दिनांक 16-12-66 को मानसिक चिकित्सालय, जयपुर में उनके मस्तिक की जांच कर, राय देने के लिये भेजा गया था, क्योंकि उसके बोलचाल का ढंग व व्यवहार पागलों जैसा प्रतीत हो रहा था। मानसिक चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा जांच किये जाने पर वास्तव में मानसिक रोग से पीड़ित पाया गया।

(2) जी नहीं। जांच से मानसिक बीमारी

(उप-मंत्री, चिकित्सा)
Schizophenia Reaction Parahoid type से पीड़ित पाया गया ।

(3) जी हां । शिकायतें कीं, परन्तु वे तथ्यहीन थीं । मदनलाल जब बीमारी से ठीक हो गया तो 18-2-67 को उसे वापिस ड्यूटी पर ले लिया है ।

श्री भैरोंसिह : इन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई ?

राव श्री धीरसिंह : यह शिकायतें डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज के यहां पेश की गई थीं, वह उनके अण्डर में नहीं था, उसका कन्ट्रोल सुपरिन्टेन्डेन्ट, एस.एम.एस. होस्पिटल के पास था, इसलिये उनको हिदायत कर दी कि उनके पास शिकायत करें ।

यह मेन्टल पेशेन्ट है और हमने 14-12-66 को रेफर कर दिया है ।

श्री भैरोंसिह : मेरा सवाल है कि जो शिकायतें की गई उनकी जांच किससे करवाई ?

राव श्री धीर सिंह : जांच करने की जरूरत ही नहीं थी ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इस प्रकार की शिकायत मैंने स्वयं ने चिकित्सा मंत्री को भेजी थी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): उसी शिकायत को मैंने सुपरिन्टेन्डेन्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल को भेज दिया और फेक्चुअल रिपोर्ट मंगाई । उससे पता लगा कि उसको मानसिक बीमारी है और उसके लिए उसको चिकित्सालय में भेज दिया गया । वह पहले अपना बाहर इलाज करवाता रहा, फिर उसने खुद ने दरख्वास्त देकर मेन्टल अस्पताल में दाखिल कराया और उसके बाद वहां उसका इलाज हुआ और ठीक हो गया, तब उनको वापस लिया ।

श्री भैरोंसिह : मेरा सवाल है कि मैंने जो शिकायत की थी, इस आदमी की रिप्रेजेन्टेशन को सरकार के पास भेजा, जांच कराने के लिये भेजा, तो यह बताइए कि सरकार ने जांच कराना उचित नहीं समझा और जांच कराई तो किसके द्वारा ? मैंने जब पत्र लिखा था कि अस्पताल के सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने नाराज होकर इस वार्ड बॉय को पागलखाने में भेज दिया है । तो इसकी जांच कराना आपने आवश्यक समझा ? यदि कराई तो किससे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मानसिक बीमारी है या नहीं इसकी जांच मानसिक चिकित्सालय के डाक्टरों से कराई । जब उन्होने सर्टिफाई किया कि मेन्टल बीमारी है ....

श्री भैरोंसिह : मैं अपनी बात के लिये कह रहा हूं । मैंने पत्र में लिखा था कि मेन्टल हास्पीटल वाले केवल एस. एम. एस. अस्पताल के डाक्टर को ओब्लाइज करने के लिए इस वार्ड बॉय को मेन्टल बीमारी बताई । वास्तविकता जबकि यह है कि मेन्टल बीमारी बिल्कुल नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जरूर शिकायत की थी लेकिन मेन्टल बीमारी है या नहीं, वह जांच तो मेन्टल अस्पताल के सबसे बड़े डाक्टर से कराई जाती है । तरीका तो यही होता है ।

श्री भैरोंसिंह: तरीका आपको याद नहीं है। गरीब आदमी आपके डाक्टरों के घरों में बरतन नहीं मांजेंगे इसलिए मेन्टल अस्पताल में दाखिल करा दिया और शिकायत करने पर आप जांच न करें, यह तरीका आपको मालूम है कि गरीबों को पागल बनाओ। अगर आप कोई कमिशन बिठायें तो मैं साबित करने को तैयार हूं मेरे पास टेप-रेकार्डेड स्टेटमेंट्स हैं मेन्टल अस्पताल के डाक्टरों के, जिनमें उन्होंने एडमिट किया है कि वह वार्ड बाय मेन्टली डिरेल्ड नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास: अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो मेन्टल अस्पताल के डाक्टरों के खिलाफ आज ही एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह: मैं सारे प्रमाण, दवाइयों के प्रमाण, टेलीफोन पर टेप रेकार्डेड स्टेटमेंट्स पेश करूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: बहुत अच्छा है। मेरे पास भी डाक्टर का स्टेटमेंट है, मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह: एक आदमी डाक्टर के घर में कपड़े नहीं धोए, तो डाक्टर नाराज हो जाय। इसलिए उसको पागल करार कराने के लिए मेन्टल होस्पिटल भेजा जाय, २ महीने तक वह आदमी मेन्टल अस्पताल में एन्ट्री कराता था, फिर मेरे पास आया, मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा और निवेदन किया कि इसकी जांच करवाएं, आज तक जांच नहीं हुई, अब देखा कि मामला बढ़ रहा है तो रीइन्स्टेट कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास: आपके पत्र पर मैंने तुरंत जांच करवाई लेकिन जांच करवाने का सिद्धांत यही था कि मेन्टल अस्पताल के जो सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं, उत्तर भारत में हाईएस्ट क्वालिफाइड हैं, इन मेन्टल बीमारियों में..........

श्री भैरोंसिंह: वह तो वैसे भी क्वालिफाइड हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: अगर आप मैटीरियल देते हैं टेपरिकार्डेड स्टेटमेंट या डाक्टरों का स्टेटमेंट तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा और उस पर एक्शन लूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

गंगापोल दरवाजे से रामगढ़ बन्ध सड़क की मरम्मत

361. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1965 में वर्षा के कारण शहर जयपुर में गंगापोल दरवाजे से रामगढ़ बान्ध जाने वाली सड़क टूट गई थी?

(2) क्या सरकार ने इस सड़क की आज तक कभी मरम्मत कराई? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जहां पर सड़क ठीक है वहां पर चार चार फीट मिट्टी की पर्त बिछ जाने के कारण यातायात बिल्कुल ठप्प हो रहा है? यदि हां, तो सरकार इस मिट्टी को उठवाने का तथा सड़क की मरम्मत कराने का विचार

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन):

(1) जी हां, सन् 1964 से।

(2) मरम्मत कराई है।

(3) यातायात को कठिनाई होती है। काम चल रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जहां आपका काम चल रहा है वहां रघुनाथ जमादार की दो बिस्वा जमीन पड़ी है और दो साल से काम बंद है, यह आपकी जानकारी में है ?

श्री अमीनुद्दीन : मेरी जानकारी में है कि पुल बन चुका है और सड़क के झगड़े की वजह से काम रुका हुआ था लेकिन अब काम चालू कर दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कब से ?

श्री अमीनुद्दीन: मेरी सूचना है कि काम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से): झगड़ा साफ हो गया ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: साफ नहीं हुआ। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जयपुर के साथ हरकत हो रही है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को खुद लेजाकर मौका दिखाया था। वहां रघुनाथ जमादार का दो बिस्वा जमीन का मामला है, राज्य सरकार उसको मुआवजा नहीं देना चाहती और इस कारण वह खेत का कब्जा नहीं देता। आप स्वयं चलकर मौका देखें। मैं नवाब साहब आपके साथ चलकर दिखा सकता हूं।

श्री अमीनुद्दीन : अगर ऐसी चीज है तो हो जायगी। मन्जूरी भी है, कान्ट्रेक्ट है, मालूम करके जो कुछ करना होगा फौरन करवा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : झगड़ा समाप्त हुआ या नहीं दो बिस्वा जमीन का, जिससे सड़क बनना शुरू हो जाय ?

श्री अमीनुद्दीन : यह तय हो जायगा अगर नहीं हुआ है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वहां की 75 प्रतिशत आबादी मुसलमान है, वहां ईदगाह पड़ता है।

श्री अमीनुद्दीन : अगर एक्वीजीशन का झगड़ा चल रहा है, तो कानूनी कार्यवाही चल रही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह गलत है। पोजीशन यह है कि कलेक्टर अवार्ड दे चुका है और राज्य सरकार मुआवजा नहीं देती है। इसलिए झगड़ा हुआ। मैंने कोशिश की, गांव वालों से पैसे इकट्ठे करके रुपये दिलवाएं ताकि राज्य सरकार वहां जाकर काम शुरू करे लेकिन ये नहीं सुनते।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार शीघ्र ध्यान दे और दो बिस्वा जमीन के झगड़े को निपटाए।

प्रश्न संख्या 362

श्री देवीदत्त गाड़िया। (अनुपस्थित)
(कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य।

भादरा-साहबा (जि० गंगानगर) सड़क का निर्माण कार्य

363. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) भादरा से साहबा (जिला गंगानगर में को जाने वाली रोड का निर्माण कार्य किस वर्ष चालू किया गया था ?

(2) इस सड़क की कुल लंबाई भादरा से साहबा तक कितने मील है ?

(3) इस सड़क का निर्माण कार्य किस सन् में कितना हुआ और आज तक कितने मील तक निर्माण कार्य हो चुका है और कितने मील का काम बाकी है ? जो बाकी है, वह कब तक पूरा किया जावेगा ?

(4) आज तक इस सड़क पर किस किस ठेकेदार ने ठेका लिया और किस किस ने मिलकर काम पूरा किया है ?

(5) इस सड़क पर तारकोल कब तक डाल दिया जावेगा ?

सावजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) यह काम सन् 1953 में शुरू किया गया था।

(2) 26 मील।

(3) मील नं० जीरो से 4/0, 1953 में। मील 19/0 से 26/0—1959 में पूरा हुआ है। आशा है, चौथी योजना में काम पूरा हो जावेगा।

(4) सूची प्रस्तुत है।

(5) डामर का काम योजना में शामिल नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : यह काम कब पूरा हो जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन : चौथी योजना में।

श्री हंसराज आर्य : क्या प्लान में है?

श्री अमीनुद्दीन : हां।

श्री हंसराज आर्य : इस समय किस ठेकेदार को काम दिया हुआ है ? काम चालू है या बंद ?

श्री अमीनुद्दीन : काम चालू भी है, अंडर प्रोग्रेस है।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के काम का टेन्डर फाइनल हो चुका है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। साल भर से काम बीच में ही पड़ा है। मंत्री महोदय बता दें कि कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन : मैं यकीन दिलाता हूं कि काम अंडर प्रोग्रेस है। मैं उसकी और जांच कराऊंगा जिससे यह काम कतई चालू हो जाय।

श्री हंसराज आर्य : इसको 15 साल हो गए।

(प्रश्न संख्या 364)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री विजय सिंह रावत

Page No.12

जवाहरलाल नेहरु औषधालय, अजमेर में रिजर्वेशन

365. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अजमेर, जवाहर लाल नेहरु औषधालय में बाहरी मरीजों के लिए उपयुक्त इलाज हेतु कोई विशेष रिजर्वेशन रखा गया ? अगर हां, तो कितना और उसकी क्या व्यवस्था है ?

उप-मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : जी नहीं । बाहरी मरीजों के लिए इलाज में इस प्रकार का कोई भेद भाव नहीं रखा जाता है।

श्री विजय सिंह रावत : मेरे प्रश्न को मंत्री महोदय ने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। मैंने पूछा है कि क्या यह सही है कि अजमेर जवाहरलाल नेहरु औषधालय में बाहरी मरीजों के लिए उपयुक्त इलाज हेतु कोई विशेष रिजर्वेशन रखा गया ? अगर हां, तो कितना और उसकी क्या व्यवस्था है ?

आउट-डोर मरीजों के लिए एक अलग सी सुविधा दी जाती है और वह जिले के बड़े अस्पताल में दी जाती है और उस बारे में मंत्री महोदय कहते हैं कि जी नहीं।

राव श्री धीरसिंह : आपका मतलब आउट-डोर मरीजों से है ?

श्री विजय सिंह रावत : हां ।

राव श्री धीरसिंह : आउट-डोर मरीजों के लिए कोई सुविधा…………

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने समझा था कि आपका मतलब बाहर से आने वाले याने रूरल एरियाज के मरीजों से है । आउट-डोर मरीजों के लिए जैसे और मरीज वहां हैं तो ये भी हैं । अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए··· ··

श्री विजय सिंह रावत : वहां पर दिक्कत यह है कि बाहरी मरीजों को एडमीशन नहीं मिलता है और उनकी सुविधाओं के बारे में जो राज्य सरकार के निर्देश हैं जिला अस्पतालों के लिए उनका पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरे कभी एम्बूलेन्स गाड़ी चाहिए जिसकी फीस 5) चार्ज करते हैं, वह सुविधा भी उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वाकई कन्फ्यूजन हुआ है।

राव श्री धीरसिंह: आउट-डोर पेशेन्ट्स जिनका 66 में इलाज किया गया है वे हैं 1337 ।

श्री अध्यक्षः रिजर्वेशन है या नहीं ?

राव श्री धीरसिंह: आउट-डोर के लिये वहां पर बाहर से आने वाले और शहर से आने वाले के लिये अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है। आउट-डोर का मतलब बाहर से आने वाले, चाहे शहर से आयें।

श्री विजयसिंह रावत: रूरल एरिया से आने वालों के लिये ।

राव श्री धीरसिंह: दोनों जगह से आते हैं । 1337 आउट पेशेन्ट्स का 66 में इलाज किया गया । एक साथ ही इलाज करते हैं ।

श्री अध्यक्षः श्री केसरीसिंह ।

वर्ष 1966 में रोड़वेज कर्मचारियों की हड़ताल

366. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या यातायात मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1966 में रोडवेज के कर्मचारियों ने मुकम्मिल हड़ताल की थी ? यदि हां, तो हड़ताल के कारण क्या थे ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि हड़ताल के दौरान जनता को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा था ?

(3) हड़ताल के दौरान सरकार ने जनता की सुविधा के लिये प्राइवेट बसों का प्रबन्ध क्यों नहीं किया ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन):– (1) यह सही नहीं है कि 1966 में रोडवेज के कर्मचारियों ने पूर्ण हड़ताल की थी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री केसरी सिंह : कोटा बूंदी के बीच 66 में गाड़ियां बन्द नहीं हुई क्या ?

श्री अमीनुद्दीन : पता नहीं ।

श्री केसरीसिंह : आप कहते हैं कि पता नहीं, लोगों को इतनी तकलीफात हुईं कि इस हड़ताल के बीच में लोगों को तीस तीस रुपये तांगे आदि सवारियों के लिये देने पड़े ।

श्री अमीनुद्दीन : वहां थोड़े पीरियड के लिये हड़ताल हुई होगी ।

श्री केसरीसिंह : थोड़े पीरियड के लिये हुई तो क्यों हुई ?

श्री अमीनुद्दीन : किस टाइम में हुई आप बतायें ?

श्री केसरीसिंह : मैं आपसे क्वश्चन पूछ रहा हूं और आप मुझ से पूछ रहे हैं। यह आपको जानकारी होनी चाहिये ।

श्री अमीनुद्दीन : आप ठीक नहीं बतायेंगे तो कैसे कहूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : थोड़े टाइम हड़ताल हुई तो कौन से टाइम हुई ? कौनसी तारीख को हड़ताल, हुई थोड़े टाइम के लिये ही ?

श्री अमीनुद्दीन : 72 घंटे, 24 घंटे। अलग अलग तारीख चाहते हैं तो वह भी बता देता हूं ।

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : शान्त । शान्त ।

यह नामुकम्मिल हड़ताल थी ।

श्री केसरीसिंह : कारण क्या था हड़ताल का ?

श्री अमीनुद्दीन : आप पूछते हैं तो बताता हूं ।

श्री केसरीसिंह : पूछ ही तो रहा हूं । आप फरमायें तो दरख्वास्त पेश करूं ?

श्री अध्यक्ष : नामुकम्मिल हड़ताल के लिये इसमें लिखा है । मुकम्मिल हड़ताल के लिये नहीं लिखा है ।

(श्री अध्यक्ष)
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता

367. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने का प्रश्न राज्य सरकार क्यों नहीं उठाती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध भाषा विभाग से है अतः सम्बन्धित मंत्री महोदय अपनी टर्न पर उत्तर देंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : यह क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : भाषा विभाग से इसका सम्बन्ध है शिक्षा विभाग से सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इससे मुझे क्या लेना देना।

राव श्री धीरसिंह : लेना देना यह है कि शिक्षा विभाग से पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत : भाषा मंत्री इसका उत्तर दें ।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : वे अपनी टर्न पर उत्तर दे देंगे ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : On a point of order Sir, ऐसे प्रश्न जो माननीय मंत्री से सम्बन्धित नहीं हैं तो प्रश्न सूची में लेने ही नहीं चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : होना तो यही चाहिये था कि अनुपयुक्त मंत्री के पास यह चला गया तो उपयुक्त मंत्री के पास अनुपयुक्त मंत्री को शीघ्रातिशीघ्र भेज देना चाहिये था।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अनुपयुक्त मंत्री ने झेला ही क्यों ?

राव श्री धीरसिंह : हमने रखा ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोक सभा की भी परम्परा यह रही है कि कोई प्रश्नकर्त्ता अनुपयुक्त मंत्री से प्रश्न पूछे तो सरकार का कर्त्तव्य यह है कि वह उपयुक्त मंत्री के पास ट्रान्सफर हो जाना चाहिये। पोर्टफोलियोज मंत्री मण्डल में बदलते रहते हैं। उसकी सूचना कभी बराबर होती है या नहीं आती है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि कोई प्रश्न केबिनेट मंत्रीमंडल में जाना चाहिये तो उसके उत्तर की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

तदुपरान्त प्रश्नकर्त्ता का यह प्रश्न महत्वपूर्ण है । मेरी सहानुभूति है ।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय स्थान ग्रहण..........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थानी भाषा एक समृद्ध भाषा है गद्य और पद्य

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय ध्यान······

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : का विस्तार ऐसा है कि संविधान के 14 वें अनुच्छेद के अनुसार इसको मान्यता दी जानी चाहिये। सरकार के नेता महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न आवश्यक है। भविष्य में इस ओर ढिले नहीं करनी चाहिए।

विद्युत मंत्री (श्री हरदेव जोशी) : माननीय सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिये माननीय सदस्या ने रोंगली एड्रेस किया इसको वे स्वयम् देखकर मंत्री महोदय से कान्टेक्ट कर सकती थीं। दो जगह स्कीन किया जा सकता था। वह स्वयम् देखती और असेम्बली सेक्रेटेरियेट में भी इसको देखा जाता। इसको माननीय शिक्षा मंत्री के पास भेजा तो वहां से दूसरे दिन सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया गया। इसका उत्तर सम्बन्धित मंत्री महोदय अपनी नेक्स्ट टर्न पर दे देंगे।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : शान्त।

इसका निराकरण मैं कर देता हूं। यह आवश्यक है कि माननीय सदस्य भी इस ओर ध्यान दें। यह भी आवश्यक है कि विधान सभा का सचिवालय त्रुटि न करे और दोनों ओर से त्रुटि हो जाती है तो यह आवश्यक है कि सरकार उसमें ढील न करें।

श्री नन्दलाल।

प्रश्न संख्या 368

श्री नन्दलाल (अनुपस्थित- कृपया आगे देखिये)

श्री मदनसिंह दांता : इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना चाहता था वह यह है ·······

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित कर दिया गया है। व्यवस्था दे दी गई है इस पर प्रश्न अब नहीं होंगे।

श्री मदनसिंह दांता : केवल क्लेरिफिकेशन है। थोड़ी व्यवस्था का भी प्रश्न है।

अब तक हमने यह देखा है कि कई दूसरे मंत्रियों के प्रश्नों का उत्तर यहां पर दूसरे मंत्री दे देते हैं उन पर प्रतिबन्ध होना चाहिये कि सम्बन्धित मंत्री ही जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : शान्त। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। मैंने तीनों दायित्वों का समन्वय किया है।

नेक्स्ट : श्री शंकरलाल।

प्रोसीक्यूशन का पुलिस एक्जीक्युटिव से पृथक्करण

369. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रोसीक्यूशन लाइन को पुलिस एक्जीक्यूटिव से पृथक् करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

(2) क्या यह सही है कि भूतकाल में इस दिशा में सरकार की तरफ से विचार किया गया था? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा?

(3) अब कब तक प्रोसीक्यूशन को एग्जीक्यूटिव से पृथक कर दिया जावेगा?

गृहमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) जी हां, यह मामला एक विशेष कमेटी

(श्री दामोदरलाल व्यास):
के विचाराधीन हैं, जिसके अध्यक्ष एडवोकेट जनरल हैं।

(2) कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(3) कमेटी की रिपोर्ट, प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कब से विचाराधीन है ?

श्री शंकरलाल : कब से विचाराधीन है और कमेटी कब बनायी गयी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कमेटी कब बनायी गयी यह फीगर मेरे पास नहीं है।

श्री शंकरलाल : कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काफी समय हो गया है। आपका सवाल आते ही शीघ्रता कर दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

बांदी कुई–गुढ़ा कटला सड़क पर तारकोल का कार्य

370. **श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बांदीकुई–गुढ़ा कटला रोड की तामीर कब मुकम्मिल हुई थी ?

(2) अब तक इस सड़क पर तारकोल न डाले जाने के क्या कारण हैं ?

(3) इस सड़क पर तारकोल डाले जाने की व्यवस्था कब तक करदी जायेगी ?

(4) क्या इस सड़क को गुढ़ा कटला से नारायणजी तक बढ़ाने की प्रारम्भिक योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) सन् 1965 में सड़क को मुकम्मिल किया था।

(2) डामर का काम योजना में मंजूर नहीं है।

(3) धन की कमी के सबब से निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(4) जी नहीं।

श्री बी० एन० जोशी : क्या माननीय मंत्री महोदय को जानकारी है, सड़क तारकोल के अभाव में बारिश से बरबाद होती है? यह सड़क तारकोल न होगी तो दो साल में बरबाद हो जावेगी ?

श्री अमीनुद्दीन : बहुतसी सड़कों की ऐसी ही हालत है।

श्री बी० एन० जोशी : हालत तो यह है फिर आप क्या करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्रश्नकर्ता।

श्री बी० एन० जोशी : ऐसी हालत बहुत सी सड़कों की है और सड़कें बरबाद हो रही हैं तो विभाग क्या विचार रखता है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह तो बहुत अच्छा रखता है। जितना हाउस रुपया दिलवा देगा वहां और लगवा देंगे।

निवाई में जच्चा खाना

371. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार के ध्यान में है कि कस्बा निवाई में जच्चा खाना नहीं होने से हर साल कई औरतों की मृत्यु होती है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए शीघ्र जच्चा खाना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह): (1) निवाई चिकित्सालय में हमेशा से एक ट्रेण्ड मिडवाइफ या नर्स दाई का पोस्टिंग रहा है। जो चिकित्सालय में आने वाले केसेज का जापा कराती है जहां जापा कराने का पूरा प्रबन्ध है। इस चिकित्सालय में आठ रोगों को शैयाओं का प्रबन्ध है। जापों की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

1964-7, 1965-6, 1966-8 और 1967-5 इन जापों में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि धनाभाव के कारण अलग से जच्चा खाना खोलने की कोई योजना नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी योजना थी पहले ?

राव श्री धीरसिंह : वह अभी तो नहीं थी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : कई जगहों के लिये विचाराधीन थी पहले। अगले वर्ष फिर विचार करेंगे। धनाभाव के कारण विचार नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

(प्रश्न संख्या 372)

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजय सिंह

उनियारा हाई स्कूल का मल्टी परपज स्कूल में परिवर्तन

373. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार उनियारा हाई स्कूल को मल्टी परपज स्कूल में परिणित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : जी नहीं। इस वर्ष के आय-व्ययक में नये स्कूल खोलने व स्कूलों को क्रमोन्नत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री शोभाराम

(प्रश्न संख्या 374)

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री महेन्द्रसिंह

ग्राम डीपरी, जिला कोटा में डाकुओं द्वारा चोरी एवं उनकी गिरफ्तारी

375. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपलदा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के पुलिस स्टेशन खातोली सर्किल के ग्राम डीपरी में दिनांक 22-12-66 को चोरी हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि चोरी के तत्काल बाद पुलिस को सूचना दे दी गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ दिनों बाद ही तीन डाकुओं को नीमोला के राजपूत व चांदा के कुछ जिम्मेदार आदमियों की मदद से पुलिस ने पकड़ा। यदि हां, तो क्या क्या सामान बरामद हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि उनमें से कुछ डाकुओं को जो उस समय फरार हो गये थे गिरफ्तार करने हेतु पुलिस ने कुछ दिनों बाद एक स्थान पर छापा मारा ?

(5) क्या यह सही है कि वहां पर डाकुओं और पुलिस में मुकाबला हुआ जिसमें डाकुओं द्वारा पुलिस के एक सिपाही के हाथ में चोट पहुंचाई गई और डाकू भाग गये ?

(6) क्या यह भी सही है कि उन पकड़े गये डाकुओं को भी छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) तारीख 22-12-66 को ग्राम डीपरी में कोई चोरी नहीं हुई। बल्कि 23-12-66 को हुई है।

(2) जी हां, पुलिस को इसकी इत्तिला 24-12-66 को छः बजे शाम मिली, जिस पर पुलिस तारीख 25-12-66 को सुबह ही वास्ते तफतीश मौके पर पहुंच गई।

(3) जी हां, यह सही है कि नीमोदा व चांदा के जिम्मेदार आदमियों को मदद से पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया जिनसे कोई माल मसरूका बरामद नहीं हुआ; परन्तु दो बिला लाइसेन्स की मजल लोडेड गन बरामद हुईं।

(4) जी हां।

(5) जी हां, लेकिन इस मुकाबले में 3 बदमाश भी पकड़े गये व सिर्फ 2 फरार हो गये।

(6) जी हां, उनको केवल चोरी के मुकद्मे में हस्ब दफा 169 जा० फौ० रिहा किया गया था परन्तु हथियारों का एवं पुलिस से मुकाबले के मुकद्मात उन पर चल रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : नम्बर 5 में आपने पूरा उत्तर नहीं दिया। दो फरार हुए। उन की मौजूदगी की इत्तिला पाकर पुलिस ने घेरा डालकर उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, पर उनमें डाकू एक पुलिसमैन का हाथ तोड़ कर भाग गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा जी हां, इस मुकाबले में 3 बदमाश भी पकड़े गये व सिर्फ दो फरार हो गये।

श्री महेन्द्रसिंह : जो फरार हो गये, उनको फिर से पुलिस ने दो तीन दिन

(श्री महेन्द्रसिंह)
बाद इन्फोर्मेशन मिलने पर कि वे गांव में मौजूद हैं, घेरा डाला, वहां पुलिस पहुंची। पर वहां पर पुलिस का मुकाबला करके वे भाग गये जिसमें एक पुलिस के सिपाही का हाथ तोड़ डाला। क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आई एम सोरी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी करके मैं बताऊंगा। मैं समझ गया आपकी बात।

श्री महेन्द्रसिंह : दो टोपीदार बन्दूकें बरामद की बताई, पर मैं फिर पूछना चाहता हूं कि उनके अलावा और भी चीजें बरामद की हैं और क्या क्या सामान बरामद किया यह भी बतायें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी ही इत्तिला है, और की तो इत्तिला मुझे नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : यह जो भी रिपोर्ट आई है, बिलकुल गलत आई है। एक सरिया भी जो नकब लगाने का है बरामद किया और तिजोरी तोड़ने का हथोड़ा बरामद किया, एक कुलड़ी थी जिसमें घी भी लाये थे वह बरामद की। इस प्रकार से इतना सामान और बरामद किया है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

नीमराना (अलवर) से नेशनल हाईवे तक सड़क का निर्माण

376. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला अलवर तहसील बहरोड़ में नीमराना से नेशनल हाईवे तक की एप्रोच रोड स्वीकृत है ? यदि हां, तो किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की गई है और इसका कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) जी हां। तारीख 13-3-67 को मंजूरी दी गई है। पिछले साल 837 का काम कराया गया है। धन की कमी के सबब से काम कब शुरू होगा, नहीं कहा जा सकता।

श्री अमीलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर मैं यह चैलेन्ज से कह सकता हूं कि एक पैसे का भी काम नहीं कराया गया है और अभी पंचायत समिति ने इसके बारे में तीन चार प्रस्ताव भिजवाये और निर्माण मंत्री महोदय पधारे थे उस वक्त पब्लिक के सामने ऐलान करके गये थे कि जल्दी से जल्दी बनवाई जावेगी, पर उसका कार्य अभी तक हुआ नहीं है। पूछने पर इत्तिला दी जाती है कि टेन्डर इन्वाइट कर रहे हैं। आपने फरमाया इतना काम हुआ है, यह गलत है। एक पैसे का भी कार्य नहीं हुआ है।

अब केवल यह जानना चाहूंगा कि क्या इसमें प्रोविजन है एप्रोच रोड बनाने का। यह पंचायत समिति को कनैक्ट करती है।

श्री अध्यक्ष : समझ गये आपके प्रश्न को।

श्री अमीनुद्दीन : मैं नोट ले लेता हूं जैसा आपने कहा कि इसका काम हुआ नहीं है। इसकी फौरन इन्क्वायरी करूंगा कि क्यों गलत इत्तिला दी गई है।

श्री रामकिशन (वैर) : काम कराया तो किसी ठेकेदार से कराया होगा, ठेका दिया होगा। टेण्डर मांगे होंगे। मंजूरी दी होगी, कब मंजूर किये टेण्डर। यह सब तो आप खुद ही देख लीजिये।

श्री अमीनुद्दीन : जरूर यह काम भी ठेकेदार का कराया हुआ होगा।

श्री अमीलाल यादव : कब टेण्डर इन्वाइट किये कौनसे ठेकेदार को दिया यह भी बतावें।

श्री अमीनुद्दीन : विभागीय काम भी हो सकता है। सवाल तो यह है कि पैसा लगा या नहीं। यह जानकारी कर के बता दूंगा, अगर नहीं लगा है तो जिम्मेदार आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसा वहां नहीं हुआ कोई काम। बिल्कुल नहीं हुआ है, खुद ने मैंने भी देखा है। मैं जानता हूं आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये। काम नहीं हुआ, इतना तो मैं भी कह सकता हूं।

श्री अमीलाल यादव : प्राइवेट ठेकेदार द्वारा यह काम कराया गया या डिपार्टमेन्ट के द्वारा ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने तो कहा था कि सारे सवाल की जांच करा ली जावेगी।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : इसका मतलब प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते समय जांच नहीं की थी।

श्री अध्यक्ष : काम शुरू हो गया इसकी जांच की, अब नहीं हुआ इस पर फिर जांच का प्रश्न पैदा हुआ है।

श्री मदनसिंह दांता : एक एक प्रश्न को सात सात टुकड़ों में करके जवाब दिया। पत्थर गया कि नहीं, डामर गया कि नहीं। डिपार्टमेन्ट से पूछो फिर एक एक के लिये।

श्री अध्यक्ष : शान्तम्।

श्री अमीलाल यादव : आप दुबारा इन्टीमेट करेंगे या क्या ?

श्री अध्यक्ष : सम्पूर्ण जानकारी इस बारे में आपको दे दी जावेगी।

श्री जसराज (भिनाय) : शान्तम् भी कोई व्यवस्था है क्या ?

गांवों में सहशिक्षा

377. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार यह अनुभव करती है कि शिक्षा स्तर ऊंचा रखने के लिये विशेषकर गांवों में सहशिक्षा नहीं होनी चाहिये ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : जी नहीं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि शिक्षा का स्तर ऊंचा रखने के लिये खासकर गांवों में सहशिक्षा नहीं होनी चाहिये ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : इससे नुकसान क्या है ?

राव श्री धीरसिंह : गांवों में प्राइमरी स्कूलों में को-एजुकेशन है और इसमें ऐसी व्यवस्था भी है कि 30 लड़कियां हो जाती हैं तो अलग स्कूल भी खोल देते हैं पर कम लड़कियां होने पर प्राइमरी स्कूलों में चालू नहीं किया जा सकता ।

श्री जसराज (भिनाय) : प्राइमरी स्कूल ही नहीं, हाई स्कूलों में भी है यह ।

शायद आपको पता नहीं है ।

राव श्री धीरसिंह : हाई स्कूल और मिडिल स्कूल स्तर पर अलग से प्रयत्न किया जाता है पर गांवों में लेडी टीचर आसानी से अवेलेबल नहीं होती, शहरों में हो जाती हैं इसलिये इसमें और भी डिफिकल्टी सामने आती है ।

श्री जसराज : प्रश्न यह है कि आप कह रहे थे कि यह केवल प्राथमिक स्कूलों में है पर मिडिल और हाई स्कूलों में भी है यह समस्या ।

श्री अध्यक्ष : यह तो मन्जूर कर लिया है इन्होंने भी ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या आश्वासन मिलेगा कि शहरों जैसी व्यवस्था गांवों में भी की जावेगी ?

राव श्री धीरसिंह : आज की परिस्थिति में दो डिफिकल्टीज हैं एक तो लेडी टीचर अवेलेबल नहीं हैं और दूसरा फण्ड नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत ।

श्री विजयसिंह रावत : जुलाई में स्कूलें खुलने वाली हैं शहरों में वे आ नहीं सकते और गांवों में अगर उनको एडमिशन नहीं मिलेगा तो ?

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिकल क्वेश्चन ।

राजस्थान में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

378. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—ताशकंद घोषणा के पश्चात राजस्थान में पाकिस्तानियों द्वारा कब कब कहां कहां घुसपैठ की गई और उसके परिणामस्वरूप किस किस की कितनी कितनी हानि हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : ताशकंद घोषणा के बाद राजस्थान राज्य सीमा पर सन् 1966 में 190 घुसपैठ की वारदातें व सन् 1967 में अप्रेल तक 47 वारदातें हुईं । वारदातों का विवरण तथा उनके परिणामस्वरूप क्षति आदि का विवरण बतलाते हुये तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने इस मामले की जांच की है और क्या यह पाया गया है कि इस प्रकार की घटना करने

(श्री भैरोंसिंह)

वालों को पाकिस्तान सरकार का संरक्षण प्राप्त था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच का परिणाम है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले ही कहा है कि यहां तो अन्दाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार क्या करती है उसको वहां जाकर थोड़े ही देख सकते हैं। हमारा अन्दाजा कुछ यही है कि वहां से उनको मदद मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : इस मदद के प्रश्न को लेकर क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को कभी निवेदन किया है कि वह पाकिस्तान सरकार को प्रोटेस्ट लेटर भेजे और इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकथाम करने की चेष्टा करे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी घटनायें राजस्थान में होती हैं उनकी भारत सरकार को सूचना भेजी जाती है और उसके आधार पर भारत सरकार अपने लेवल पर कार्यवाही करती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपको इसकी सूचना है या नहीं कि ताशकंद घोषणा के बाद 200 से अधिक वायोलेशन्स हुए हैं। ताशकंद एग्रिमेन्ट के बाद इसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ क्या एक्शन लिया इसकी सूचना राजस्थान सरकार को भेजी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार ने जो कार्यवाही की समय समय पर इन घटनाओं की सूचना हम भारत सरकार को देते रहे हैं और भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को प्रोटेस्ट लेटर या जो भी डिप्लोमेटिक तरीके हो सकते हैं वह काम में लाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने भारत सरकार को इस संबंध में सूचना दी कि यहां घटनायें हो रही है तो भारत सरकार ने किस स्तर पर क्या कार्यवाही की इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जानकारी है वही मैंने कही। मैं कोई हर वायोलेशन की या घटना की अलग अलग जानकारी तो देने से रहा। मैंने कहा कि जो डिप्लोमेटिक तरीके हैं उनको भारत सरकार ने काम में लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो रिप्रेजेन्टेशन किया है जिसके ऊपर आपने ध्यान आकर्षित किया है उसके बाद में भारत सरकार ने उन स्पेशल इन्सीडेन्ट्स के बारे में राजस्थान सरकार को बतलाया है कि किस प्रकार की कार्यवाही की है ? क्या आपने कोई स्पेसिफिक इन्सीडेन्ट को लेकर भारत सरकार का विशेष ध्यान खींचा है कि यह घटनायें बढ़ती जा रही हैं और इनको रोका जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कई दफा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : इसमें क्वश्चन यह होता है कि लाइफ एण्ड प्रोपर्टी का जो लॉस है उसको कम्पन्सेट करने के बारे में भारत सरकार को सूचना दी और भारत सरकार ने प्रोटेस्ट नोट भेज दिया, हाई लेवल

Page No.23

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर भेज दिया, या डिप्लोमेटिक ढंग से कार्यवाही कर ली। क्या इस सब के अलावा एकचुअली उस संबंध में क्या हुआ इस संबंध में कोई जानकारी राज्य सरकार को भारत सरकार ने भेजी है या राज्य सरकार ने कोई जानकारी की है क्यों कि प्रापर्टी और लाइफ के लॉस को कम्पन्सेट करने के बारे में अगर भारत सरकार ने कोई सूचना नहीं दी तो राज्य सरकार ने उस क्वश्चन को कैसे टेक-अप किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है। भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की यह उन्होंने पूछा कहां ?

श्री भैरोंसिंह : जब राज्य सरकार मानती है कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है तो क्या इण्टरनेशनल लॉ के अनुसार राजस्थान की सरकार पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार के मार्फत इसका क्लेम कर सकती है कि जिन लोगों की प्रोपर्टी का और लाइफ का लॉस हुआ है उस लॉस को कम्पन्सेट किया जाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा हो सकता है पाकिस्तान का हाथ हो। फिर रहा सवाल कि क्या कर सकते हैं यह अलग से प्रश्न है कि क्या एक्शन लिया भारत सरकार ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने कभी एक पैसा भी कम्पन्सेशन के रूप में दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

श्री भैरोंसिंह : फिर बता दें कि भारत सरकार को सूचना देने के अतिरिक्त राज्य सरकार ने लाइफ एण्ड प्रोपर्टी के लॉस के सिलसिले में क्या एक्शन लिया है ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि जो अन्य प्रश्न हैं वह $12\frac{1}{2}$ के बाद मेरा विश्वास है कि गृहमंत्री जी विभिन्न स्तर पर बात करेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे ही प्रश्न कैमेरा मीटिंग में ले लिये जायें तो अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह इतना इम्पॉरटेन्ट है कि हम नहीं चाहते कि इसमें राज्य सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। राजस्थान सरकार अपनी पोजीशन तो क्लियर करे। अब यह घटनायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान की सरकार कहती है कि बोर्डर का सारा काम भारत सरकार के हाथ में चला गया है और हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है। क्या इसका मतलब यह लगाया जाय कि जब बोर्डर का मामला राजस्थान सरकार के हाथ में था तो घटनायें कम होती थीं और जब भारत सरकार के हाथ में चला गया तो घटनायें ज्यादा होने लगी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कभी नहीं कहा कि राजस्थान की सीमा का मामला भारत सरकार के हाथ में है। आप पिछली बातों से इसको न जोड़ें। मैंने कहा कि भारत सरकार का बोर्डर का मामला है, दूसरी बातों से इसको नहीं मिलायें। बाकी जो घटनायें होती हैं डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड की मीटिंग में डिसकस होते हैं, इम्पॉरटेन्ट इन्सीडेन्ट्स गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया खुद टेक-अप करती है और हर घटना की सूचना उनको दी

(श्री दामोदरलाल व्यास)
जाती है और जिस मामले में भारत सरकार को एक्शन लेना होता है वह लेती है। अब फर्दर डिटेल्स चाहें तो मैं इस समय नहीं दे सकता ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इस लॉस के अगेन्स्ट में एक नया पैसा भी कम्पन्सेशन का नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है । मैं इसका जवाब नहीं दे सकता ।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): एक प्रश्न है क्या भारत सरकार को सूचना दिये बाद में क्या राज्य सरकार सोचती है कि वह घटनायें कम हो रही हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दिग्विजयसिह ।

एस० डी० ओ० कार्यालय टोंक में अतिरिक्त कलेक्टर का पद

379. **श्री दिग्विजयसिह** (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक एस० डी० ओ० कार्यालय टोंक में कार्य अधिक होने की वजह से एक अतिरिक्त कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो कब से और कितने समय के लिए ?

(2) क्या सरकार इस समय कार्य की अधिकता को देखते हुए एक एस० डी० ओ० को अतिरिक्त पोस्ट कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, अतिरिक्त कलेक्टर की नहीं, पर सहायक कलेक्टर की नियुक्ति की गई। यह पद माह 6 के लिये सृजन किया गया है जिसकी अवधि 18 जनवरी, सन् 1967 से 17 जुलाई, 1967 तक है।

(2) 6 माह समाप्त होने पर कार्य की स्थिति को देखते हुए आयन्दा सहायक कलेक्टर के पद को बढ़ाये जाने अथवा नहीं के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री सुवालाल ।

ग्राम हरनोदा आदि (तहसील दूदू) में मिडिल स्कूल

380. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम हरनोदा, रहसाना, सेवा (तहसील दूदू) में मिडिल स्कूल के लिये भवन पर्याप्त है ?

(2) क्या सरकार वहां पर सन् 67-68 में मिडिल स्कूल खोल सकेगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) और (2) राज्य सरकार का इस वर्ष कोई मिडिल स्कूल खोलने का विचार नहीं है ।

श्री सुवालाल चौधरी : राजस्थान में या जयपुर जिले में ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रद्युम्नसिंह ।

ग्राम बरेह के प्राथमिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु जन सहयोग

381. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजाखेड़ा तहसील के बरेह ग्राम में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की डिस्पेन्सरी के भवन के निर्माण के लिये जनता द्वारा दस हजार रुपये कब जमा किये गये ?

(2) इस दस हजार रुपये की राशि का उपयोग करके यह भवन अब तक क्यों नहीं बनाया गया ? अब यह भवन कब तक बन कर पूरा होने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : (1) दिनांक 19-12-63 को ग्राम बरेह की जनता ने 10,000) जमा कराया है ।

(2) भवन बनवाने का कार्य विकास अधिकारी द्वारा होता है अत: विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजाखेड़ा को कार्य शीघ्र चालू किये जाने को लिख दिया गया है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 380 के प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया कृपया उसका उत्तर दिलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के बाद दे देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आपके विभाग के द्वारा इस प्रकार के भवन निर्माण के लिए कितने धन की स्वीकृति दी जाती है ?

राव श्री धीरसिंह : विभाग द्वारा कोई रकम नहीं दी गयी है । 10,000) रु० पब्लिक का दिया हुआ है । उसी में उस नक्शे को हमने कम कर दिया है । वैसे नक्शा बड़ा होता है लेकिन आपकी सहूलियत के लिए और हमारे पास पैसे की कमी थी इसलिए नक्शे को 10,000) रु० तक का बनवा दिया गया है । 10,000) रु० पंचायत समिति के पास हैं । वह काम 63 से अब तक नहीं करा रहे हैं, उनको रिमाइन्डर दे दिया गया है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं काम चालू हो रहा है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने पता लगाया कि इसका काम क्यों नहीं चालू हुआ है ?

राव श्री धीरसिंह : चीफ मेडिकल ऑफिसर, धौलपुर ने भी रिमाइन्डर्स दिये हैं और विकास अधिकारी इरेगुलेरिटी कर रहा है या पंचायत समिति कर रही है उसकी जांच विकास विभाग करेगा ।

(12 मध्यान्ह)

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कहा कि दस हजार का प्लान किया है और उसको छोटा करने के लिए यहां आपने अभी कहा है । तो जिस वक्त दस हजार जमा हुए थे उस समय सरकार की तरफ से चालीस हजार देने का प्रावधान था, अब आप उसे छोटा करके दस हजार कर रहे हैं ····

राव श्री धीरसिंह : आप समझे नहीं हैं। चालीस हजार रुपये तो हैल्थ सेन्टर के लिए दिए गए थे। हैल्थ सेंटर राजाखेड़ा में खोला गया है इसलिए डिस्पेंसरी को वहेर में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसका भवन बनाने के लिए दस हजार रुपया दिया गया है और उसका नक्शा, डिस्पेंसरी का नक्शा छोटा कर दिया गया है ताकि वह दस हजार में बन सके। वह पैसा पंचायत समिति के पास जमा है, अब यह उनका काम है कि इसको पूरा करावें। फिर भी यहां से रिमाइन्डर कर दिया गया है कि 63 से रुपया लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं काम को पूरा कराते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहेर की डिस्पेंसरी के साथ साथ राजाखेड़ा में प्राइमरी हैल्थ सेंटर भी नहीं बना है।

राव श्री धीरसिंह : सब-सेंटर के लिए अलग से विकास विभाग को दस हजार रुपया दिया गया है और दस हजार रुपया पब्लिक का जमा है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूवालाल। प्रश्न सं० 380 के सम्बन्ध में एक प्रश्न।

श्री सुवालाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा यह था कि मिडिल स्कूल कहीं पर भी नही खोलने की जो आपकी योजना है तो वह सारे राजस्थान के लिए है या जयपुर के लिए ही है ?

राव श्री धीरसिंह : यहां तो सारे राजस्थान की ही बात होती है, जिले की नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य। प्रश्न सं० 383।

गंगानगर जिले में सड़क निर्माण

382. **श्री हंसराज आर्य (भादरा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गंगानगर जिले में किस किस स्थान पर कहां से कहां के लिए सड़कों का निर्माण कार्य चालू है ?

(2) जिन सड़कों का कार्य चालू है या जो सड़कें किसी कारण से अधूरी पड़ी हुई हैं उनको कब तक पूरा किया जायेगा ?

(3) जिन सड़कों का कार्य चालू है उनमें कहां कहां पर कंकरीट की जा रही है तथा कहां कहां पर डामर की बनाई जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण पन्द्रह दिन की मोहलत और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

श्री हंसराज आर्य : कब तक सूचना प्राप्त हो जाएगी ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : मनोहरसिंह मेहता। स्थगित प्रश्न में से। प्रश्न सं० 211।

भीलवाड़ा-बिजोलियां सड़क को डामर सड़क बनाने का कार्य

211. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा से बिजोलियां तक की

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
सड़क जो लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व बनी थी और जिस पर पत्थर की खानों के कारण भारी ट्रक्स काफी तादाद में चलते हैं और जो सड़क सबसे अधिक आमदनी सरकार को दे रही है, पूरी की पूरी डामर की क्यों नहीं बन रही है ?

(2) क्या इस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी डामर की बनाने की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) केवल 5 मील के टुकड़े को छोड़कर डामर करने की मंजूरी दे दी गई है।

(2) विचाराधीन है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, सड़क--तीन पंचवर्षीय योजनायें तो पूरी देख चुकी है और चौथी देख रही है और इतनी इसमें मोटरें जाती हैं कि भीलवाड़ा-चित्तौड़ जिले में किसी भी सड़क पर इतनी मोटरें नहीं जाती हैं जितनी इस सड़क पर मोटरें चलती हैं। यहां पर एक एक बलांत के बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, अगर किसी गर्भवती स्त्री को........

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि वहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा मोटरें जाती हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : अभी तो गड्ढों की हालत के बारे में मालूम नहीं है लेकिन यह हिदायत कर दी गई है कि कोई गड्ढा सड़क के बीच में न रहे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं माननीय मंत्री महोदय से और अध्यक्ष महोदय आपसे प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके आप स्वयं वहां पर चल कर देखिए कि कितने गड्ढे हैं।

श्री अध्यक्ष : गड्ढे देखना अध्यक्ष का काम नहीं है, यह काम मंत्री महोदय का है।

श्री नथमल चोहला। स्थगित प्रश्न में से प्रश्न सं० 189।

सीकर-बीकानेर नेशनल हाईवे का निर्माण

189. **श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सीकर से बीकानेर नेशनल हाईवे को विभिन्न शहरों से जोड़ने हेतु जो सड़क के निर्माण कार्य होने हैं उनके सम्पूर्ण न होने से यातायात में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को शीघ्र पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री अमीनुद्दीन, सा० नि० मंत्री अपने कागजात सम्भालते रहे)

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रश्नों (189 और 208) पर जानकारी प्राप्त नहीं होने से मंत्री महोदय की तरफ से निवेदन किया गया है कि इनको स्थगित किया जाय। इसलिए इसे भी स्थगित किया जाता है।

श्री अमीनुद्दीन : इस प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन......

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है आपकी तरफ से।

श्री अमीनुद्दीन : जो हुकुम।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न 372 है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मंगलवाड़-सादड़ी सड़क निर्माण कार्य

352. श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मंगलवाड़ चौराहे से बड़ी सादड़ी वाया डूंगला तक की सड़क का निर्माण कब तक होने की आशा है?

उत्तर : मंगलवाड़ से डूंगला का हिस्सा तीसरी योजना में मंजूर किया गया है उम्मीद है चौथी योजना में पूरा हो जावेगा बाकी हिस्सा योजना में शामिल नहीं है लिहाजा कब तक पूरा होगा कहा जाना मुमकिन नहीं है।

चिकित्सालय, दूदू का भवन निर्माण

354. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दूदू मुख्यालय पंचायत समिति पर सरकार की योजना सन् 67-68 में चिकित्सालय खोलने की है या नहीं?

(2) दूदू में चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु श्री सुवालाल पांचूलाल द्वारा दान दिया जाने को सरकार को लिखा गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सन् 1967-68 में नये चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां, परन्तु धन के अभाव के कारण एवं नारायना-मौजमाबाद में राजकीय चिकित्सालय व बिछून में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने के कारण फिलहाल राज्य सरकार चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं रखती।

डीग-कामां-पहाड़ी-बीवा सड़क की मरम्मत

356. श्री मजलिस खां (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि डीग-कामां-पहाड़ी और बीवा रोड जगह जगह इतनी शिकस्ता हालत में हो चुकी है कि यदि उसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो सरकार को उसका नये सिरे से निर्माण कराना होगा? और उस पर काफी लागत आयेगी। क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

कामां की तरफ से मील 16 व 17 की हालत अच्छी नहीं है। और इसकी मरम्मत विचाराधीन है।

उमेदपुर-हरजी-मंगावर सड़क का निर्माण

358. श्री माधोसिंह (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री माधोसिंह)

(1) उमेदपुर (ग्राहोर तहसील) से गांव हरजी होती हुई मंगादर जो सड़क बनाई जाने वाली है उसका कार्य चालू क्यों नहीं किया गया है ?

(2) उमेदपुर और हरजी के बीच नदी पर पुल का कार्य भी चालू क्यों नहीं किया गया ?

(3) इस सड़क व पुल का काम कब तक चालू हो जावेगा ?

उत्तर

(1) यह काम योजना में शामिल नहीं है।

(2) पुल की मंजूरी योजना में नहीं है।

(3) सवाल नहीं उठता।

कोटा डिवीजन में इन्जीनियरिंग कॉलेज

362. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या शिक्षा विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा डिवीजन में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने का सरकार द्वारा निर्णय किया गया है ?

(2) क्या आगामी सत्र से कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

सवाई माधोपुर जिले में चोरियां एवं उनकी बरामदगी

364. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में सन् 1965 से मार्च, 1967 तक कितनी चोरियां हुई हैं व किस 2 तहसील में कितनी कितनी हुई हैं ?

(2) इन चोरियों में कितने 2 का माल असबाब चोरी गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) उपरोक्त चोरियों में से अब तक कितनी बरामद की गई हैं ?

(4) उपरोक्त चोरियां होने के क्या कारण हैं और उन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) सन् 1965 से अप्रेल सन् 1967 तक कुल 498 चोरी की घटनायें हुई। मानचित्र में घटनाओं का तहसीलवार उल्लेख है व संलग्न कर दिया गया है।

(2) सन् 1965 में 1,23,245)70 पै०, सन् 1966 में 2,72,523) 67 पै० और सन् 1967 में अप्रेल तक 4,132)80 पै० का माल चोरी गया है।

(3) सन् 1965 से अप्रेल, 1967 तक 201 चोरियां पकड़ी गई और चालान पेश किये गये हैं।

(4) अपराध वृद्धि के प्रमुख कारण वर्षा न होने से फसलों का नष्ट होना, अन्नाभाव, कीमतों का बढ़ना, औद्योगीकरण है।

(श्री श्रवणलाल)

पुलिस ने अपराध चैक करने के हर सम्भव कदम उठाये हैं और धारा 109/110 जा० फो० के अन्तर्गत जो बदमाश जरायम करने के आदि हैं अथवा संदिग्ध चाल-चलन के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही कराई जाती है एवं गश्त, नाकाबन्दी और बदमाश लोगों की निगरानी कर जरायम को काबू में किया जाता रहा है।

(सूची विस्तृत होने से राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जलवाड़ा नाहरगढ़ (कोटा) बस सर्विस

368. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले में बारां में जलवाड़ा नाहरगढ़ के लिये बस सर्विस है ? यदि हां, तो बसें लगातार क्यों नहीं आती जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस लाइन पर केवल मात्र कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को ही बस परमिट मिला हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा एकाधिकार क्यों है ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की बसों को सरकार ने सीज कर रखा है ?

(4) क्या सरकार ने यातायात व जन सुविधा की दृष्टि से इस मार्ग पर और बसें चलाने के लिये नये परमिट देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो कब तक इस मार्ग पर बसें चालू हो जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां, है। कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को इस मार्ग का परमिट मिला हुआ है। अब बसें लगातार आ जा रही हैं।

(2) यह सत्य है। परन्तु एकाधिकार की बात सत्य नहीं है।

(3) यह सही है कि कुछ बसें सीज (Seize) कर रखी हैं।

(4) अब कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की बसें नियमित रूप से चल रही हैं। अतः ऐसा कोई प्रस्ताव तुरन्त विचाराधीन नहीं है।

अलवर-आड़ापारा-हाजीपुर सड़क निर्माण

372. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर तहसील में किले के पीछे अलवर शहर से आड़ापारा होकर इन्दोकर, हाजीपुर आदि ग्रामों को जाने के लिए बीच में एक छोटी घाटी पड़ती है जिसमें कोई सड़क नहीं बनी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि यह रास्ता नित्य प्रति अलवर शहर में दूध एवं लकड़ियां लाने के लिए सैकड़ों मजदूरों और किसानों द्वारा इस्तेमाल होता है ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क न होने के कारण मजदूरों और ग्रामवासियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तथा बैलगाड़ियां और ट्रक इस घाटी में से निकल नहीं सकते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम ढढ़ीकर ढाणी, हाजीपुर, लपाला, मंगलवास आदि के किसानों को इस सड़क के अभाव में 5-6 मील का चक्कर लगाकर अलवर शहर में आना पड़ता है ?

(5) क्या सरकार आडापारे से इस घाटी के पश्चिमी छोर तक सड़क बनाने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि एक बार इस सड़क का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण में लागत का अनुमान क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

(5) यह काम योजना में शामिल नहीं है ।

(6) जी नहीं ।

जयपुर, जोधपुर और उदयपुर डिवीजनों के मार्गों का राष्ट्रीयकरण

374. श्री शोभाराम (रामगढ़) । क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डिवीजन के मुख्य मार्गों का कई वर्ष पूर्व राष्ट्रीयकरण हो चुका है ?

(2) क्या जोधपुर और उदयपुर डिवीजनों में सभी मुख्य मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है ? यदि नहीं तो कितने मार्गों का होना शेष है और उनका राष्ट्रीयकरण कब तक हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

12·05 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

सेवा निवृति काल में आई० ए० एस० एवं आई० पी० एल० को भी शामिल करने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव ।

श्री अध्यक्ष : 58 से 55 वर्ष की आयु कर देने के निर्णय में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० को शामिल न करने से सम्बन्धित विषय पर श्री रामकिशन, श्री भैरोंसिंह एवं श्री रामानन्द अग्रवाल ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं । मैं समझता हूं कि यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है कि इस पर बहस करने के लिए इन प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान की जाय परन्तु इस स्थिति का स्पष्टीकरण हेतु यह उपयुक्त होगा कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सुविधानुसार एक वक्तव्य दें ।

(श्री अध्यक्ष)

राशन में अनाज का कोटा बढ़ाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव।

कुशलगढ़, बागीडोरा, गढ़ी आदि क्षेत्रों में अनाज के राशन के कोटा में वृद्धि करने सम्बन्धी श्री हीराभाई ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं किन्तु मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

अलवर नगरपरिषद् की वित्तीय स्थिति सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव।

अलवर नगरपरिषद् की वित्तीय स्थिति खराब हो जाने के सम्बन्ध में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता व श्री रामानन्द अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं होने के कारण मैं इस पर अपनी अनुमति नहीं देता। परन्तु मैं चाहूंगा कि स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए मंत्री महोदय अलग से एक वक्तव्य दें।

श्री भरोंसिह: अध्यक्ष महोदय, आयु सम्बन्धी जो एडजोर्नमेंट मोशन

श्री दामोदरलाल व्यास: कल स्टेटमेंट दे दिया जायगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम रघुराजपुरा, जिला टोंक के श्री रघुनाथ की पुत्री के अपहरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): सुनाई नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7-10-66 को श्री रघुनाथ, निवासी रघुराजपुरा ने थाना नगर पर रिपोर्ट की कि तारीख 6-10-66 को जब वह छीतर, शंकर, धन्ना, मुसम्मात जग्गी, व मुसम्मात बदाम तथा फूला मेला, नेनवा से, देखने गांव आ रहे थे तब जेल के पास आते ही मीनारों के पास श्री रामचन्द्र, जगन्नाथ, गोपाल, किशनलाल, शंकरलाल काकरान ने, जो लाठियों से सुसज्जित थे, हमला किया व मुसम्मात जग्गी को जबरन उड़ाकर ले गये। मना करने पर भी मुलजिमान ने मारपीट की। मारपीट में मुसम्मात बदाम की कनकती टूट पड़ी, उसे भी उड़ाकर ले गये। इस सूचना पर मुकद्दमा नं० 30, हस्ब दफा 366/379/323/341/147 दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। छीतर को, जिसके चोटें आई थीं, तुरन्त डॉक्टर इलाज के लिए भेजा गया।

तफतीश से विदित हुआ कि मुसम्मात जग्गी, शंकर की शादी-शुदा औरत है। इसकी उम्र 23-24 वर्ष है व उसका बाप रघुनाथ (मुस्तीगस) उसको शंकर के साथ न भेजकर किसी अन्य जगह नाते देना चाहता था, इसलिए इसका पति व व अन्य मुलजिमान पकड़ कर ले गये। दिनांक 20-10-66 को इस मुकद्दमे में फाइनल रिपोर्ट अदम बकुआ जुर्म दे दी गई थी।

(श्री दामोदर लाल व्यास)

दिनांक 1-1-67 को फरियादी द्वारा शिकायत करने पर पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा पुनः दूसरे थानेदार श्री मंजूरअली द्वारा तफतीश शुरू करने के आदेश दिये गये। दौरान तफतीश रामचन्द्र व रामनिवास को 10-11-66 को गिरफ्तार भी किया गया व अन्य गवाहों से पूछताछ की गई। दिनांक 12-11-66 को मुलजिम रामचन्द्र ने बताया कि जग्गी शंकर की विवाहिता औरत है, इसलिए वे उसको ले गये थे किन्तु उसे भी जग्गी का वर्तमान पता मालूम नहीं। मुलजिम ने कनकती के बाबत भी सूचना दी किन्तु कनकती बरामद नहीं कराई। जो 5 मुलजिमान दौरान तफतीश गिरफ्तार किये गये थे। वे बाद में अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये। दिनांक 22-11-66 को मुकद्दमे में मुलजिमान की शनाख्तगी का प्रबन्ध किया गया किन्तु शनाख्तगी नहीं हो सकी। इस मामले में मुसम्मात जग्गी व शंकर से तफतीश करने का प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु मुसम्मात जग्गी का पता नहीं चल रहा है।

इस मामले में तुरन्त गवाहान के बयान ले लेने व मुसम्मात जग्गी को तलाश करने और तफतीश समाप्त करने के लिए आवश्यक हिदायत सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पुलिस को देदी गई है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक जग्गी का प्रश्न है जहां इस वक्त वह है इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है उसके बावजूद भी वहां के थानेदार उसको बरामद करने में बिल्कुल भी सतर्क नहीं है और मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय सरपंच ने उन लोगों से जो लोग उड़ाकर ले गए थे, उनसे दो हजार रुपये ले लिए हैं और इस प्रकार उस मुकद्दमे को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ में मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आपके पास जब 6-10-66 को इसकी सूचना दे दी गई थी तो भी पुलिस ने 7-6-67 तक भी कार्यवाही नहीं की और आज भी उसकी स्थिति यह है कि, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि अदालत के अन्दर उन मुलजिमान को पेश नहीं किया गया अभी तक, और उस मुकद्दमे को, ठेठ थानेदार से लेकर एस० पी० तक इसके अन्दर इन्ट्रेस्टेड हो रहे हैं और उसको किसी तरह से रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सही तरीके से इसकी जांच करायें।

जैसा कि आपने फरमाया कि जग्गी शादीशुदा औरत थी और उसको वे ले गये तो उसके अदालत में बयान होने आवश्यक हैं और अदालत में बयान होना चाहिये। यदि वह रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। यदि नहीं रहना चाहती तो उसका कम से कम स्पष्टीकरण तो अदालत में होना चाहिये। अदालत के जरिये उसकी अनुमति होनी चाहिए। इस तरफ मंत्री महोदय अवश्य ध्यान दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें खास बात एक है कि इसमें मुसम्मात जग्गी मुलजिम की शादीशुदा औरत है। उसका बाप उसको दूसरी जगह नाता बिठाना चाहता था, और उस औरतको अपने कहा कि ले गया और जब तशद्दुद से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

काम लिया तो उसके लिए मुकद्दमा बना और मुकद्दमे बनाकर कुछ मुलजिमान को जो उसमें शरीक बताये जाते है उनके खिलाफ मुकद्दमा दायर किया गया। अदालत ने उनको जमानत पर छोड़ दिया, उस औरत की बरामदगी के लिये हर मुमकिन तरीका अख्तियार किया जा रहा है। माननीय सदस्य कहते है कि उनको पता हैं तो वे मुझे बता दें मैं यहां से पुलिस भेज दूंगा आप पकड़ा दें। उसके अदालत में बयान करा देंगे और उसके बाद में जैसी कानूनी पोजीशन होगी उस पर अमल किया जायगा बशर्ते की आप उसका पता दें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले सम्बन्धित व्यक्ति मंत्री महोदय से मिलकर गये और मैंने मिलाया था और उन्होंने उनसे खुद ने कहा कि आपको और आपके अधिकारियों को बतला सकते है कि इस वक्त मुसम्मात कहां है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्य को कोई गलत फहमी पैदा हो गई है कि उन्होने मुझसे ऐसा कहा है। उन्होंने तो सिर्फ यह कहा है कि लड़की की बरामदगी नहीं हुई और पुलिस नहीं कर रही है, इसको उन्होंने शिकायत की है और उन्होंने यहां सदन में कहा है और अभी भी आप बतला दें तो मैं इन्तजाम कर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : ठीक है बतला दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार।

मांग संख्या 21।

श्री देवी दत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष, मेरा भी एक स्थगन-प्रस्ताव था जिसके ऊपर आज वक्तव्य दिया जाने वाला था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आपका भी था, मैं चेम्बर में जाकर इस सम्बंध में जानकारी करूंगा।

मांग संख्या 21!

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव चला गया, ध्यानाकर्षण भी गया और अब हम मांगो पर आ रहे हैं।

अनुदान की मांगे

मांग संख्या 21, 14, 40

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,81,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-

(श्री हरिदेव जोशी)

वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,91,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,69,70,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांग संख्या 21

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : 1. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (ग्राम औद्योगिकरण कार्यक्रम निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (सांभर में Soda ash Plant के निर्माण पर चर्चा के लिए) ।

3. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपे कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिये Budget में पर्याप्त प्रावधान न होने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 21

4. श्री भीम सेन (लूणकरणसर) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (सरकारी आश्वासन के बावजूद बीकानेर में वूल टेक्नोलोजीकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना में विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में Wool Combing Plant तथा Calendering & Finishing Plant लगाने हेतु License देने पर चर्चा के लिये) ।

6. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री स्थापित करने हेतु जिप्सम कम्पनी, बीकानेर की शर्तों के अनुसार पाबन्द न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (पलाना खान का विकास, वहां पर थर्मल पावर लगाने की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 40

8. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (बीकानेर ऊनी मिल के लिये धनराशि का प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पूंजी की लागत में से 100) रुपये कम कर दिया

Page No.36

(श्री भीम सेन)
जाय क्रय-विक्रय सहकारी समिति, लूणकरणसर को राज्य सहायता न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

10. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के विकास के लिये कोटा, परमिट व लाइसेन्स देने में भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों के विकास की ओर सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

12. **श्री मुकट बिहारीलाल** (बयाना): मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 14

13. मांग सं० 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग मे से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की खनिज विभाग में की गई अनियमितता से हुई असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

14. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (बारां पंचायत समितिक क्षेत्र में लघु उद्योग में हजारों रुपयों के धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा हाडोती खादी ग्रामोद्योग, बारां को दी गई राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

16. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल बुनकर सहकारी समिति में चल रहे घोटाले एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी उद्योगों के मजदूरों को अनिवार्य रूप से बोनस नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

19. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्र में लघु उद्योग नहीं खोले जाने की (पक्षपातपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

20. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योगों की गिरती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

21. मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कर दिया जाय (हाथ कर्घा वस्त्रों की बिक्री पर सरकार द्वारा कमीशन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

Page No.37

(श्री देवीदत्त गाडिया)

मांग संख्या 40

22. मांग सं० 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (बारां सहकारी उपभोक्ता भण्डार में चल रही अव्यवस्था के कारण सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

23. श्री शिवचरण माथुर (मांडल): मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (गुलाबपुरा में सूत बनाने की एक मिल के सम्बंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 40

24. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिये राजकीय उद्योगों में धन व्यय करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 21

25. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (टोंक खास में उद्योग नहीं होने पर वहां बेरोजगारी हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

26. श्री रामानन्द अग्रवाल(अलवर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के औद्योगिकरण के प्रति सरकार के दुर्लक्षपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए) ।

27. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के प्रति दुर्लक्षता पर चर्चा के लिए) ।

28. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में तेल उद्योग के प्रति सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में सिरेमिक्स इन्डस्ट्रीज की चिन्ताजनक स्थिति पर चर्चा के लिए)।

30. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में हाथकर्घा उद्योग की सोचनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में सूती मिल लगाने के बारे में सरकार द्वारा घोर उपेक्षा दिखाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 14

32. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग की बकाया की वसूली में की जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

33. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण किए जाने वाले स्कूलों अथवा पंचायत भवनों के लिए प्रयोग किये जाने वाले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पत्थरों पर खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी नहीं ली जानी चाहिए, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

34. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राजकीय क्षेत्र में पंूजी लगाने के सम्बंध में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

35. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा औद्योगिक प्रगति की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

36. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): मांग-संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (बुनकर सहकारी सोसाइटियों में चल रही धांधली पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (हाथकर्घा उद्योग का उचित विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योगों को वांछित सफलता नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

39. **श्री जसराज** (भिनाय): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की वर्तमान औद्योगिक विकास प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

40. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिकरण के साथ साथ राष्ट्रीयकरण का ध्यान रखा जाने पर चर्चा के लिए)।

41. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (बढ़ती हुई आबादी को देख कर औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन कराने पर चर्चा के लिये)।

42. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (टेक्नीकल स्कूल्स से उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को नौकरी में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (टेक्नीकल औद्योगिक एस्टेटों एवं अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों में कम अनुभवी एवं अपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों द्वारा उद्योगों की प्रगति में असफलता आती जा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

44. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग में कुशल टेक्निशियनों के अभाव से औद्योगिक विकास की मन्द गति पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजयसिंह रावत)

मांग संख्या 14

45. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा लापरवाही बरतने एवम् अपने कर्त्तव्य को पूर्ण रूप से न निभाने के कारण राजस्थान की भूमि में मिलने वाला खनिज पदार्थ नहीं खोजा गया, जिससे राज्य अन्य प्रान्तों से उद्योग धन्धों में पीछे रहा, करोड़ो रुपयों का घाटा राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

46. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (खादी बोर्ड को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिये जायं (उद्योगों को विशेष रियायत देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी उद्योगों के मजदूरों को अनिवार्य रूप से बोनस नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

50. **श्री देवीलाल** (सराडा): मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में उद्योगों की स्थापना न कराने पर चर्चा के लिए)।

51. **श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अलवर शहर की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

52. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न उद्योगों द्वारा कन्ट्रोल के माल का कालाबाजार करने पर भी सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

53. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा बकाया रकम की वसूली में शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

54. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा किये गये विनियोजन से अपेक्षित लाभ न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

55. **श्री रामकिशन** (वैर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से

(श्री रामकिशन)
100) रु० कम कर दिया जाय (जे० के० सिन्थेटिक्स, कोटा को दिये गये ऋण के गलत उपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चित्तौड़ सीमेन्ट फैक्टरी को सस्ते रेट पर बिजली सप्लाई पर चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (छोटे उद्योगों के विकास के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

58. मांग सं० 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (खानों के लाइसेन्स देने में की जाने वाली धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

59. श्री केदारनाथ (गंगानगर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों को पनपाने व संरक्षण देने में सरकार पूर्ण असफल रही, इस पर चर्चा के लिए)।

60. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला जालौर में औद्योगिक विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

61. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों के लिये उद्योग विभाग द्वारा क्रूडतेल एवं डीजल न दिये जाने की समस्या के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

62. मांग सं० 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालौर में खानों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

63. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): मांग सं० 21, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग में से 100) ० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ को सस्ते रेट पर बिजली सप्लाई की सिफारिश किये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए)।

64. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा उद्योग ऐसे ढंग के चलाये जाने चाहिए जिससे बेकारी की समस्या हल हो सके, इसके बारे में चर्चा के लिए)।

65. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सरकार की असफलता के संबंध में चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में छोटे उद्योग को अनुदान देने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

Page No.41

(श्री श्रवणलाल)

67. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (हाथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने में सरकार की ओर से अनुदान व सब्सिडी देने में विभाग की ढिलाई रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

68. **श्री रावत राम** (छापर) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ बुनकर बस्ती के संबंध में चर्चा के लिए)।

69. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में हाथ कर्घा उद्योग को उचित प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिए)।

70. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा नगर में स्थापित उद्योगों को अनुचित लाभ दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

71. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय विभाग द्वारा उद्योगों को न पनपाने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

72. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (पाली शहर में उद्योग, उद्योग बस्ती में न लगाकर दुकानों में ही लगा देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

73. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (औद्योगिक विकास पर लगाई गई पूंजी से उचित लाभ नहीं मिला, इस पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 21

74. **श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योग में व्यय की जाने वाली राशि को कम किये जाने तथा इसकी उपयोगिता पर चर्चा के लिए)।

75. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (मोन क्षेत्र में खर्च की जाने वाली राशि को कम करने पर चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (औद्योगिक अन्वेषण पर होने वाली फिजूल खर्ची रोकने पर चर्चा के लिए)।

77. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (हस्त शिल्प कला विकास केन्द्र पर खर्च होने वाली राशि को कम करने पर चर्चा के लिए)।

78. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (बुनकर सहकारी समितियों को ऋण सुविधा देने के लिये कर्मचारियों पर खर्च होने वाली राशि में फिजूल खर्ची रोकने पर चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (अन्य संगठन पर होने वाले खर्च

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
की राशि में अनियमितताओं के निवारण पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (जुलाहों की बस्तियों के लिये अनुदान में होने वाली अनियमितताओं के निवारणार्थ पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों के पुनर्गठन में खर्च की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में पुनर्विचार किये जाने पर चर्चा के लिए)।

82. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सिलाई-कशीदा केन्द्र पर हो रहे खर्च में अनियमितता व फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिए)।

83. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों के हेतु खर्चे में होने वाली राशि में कमी की जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (मुख्य कार्यालय के खर्चे में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिसे कम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग को दी जाने वाली अर्थ सहायता की उपयोगिता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

86. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 28-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (खनिजों के सर्वेक्षण तथा परिवेक्षण पर खर्च की जाने वाली राशि को कम करने पर, चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 28-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रेनाइट प्रयोजन निर्माण में सिर्फ स्टाफ पर ही खर्चा है, इस प्रकार अनियमितता और फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (फ्लोराइट परियोजना मण्डी की पाल में कई वर्षों से खर्चा हो रहा है, इसकी असफलता पर चर्चा के लिए)।

89. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (मुख्य कार्यालय का खर्चा एक ही वर्ष में बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसे कम किये जाने पर चर्चा के लिए।

90. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (पलाना ओपन कास्ट को बन्द करके खनिजों के राष्ट्रीयकरण की नीति को आघात पहुंचा है जिसकी जांच कर पुनः चालू करवाई जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

91. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर

Page No.43

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
पूंजी की लागत में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (इस मद में काफी राशि रखी गई है। इसे कम किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

92. **श्री डूंगाराम राजोरिया** (दौसा): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (उद्योग विकास पर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

93. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में गृह उद्योगों के विकास की ओर सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिए)।

94. **श्री नाथूराम** (बागी डोरा): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में उद्योगों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

95. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (पाली जिले के उद्योगों को उपयुक्त सुविधाएं न मिलने की चर्चा के लिए)।

96. **श्री पृथ्वी सिंह** (बाली): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कच्चे माल का काला बाजार रोकने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (उद्योगों को सस्ती दर पर विद्युत वितरण के संबंध में विभाग द्वारा सिफारिश किये जाने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

98. **श्री दुर्गा लाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिये जायं (लघु उद्योगों के प्रोत्साहन में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

99. **श्री सहदेव** (आमेर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने में असफल रहा है और उस असफलता का कारण नियोजित आयोजन का अभाव है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

100. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा खारडो की पंचायतों को न देकर व्यक्ति विशेष को देने पर चर्चा के लिये)।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव। श्री पी० के० चौधरी ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा डिमाण्ड नंबर 21 पर एक कटौती प्रस्ताव है और डिमान्ड नंबर 40 पर दो कटमोशन्स हैं।

(12·05 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

जहां तक डिमाण्ड नंबर 21 पर कट-मोशन है वह रूरल इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की गवर्नमेन्ट की पालिसी के संबंध में है।

(श्री पी० के० चौधरी)

जहां तक रूरल इन्डस्ट्रिलाइजेशन का सवाल है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट रूरल इन्डस्ट्रियेलाईजेशन का काम शुरू किया है, लेकिन आज तक इसमें कोई प्रगति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है, और मैं समझता हूं कि जहां तक रूरल इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की पालिसी है उसका जो तरीका अपनाया गया है रूरल एरियाज में इन्डस्ट्रीज चालू करने का वह मैं समझता हूं बेसिकली साउन्ड नहीं है। रूरल एरिया में जो इन्डस्ट्रीज हो सकती हैं वे साधारणतया एग्री-इन्डस्ट्रीज हो सकती हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्रीज ही रूरल एरिया में हो सकती हैं दूसरी किसी प्रकार की छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज जैसे कि इन्जीनियरिंग या अन्य प्रकार की वह रूरल एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं याने जो इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेन्शियर्स हैं वे हेसीटेन्ट होते हैं रूरल एरिया में जाने के लिए, क्योंकि इन्डस्ट्रीज चलाने के वास्ते, इन्डस्ट्रीज चलाने के लिए फैक्टर फैसिलिटीज क्या क्या हैं। फैक्टर फैसिलिटीज में सबसे ज्यादा आज एक स्किल्ड लेबर का सवाल आता है, दूसरा ट्रान्सपोर्ट का और तीसरा एक्सेसिबिलिटी आफ दी मार्केट यानी बाजार कितना नजदीक है। इसके लिए मार्केट भी एवेलेबल कर सकते हैं या नहीं। यह सब बातें उसमें देखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि रूरल इन्डस्ट्रियेलाइजेशन के गवर्नमेंट के प्रोग्राम की जो स्कीम है उसमें कुछ चेन्जेज की जरूरत है। यह मैं कहना चाहता हूं कि रूरल एरियाज में या तो एग्रो इन्डस्ट्रीज हो सकती हैं या लार्ज स्केल की इन्डस्ट्री हो जिसके आस पास कोई सबसीडियरी इन्डस्ट्रीस्ज, आक्जीलीयरी इन्डस्ट्रीज डवलप कर सकते हैं तो रूरल एरियाज में इन्डस्ट्रीज हो सकती हैं लेकिन छोटी-मोटी इन्जीनियरिंग गुड्स की इन्डस्ट्री वगैरह स्ट्रेटवे चला सकें, इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज को रूरल ऐरियाज में चलाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर नाकामयाब रहते है और यही वजह है कि पिछले दो तीन साल से सरकार की कोशिश के बावजूद रूरल इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की स्कीम सकसेसफुल नहीं हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल इन्डस्ट्रियेलाइजेशन के अन्दर यह तबदीली होनी चाहिए कि या तो वे इन्डस्ट्रीज वहां पर हों जो ऐग्रीकलचर पर बेस्ड हों यानी एग्रो-इन्डस्ट्रीज वहां पर हो सकती हैं और दूसरी वे हो सकती हैं कि कहीं लार्ज स्केल इन्डस्ट्री किसी एरिया में स्टार्ट की जाय जिससे उसके आसपास आग्जिलियरी इन्डस्ट्रीज डेवलप कर सकें जिससे कि रूरल एरिया में जो अनएम्पलायमेंट का प्रोब्लम है और इण्डस्ट्रीज के डिसपर्सल का प्रोब्लम है वह हल हो सकता है। लेकिन वर्तमान नीति में जो छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज चालू करने की कोशिश है वह मैं समझता हूं, कामयाब नहीं हो सकती है।

दूसरा मेरा जो एक कटमोशन है, वह सोडा एश प्लान्ट के संबन्ध में सांभर में स्टार्ट करने का है। मेरे खयाल से आज से 6-7 साल पहले सरकार ने लाख-डेढ लाख रुपये खर्च करके उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फ्रेन्च एक्सपर्ट को बुलाकर तैयार कराई थी और वह इन्डस्ट्री चालू करने की थी, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ कि आज तक उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती। पहले यह चल रहा था कि प्राइवेट इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स उसको चाहते थे और उसी

Page No.45

(श्री पी० के० चौधरी)

ख्याल से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, लेकिन ग्राज वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में चली गई है। मैं कहूंगा कि इसको देखा जाय। ग्रगर प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट नहीं ग्राते हैं तो पब्लिक सेक्टर में उस इन्डस्ट्री को चालू किया जाय, क्योंकि मैं मानता हूं कि पब्लिक सैक्टर में दूसरी स्टेटों के कम्पेरीजन में राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वह काफी कम हुग्रा है, ग्रौर हमने कई दफा इस बात पर जोर भी दिया है कि एक बेलेन्स्ड विजिलेन्ट डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पालिसी है ग्रौर प्लानिंग कमीशन की भी जो पालिसी है कि देश का विकास इस प्रकार का हो कि जो बेकवर्ड एरियाज हैं, उनके डेवलप्मेंट की कोशिश की जाय ग्रौर जो इन्डस्ट्रीज बेकवर्ड एरिया में हो सकती हैं जिनके लिये वहां पर फैक्टर फैसलिटीज रा मेटेरियल एवेलेबल हों वहां पर उनको प्रायोरिटी दी जाय इन्डस्ट्री चलाने के लिए। जहां तक सोडा एश प्लान्ट का सवाल है सबसे ज्यादा फैक्टर फैसिलिटी साम्भर में है कम्पेरेटिवली ग्रौर यदि कोई प्राइवेट इन्डस्ट्रियेलिस्ट कोई नहीं ग्राता है तो क्यों नहीं पब्लिक सैक्टर में सोडा एश प्लान्ट हम चालू करें। तो मेरा निवेदन यह है कि पब्लिक सैक्टर में सोडा एश प्लान्ट को चालू किया जाय।

ग्रौर दूसरी बात मैं यह कह सकता हूं कि पब्लिक सेक्टर में ग्रौर भी इन्डस्ट्रीज राजस्थान में चालू हों। उसके लिए जल्दी ध्यान दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे कई कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करूंगा कि राजस्थान में भारत सरकार को ग्रोर से बड़े उद्योग जो स्थापित किये जाते हैं उसके सम्बन्ध में प्रयास नहीं हो रहे हैं। दूसरे राज्यों में ग्रौर हमारी इस विधान सभा में सरकार की इस बात की ग्रालोचना की जाती है कि सरकार नॉन टेक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारे राजस्थान में यदि भारत सरकार पर कुछ दबाव डाल कर कुछ बड़ी इन्डस्ट्रीज स्थापित कराई जायं, पब्लिक सैक्टर में भारत सरकार की ग्रोर से कुछ बड़ी इन्डस्ट्रीज स्थापित कराई जायं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू में कुछ इजाफा होगा। खास तौर से इससे स्टेट गवर्नमेन्ट की इन्कम बढ़ती है, इन्कम टैक्स ग्रौर इन्टर स्टेट टैक्स के रूप में ग्रौर स्टेट की एम्प्लायमेन्ट पोटेंशियलिटी भी बढ़ती है, जिसके द्वारा स्टेट के लोगों को एम्प्लायमेन्ट मिल सकेगा। वैसे तो कुछ छोटे-छोटे कैपीटल इन्वेस्टमेंट किये गये हैं राजस्थान के ग्रन्दर, जैसे कोटा में हैं ग्रौर खेतड़ी का प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं समझता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जैसे भारत सरकार मशीन टूल्स का ग्रजमेर में कारखाना खोलने जा रही है, वैसे ही हैवी इलेक्ट्रिकल्स की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में कई स्टेट में चालू की जा रही है, यदि राजस्थान सरकार भी प्रयास करे तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स का एक कारखाना राजस्थान को भी मिल सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को प्रयास करना चाहिए।

(श्री भीमसेन)

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के कुछ कतिपय उद्योगों की तरफ में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बीकानेर के अन्दर ऊन की प्रमुख मण्डी है, बीकानेर से चालीस लाख गांठें प्रति वर्ष बाहर भेजी जाती हैं। इसके लिए वूल कौम्बिंग प्लान्ट, कलेण्डरिंग प्लान्ट और फिनिशिंग प्लान्ट लगाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कई उद्योगपति वूल कौम्बिंग प्लान्ट, कलेण्डरिंग प्लान्ट और फिनिशिंग प्लान्ट खोलने में रुचि रखते हैं। लेकिन उनको इन प्लान्ट्स को लगाने के अन्दर लाइसेन्स प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस बारे में वहां के उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे और लाइसेन्स दिलाने में भारत सरकार के ऊपर दबाव डाले तो मैं समझता हूं कि वहां पर यह प्लान्ट स्थापित हो सकते हैं। अब भी वहां के व्यापारी लोगों को पानीपत में और कोटा में वूल का फिनिशिंग कराना पड़ता है। मैं समझता हूं कि वहां यह प्लान्ट लग जायं तो वहां के लोगों को काफी उत्साह मिल सकता है। इसके साथ ही बीकानेर में जो बहुत ज्यादा बेकारी है, उसमें भी वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा बीकानेर में पब्लिक सैक्टर में जो कलेण्डरिंग प्लान्ट था, वह प्लान्ट भी बन्द कर रखा है। पिछली विधान सभा में माननीय उद्योग मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि बीकानेर में ऊन मिल पब्लिक सैक्टर में लगाई जा रही है उसके लिए कुछ कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होगी। उन कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए वूलन टैक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए आश्वासन दिया था। और इस सम्बन्ध में पिछले बजट में एक लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन इकोनामी कट के कारण बाद में इस इन्स्टीट्यूट को खोलने का विचार छोड़ दिया। मैं राज्य सरकार का पुनः इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बीकानेर के लिए बहुत आवश्यक है ताकि ऊन मिल जो खोलने जा रहे हैं, पब्लिक सैक्टर में उसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता तैयार हो सकें।

इसके अलावा लूणकरणसर में सिलीलाइड की खान है। वहां की जिप्सम कम्पनी के साथ में यह एग्रीमेन्ट था कि वहां पर कम्पनी एक फैक्ट्री सिलीलाइट की बनायेगा। लेकिन आज पन्द्रह साल बीत जाने के बाद भी कम्पनी के ऊपर दबाव नहीं डाला है। जबकि सरकार ने पहले तो एक्सपोर्ट कराना बन्द कर दिया था लेकिन फिर कम्पनी को दो साल से इजाजत दे दी है। मैं समझता हूं कि वह सरकार के दबाव से प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करे ताकि वहां के लोगों को उसमें एम्प्लायमेन्ट मिल सके और इसके अलावा जो रा-मेटिरियल अभी बाहर एक्सपोर्ट होता है, उससे अधिक आमदनी इस फैक्ट्री को खोलने पर हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पनी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार दबाव डाले।

इसी मांग के सम्बन्ध में मेरे दो-तीन प्रस्ताव और हैं। एक पलाना के बारे में है। उसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार

(श्री भीमसेन)

ने पावर विशेषज्ञों से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई थी। मुझे अफसोस है कि इस पलाना खान के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार ने बड़ी उदासीनता से काम किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इसके लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया था लेकिन इसमें से कुछ भी धनराशि इस बारे में खर्च नहीं की। उसके बाद में दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और अब चौथी पंचवर्षीय योजना सरकार के सामने है। अब सरकार कह रही है कि पैसा मिल जायगा तो इसके बारे में विचार करेंगे। नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। मैं समझता हूं, यह बड़े अफसोस की बात है, जहां राजस्थान में बड़ा अनसर्टेन मानसून होता है, और अनसर्टेन मानसून की वजह से हेवी इलेक्ट्रिकल्स की हालत खराब हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए और थरमल स्टेशन, जो एक लाख किलोवाट का है, को लगाने के लिए जोर देना चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो राजस्थान में जो इण्डस्ट्रीज का डेवलपमेन्ट हो रहा है, वहां बिजली की अनसर्टेन्टी की वजह से इण्डस्ट्रीयलिस्ट को बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं समझता हूं कि पलाना का पावर स्टेशन अगर लग जायगा तो राजस्थान में जब कभी ऐसी परिस्थिति आयेगी तो उसका मुकाबला कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। और भारत सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए। यह प्रोजेक्ट राजस्थान की बेहतरी के लिए, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायक होगा। इसलिए इतना बड़ा पावर स्टेशन लगाना बहुत आवश्यक है। इस बात के लिए राजस्थान सरकार भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन के ऊपर दबाव डाले, और इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर करवाया जाना चाहिए।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी · ·

श्री मथुरादास माथुर : सब खत्म हो गये।

श्री भीमसेन : यह जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं इनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग की मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। इस सरकार की जो औद्योगिक नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जो औद्योगिक नीति सरकार ने अपना रखी है उसके द्वारा जो रिजल्ट उसको मिले हैं राजस्थान को, उनसे स्पष्ट होता है कि राजस्थान की जो औद्योगिक नीति है वह कमियों और पक्षपात से भरपूर है · · · ·

एक माननीय सदस्य : हियर, हियर

श्री जयनारायण सालोदिया : इसलिए हमें उद्योग के विकास में राजस्थान को आगे बढ़ाना है तो अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। हमारी

(श्री जयनारायण सालोदिया)
जो नीति रही है अब तक उद्योगों के सम्बन्ध में वह बड़े उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहित किये जाने और छोटे उद्योगों को कम तरजीह दिये जाने की रही है और इसकी वजह से जो राज्य में थोड़े बहुत उद्योग पनप सकते हैं, और थोड़े पैसे में ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है-उसके सम्बन्ध में भी हमारी सरकार की हमेशा से उदासीनता रही है। कोटा, परमिट या लाइसेन्स उद्योगों के सम्बन्ध में जिन लोगों को दिये हैं वे लोग आज वही लोग हैं जो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। आज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में राजस्थान का उद्योग है। जिन मुठ्ठी भर लोगों के पास आज राजस्थान के सारे उद्योग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है लेकिन हमारे यहां का जो गरीब तबका है, कुटीर उद्योगों के द्वारा जिनकी रोजी-रोटी चलनी चाहिए, आज बीस साल की आजादी के बाद में भी उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन नहीं कर सके हैं। उनकी स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ है वह समय के अनुसार हुआ है। इस सरकार की तरफ से इस सरकार की कोशिश से और इस सरकार की औद्योगिक नीति से उनमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो हम देखते हैं कि आम लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन एक हवा के आधार पर हुआ है। उस आधार पर तो उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन हमारी औद्योगिक नीति के आधार पर उन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर सरकार को उद्योगों के मामले में हानि है तो फिर अपनी नीति में उसको परिवर्तन करना चाहिए। राजस्थान में कुछ लोगों के हाथ में कागज का, कपड़े का, एल्यूमोनियम और प्लास्टिक का उद्योग है। लेकिन वह ऐसे लोग हैं जिनको उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। खुद के पास उनका बहुतसा पैसा है लेकिन राजस्थान की सरकार उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देती है, ज्यादा से ज्यादा सहायता देती है या अन्य तरह की फेसेलिटी देती है। मैं कोटा गया था तो वहां का जो औद्योगिक एरिया है, उसमें मैंने देखा कि उसमें जितनी फेक्ट्रियां हैं अलग अलग वे सब की सब बड़े बड़े लोगों की हैं और उनको जो बिजली के सम्बन्ध में रियायत दी है, यह वाजिब नहीं कही जा सकती है।

जो नाइलोन फेक्ट्री कोटा में है जिसको आप तीन पैसा पर यूनिट पर बिजली दे रहे हैं, वह क्यों? एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी फैक्टरीज को चालू रखने के लिये परमिट, कर्जा, सहायता पानी और बिजली की छूट देते हैं। जमीन दिलाने में मदद करते है, लेकिन दूसरी तरफ कुटीर उद्योग जो हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। राजस्थान में उद्योग छोटे उद्योग चालू रख कर ऐसे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जिनको रोजगार की जरूरत हैं, जिनके लिये रोजी रोटी का प्रश्न है उनको कुटीर उद्योग द्वारा ही सहायता मिल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को खादी के सम्बन्ध

(श्री जयनारायण सालोदिया)
में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। खादी भी एक कुटीर उद्योग है लेकिन धीरे धीरे खादी में इस तरह के लोगों का प्रवेश होता जा रहा है जिससे ये खादी संस्थायें राजनैतिक संस्थायें बनती जा रही हैं। खादी भंडार, खादी संघ के लोग उनके व्यवस्थापक आदि अपने आपको कॉंग्रेसी समझते हैं, कॉंग्रेस पार्टी का समझते हैं। वे खादी बनाम कॉंग्रेस और कॉंग्रेस बनाम खादी मानकर चलते हैं। आज इन खादी संस्थाओं को लाखों रुपया सहायता के रूप में राजस्थान सरकार से मिलता है। इस में जो रुपया आता है वह केवल कॉंग्रेसी वर्ग का ही नहीं समस्त जनता का पैसा आता है। जब सरकार का पैसा लेकर वे अपनी संस्थायें चलाते हैं तो उनको कॉंग्रेस का कार्यकर्ता न मानकर खादी को प्रोत्साहन देने वाले खादी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिये। आज जो उनके यह राजनैतिक भावना पैदा होती जा रही है वह खादी के लिये नुकसानदायक चीजें है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं! चुनाव के समय खादी भंडारों में और खादी में काम करने वाले कितने ही कार्यकर्त्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। वे एक प्रकार से कॉंग्रेस वालों से दो पग आगे चलकर कांग्रेस के लिये काम करते हुए देखे गये। कॉंग्रेस उम्मीदवारों के पोलिंग एजेन्ट तक बने खादी के कार्यकर्ता। उन्होंने पिंजारे, बुनकर, आदि पर दबाव डाला कि वे कांग्रेस को ही वोट दें अगर नहीं देंगे तो उनके लिए सूत बन्द कर दिया जायगा, रूई देना बन्द कर दिया जायगा, उनसे कपड़ा बनवाना बन्द कर दिया जायगा। यह जो खादी के कार्यकर्ताओं का रवैया है वह शोचनीय एवं अशोभनीय ही नहीं अत्यन्त लज्जास्पद भी है। राजस्थान के टैक्स पेयर्स पैसे से जो खादी संस्थायें चलती हैं, वे अपने आपको कॉंग्रेसी समझें वह खादी के लिए लज्जास्पद बात है। खादी की भावना अच्छी हो सकती है लेकिन उसके पीछे जो राजनैतिक लोग राजनीति को प्रवेश करा रहे हैं वह खादी को खत्म कराने वाली चीज है इससे धीरे धीरे खादी के प्रति लोगों की आस्था उठती चली जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, खादी के अन्दर एक रोजगार देने की भावना निहित है। सूत कातने वाले को पैसा देते हैं, पिंजारे को पैसा देते हैं, बुनकर को मजदूरी देते हैं वह बहुत ही कम पैसा देते हैं। और जो मुनाफा होता है उसका अधिकतर भाग या तो शान और शौकत में खर्च कर देते हैं या बनावट पर या अन्य कामों पर खर्च कर देते हैं। खादी के अन्दर जो इस प्रकार की मुनाफावृत्ति काम कर रही हैं उसमें मेरा यह अनुरोध है कि सब का हिस्सा होना चाहिये, हर व्यक्ति को उसके श्रम के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ आज गांवों में कितने ही कुटीर उद्योग चला सकते हैं। लकड़ी का उद्योग अच्छा चल सकता है, मिट्टी का उद्योग अच्छा चल सकता है, चमड़े का और ऊन का उद्योग अच्छी तरह से चल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने टोंक के अन्दर

(श्री जयनारायण सालोदिया)
चमड़े का कारखाना खोलने का अपने भाषण में जिक्र किया था। लेकिन मुझे उनकी इस घोषणा में ज्यादा दम नजर नहीं आता क्योंकि सरकार ने इस तरह का रवैया रखा है और इस तरह की उनकी प्रक्रिया रही है कि घोषणा मात्र कर देते हैं परन्तु उसके लिये जो जिम्मेदारी से काम होना चाहिये वह शुरू नहीं करते। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे जो छोटे-मोटे कुटीर उद्योग हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये जिससे कि ज्यादा आदमियों को रोजगार भी दे सकें और ज्यादा उत्पादन भी कर सकें। राजस्थान के काफी प्रतिशत बेरोजगार आदमियों को इससे काम में लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं, उम्मीद करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इन पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुट बिहारी लाल।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राजस्थान के ऐसे विभाग की मांगें इस समय सदन के विचारार्थ हैं जो कि बहुत ही बदनाम विभाग रहा है। आज उद्योगों के सिलसिले में, या खानों के सिलसिले में राज्य सरकार की कोई नीति है ही नहीं। उद्योग और खान, इन दो डिपार्टमेंन्टस में जितनी घपलेबाजी है और दूसरा पुलिस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, इन दोनों डिपार्टमेन्ट्स को अगर मिलाया जाय तो उद्योग और खान डिपार्टमेन्ट्स प्रथम श्रेणी में आयेंगे और पुलिस विभाग दूसरी श्रेणी पर चला जायगा। एक नहीं, अनेक उदाहरण इस सम्बन्ध में, दिये जा सकते हैं। मैं इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन की जानकारी के लिये कुछ बातें बताऊंगा और पूछना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर जहां तक उद्योगों का सवाल है आपकी क्या नीतियां हैं। आज उद्योगों के सिलसिले में और खानों के सिलसिले में कोई नीति नहीं है। आप कब तक इस लाइसेंस, कोटा और परमिट वाली बात को चलायेंगे? क्या राज्य सरकार ने कोई माप दंड मुकर्रर कर रखा है कि परमिट, कोटा और लाइसेंस के लिये क्या तौर तरीके होंगे, क्यों कि इस तरह से एक राजनैतिक रोजगार चलता है, उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक लोग अपने रोजगार चलाते हैं। मैं आपके मारफत माननीय उद्योग मंत्री से कहना चाहूंगा कि इस राजनैतिक रोजगार को बन्द करें।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में कोटा को नाइलोन फैक्टरी का जिक्र किया। नाइलोन फैक्टरी के बारे में मुझे यह कहना है कि जब उसका उद्घाटन हुआ था तो इस सदन के माननीय सदस्य भी वहां उपस्थित थे। तो वहां उस उद्योगपति ने खुले आम जलसे में कहा कि श्री मोहनलाल सुखाड़िया इज जस्ट लाइक आवर फेमिली मेम्बर। अगर हमारे मुख्य मंत्री उस उद्योगपति के लिये फेमिली मेम्बर के समान हैं तो उनको कन्सेशन दिया ही जायगा। उनको इलेक्ट्रिसिटी कास्ट प्राइस पर दी गई और दूसरे उद्योगों से भेद-भाव-पूर्ण नीति बरती जाती है तो यह कोई उद्योग की नीति नहीं है, परन्तु घपलेबाजी है।

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर सर्वे करा कर देखलें तो जितनी भी इन्डस्ट्रीज़ हैं वे केवल परमिट या कोटा प्राप्त करने के लिये हैं, वे बोगस इन्डस्ट्रीज है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज 90 प्रतिशत इन्डस्ट्रीज बोगस इन्डस्ट्रीज हैं, केवल लेबल लगाये हुए हैं, उद्योगों के केवल साइन बोर्ड लगाये हुए हैं और वे लोग परमिट, कोटा और लाइसेंस लेकर काम चलाते हैं पर सही मानें में कोई काम नहीं करते हैं। यह तमाम चीज आपकी जानकारी में होती है और वहां पर जो आपके अफसर बैठे हैं उनकी जानकारी में होती है और वे मिले जुले हैं इस बात में और लोग मुनाफा कमा रहे हैं। जहां तक उद्योगों का सवाल है, राजस्थान के अन्दर भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह यह पालिसी चलाई जा रही है कि मिल या उद्योग तो घाटे में चल रहा है और जो उद्योगपति हैं वह मुनाफा कमा रहे हैं, यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मालिक का धन बढ़ रहा है, उद्योगपति मुनाफा कमा रहा है मगर मिल घाटे में रन कर रही है। मजदूरों को बोनस नहीं मिलता, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। धौलपुर की मिसाल ही लीजिये। वहां पर ग्लास फैक्टरी का सवाल आपके सामने है। वहां के उद्योगपतियों ने लाखों रुपया कमाया। आज वहां के जो उद्योग पति हैं वे मुनाफे में हैं और मिल घाटे में है और बन्द हो गई। वहां के मजदूरों को बोनस नहीं मिला, उनकी भूखे मरने की नौबत है और आज उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। समझ में नहीं आता कि आपकी क्या नीति है। इसलिये मैं आखिर में आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप पब्लिक सेक्टर को इसी तरह से बदनाम करते हुए चले जावेंगे तो समाजवाद की तरफ आप अग्रसर नहीं हो सकते। हमें एक अच्छी नीति अपनानी होगी जिससे कोटेज इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिले। कोटेज इन्डस्ट्रीज को पनपाने के लिए किस तरह की नीति अपनाएं इसके लिए मैं बड़े अदब से आपको निवेदन करूंगा कि इस पर आप ध्यान दें और आपको इस बात पर विचार करना होगा।

मैं एक बात यह भी निवेदन करूंगा कि पंच वर्षीय योजना के तहत राजस्थान के लिए जो बड़े बड़े उद्योग खोलने का जो मौका मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। आपका यह प्लान है कि आप राजस्थान के एक हिस्से में उद्योग खोल रहे हैं और दूसरे हिस्सों की उपेक्षा कर दी गई है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि भरतपुर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट आपने लागू किया है और उसके लिये आपने अलोटमेंट किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने क्या उसमें नल और बिजली की सुविधा दी है। आपने वहां नल और बिजली की कोई सुविधा नहीं दी। नल और बिजली दोनों की सुविधा वहां पर होना बहुत जरूरी है। आज जहां पर बिजली और नल तक की सुविधा नहीं है उसको आप इन्डस्ट्रियल एस्टेट कहते हैं मगर यह केवल बोलने के लिये है। अगर वहां पर कोई रात को चोर आ जाए और चार लट्ठ दे जावे तो वहां पर कोई पूछने वाला नहीं। आज आप देश का विकास करने जा रहे हैं, आखिर किसी आधार और नीति पर तो चलना चाहिये। जिस आधार पर परमिट, कोटा, लाइसेन्स इश्यू किये जाते हैं उसी आधार पर चलेगा तो आखिर यह काम कैसे चलेगा।

(श्री मुकटविहारी लाल गोयल)

खानों के ठेकों का सवाल है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं लिया जाता । ठेका दे दिया जाता है और एग्रीमेंट नहीं लिखवाते जो लिखवाना चाहिये । लेकिन जब ठेकेदार एग्रीमेंट नहीं लिखते तो भी आप उन को खानों पर वर्क करने का आर्डर दे देते हैं और सालों तक वहां पर वर्क होता रहता है पर उसका एग्रीमेंट नहीं होता । इस कारण बड़े घाटे होते हैं । एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं । आडिट रिपोर्ट है उसमें साफ है । आपके मिनरल रूल्स हैं उसमें धारा 17 (3) के अनुसार रोयल्टी वसूल होनी चाहिये । लेकिन आप देखेंगे कि आठ आठ वर्षों तक खानें चलती रहीं हैं पर 33 ऐसी हैं जिनका अभी तक रोयल्टी का एसेसमेंट नहीं हुआ हैं । इसके लिये यह कहा जाता है कि लीज होल्डर्स ने अकाउन्ट बुक्स पेश नहीं की मैं यह कहना चाहूंगा कि आज 8:8 साल हो गये और फिर भी उन्होंने आपके सामने अपने अकाउन्ट्स पेश नहीं किये। हो सकता है कि एक केस में ऐसा हो जाय मगर 33 बड़ी बड़ी खानों में अगर ऐसा होता है तो यह चीज अच्छी नहीं हैं । यह चीज अगर इस तरह से चलने लगे तो क्यों चलने लगे । आज लाखों रुपया खानों की बकाया है । इसके लिये अभी बेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था कि बयाना में 97 हजार रुपये की बकाया है मगर आज वहां पर रिकवरी की कार्यवाही नहीं होती हैं । जब वहां पर बकाया वसूली के लिये कार्यवाही की जाती हे तो कहा जाता है कि इस नाम का आदमी कोई नहीं है । जबकि उनकी वहां पर 15: 15 लाख की इमारतें खड़ी हैं । समझ में नहीं आता कि आखिर आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हूं कि यह जो विभाग मंत्री महोदय के हाथ में है उनकी व्यापारिक नीति हो स्वयं के हितों को अपनी नीतियां हो सकती हैं, मगर यह नीति राष्ट्र के हित की नहीं हो सकती है । वैसे तो यह मसला हाउस कमेटी का है । आज सरकारी अधिकारियों के बंगले और कोठियां जयपुर में मौजूद होते हुए भी उनको सरकारी सुविधा दी जाती है वह नहीं दिए जाने के आदेश है । मगर यह आदेश बड़े २ अधिकारियों और मंत्रियों पर लागू नहीं होते हैं । आज उद्योगमंत्री का बंगला जयपुर में मौजूद है और वे सरकारी बंगले पर बैठे हैं । और अपने बंगले का किराया उठाते हैं .... ।

श्री हरिदेव जोशी : किसको किराये पर उठाया है ।

उपाध्याक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कौनसा बंगला किराये पर किसको उठाया है ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इसके लिये आप और हम अलग से डिबेट कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने मकान के बारे में कहा है, मैं जानना चहाता हूं कि किसको किराये पर उठाया है आप बतावें । आपने यहां पर बताया है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि आप बतावें ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जिन मंत्रियों के निजी बंगले हैं उन्होने शायद राज्य सरकार से लोन लेकर बंगले बनाये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा विषयान्तर हो रहे हैं। आप अपने कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रहें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो आज्ञा दी है उसको शिरोधार्य करता हूं।

मैं तो यह कह रहा था कि यह एक प्रकार की वृत्ति सी बन गई है। यह एक वृत्ति का सवाल है। मैं ज्यादा इस मामले में नहीं जाना चाहता। अभी चित्तौड़गढ़ में सीमेन्ट की फेक्ट्री की स्थापना हुई। हम चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। आज हमारे यहां मिनरल सोर्सेज की कमी नहीं है। इसके साथ साथ हमें इस बात का गर्व है और गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान के उद्योगपति हैं वे आज देश में तमाम जगह छाये हुए हैं। आज हम देखते हैं कि कलकत्ता और दूसरी जगह राजस्थान के उद्योगपतियों ने अपने उद्योग कायम किये हैं और अगर देखा जावे तो उद्योगपति यहां की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा हाथ रख सकते हैं। मगर आज वे बाहर जा कर अपना कारोबार करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज आपने राजस्थान के उत्थान के लिये क्या योजना बनाई है ? आज हमने मिनरल के बारे में देश की जनता के सामने क्या प्रोग्राम रखा है ? आज बड़े बड़े प्रश्न हैं कि आज मिनरल के बारे में सर्वे कराने के लिये आपने क्या फेजड् प्रोग्राम रखा है? भरतपुर में तांबे का उद्योग चल सकता है। सीमेन्ट का अच्छे से अच्छा पत्थर बारां और तसेरी में उपलब्ध है। लेकिन आज उसकी इन्डस्ट्रियल सर्वे के लिये कोई योजना नहीं है। यह तो घपले वाली बात है कोई मरे या कोई जीए हमें तो अपने से मतलब है। ऐसी बात राजस्थान के हित में नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी कुछ नीति होनी चाहिये।

कल एक बात कही गई कि बयाना में चट्टी तोड़ने के लिये, बेलसा के लिये कुछ लाइसेन्स दिये गये हैं। मगर होता क्या है कि ठेकेदार मजदूरों के द्वारा काम कराते हैं। मजदूरों को वे एक ट्रक की तुड़वाई 16 या 18) देते हैं। जब तक वह ट्रक में भरते हैं तब तक उसकी कीमत 18 है। वहां से एक या दो मील की दूरी पर रेल्वे स्टेशन के साइडिंग में जब वह डाल दी जाती है तो उसकी कीमत 200) हो जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मजदूरों को उससे मिलता है केवल 16) या 18) और उद्योगपतियों को जब वह दो मील वहां से दूर चली जाती है तो उनकी जेब में जाता है 200 रु०। इसलिये हम यह चाहते हैं कि मजदूरों की कोओपरेटीव सोसाइटीज बनाई जावे जिससे वे लोग मेहनत करने वाले जो खून और पसीने को एक करते हैं अपने बच्चों का पेट पाल सकें और मजदूरों की उन्नति में अग्रसर हो सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस तरह की योजना बनाकर चलें और माइनिंग के ठेकों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि अगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और घपलेबाजी और राजनैतिक आधार पर कोटा परमिट लाइसेन्स की नीति जारी

(श्री मुकटविहारीलाल गोयल)

रही तो इससे हम न तो अपना और न राजस्थान की जनता का हित कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निहायत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी नीतियों में सुधार करिये, वित्त मंत्रीजी बगल में बैठे हुए हैं, आप टैक्स तो लगाते हैं पर इन उद्योगों का थोड़ा सर्वे करा लीजिये, जो बकाया है बड़े बड़े पूंजीपतियों में उसे वसूल करिये। भरतपुर में सोडा का 3 साल के लिये 54 हजार में लीज पर दिया, फिर उस उद्योगपति से दरख्वास्त लेली कि मेरा यह लीज कैन्सिल कर दिया जावे, फिर कैन्सिल कर दिया फिर ठेका कर दिया, पहले 54 हजार में लीज किया, उसके बाद उसी को 37 हजार में लीज किया और फिर तीसरी बार उसी को 18 हजार में दे दिया। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि 64 हजार के हिसाब से लीज कर दिया, जबकि दूसरा उसे 95 हजार में लेने को तैयार था पर जो 95 हजार दे रहा था उसको नहीं दिया और जो 64 हजार दे रहा था उसको 64 हजार में दिया, वह भी एक साल या दो साल के लिये नहीं, 10 साल के लिये दे दिया। आखिर इस पर आप क्या चाहते हैं, इस सारी घपलेबाजी का क्या आधार है, आप राजस्थान को किधर ले जाना चाहते हैं? मैं कभी कल्पना करता हूं इस बात की कि सहस्त्र बाहु अर्जुन था, उसके हजार हाथ थे, हजार हाथों से परिश्रम किया करता था, उसी प्रकार अगर इन मंत्रियों के हजार हाथ हो जायं तो उन हजार हाथों से ऐसे ऐसे न मालूम क्या क्या काम करें, न मालूम क्या बन जायं पर शुक्र है परमात्मा का कि इनको वह स्थिति नहीं दी है।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन राजस्थान के विकास के सिलसिले में साउन्ड फुटिंग्स पर आगे बढ़ें, इससे आप राजस्थान का भला कर सकेंगे।

मैं इन्हीं सुझावों को रखते हुवे अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया!

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल बांध से बिजली जो पहले 40 मेगावाट मिला करती थी अब कोटा में करीब दो तीन मेगावाट मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिजली की कटौती के कारण कोटा क्षेत्र के कारखाने, खास कर के छोटे छोटे कारखाने करीब करीब ठप्प से पड़ गये हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है जब कोटा जिले के अन्दर बिजली की कटौती हुई तो इसका असर किस पर पड़ा? असर पड़ना तो चाहिये था बड़े बड़े करोड़पति सेठों पर जो बड़े बड़े कारखाने लगा कर बैठे हैं, जिनके पास अपने कारखाने चलाने के लिये स्वयं के ऐंजिन्स हैं, पावर्स हैं। लेकिन आज हमारी सरकार समझ में नहीं आता किन कारणों से, नायलोन फैक्टरी को, कास्टिक सोडा फैक्ट्री को, बड़ी बड़ी फैक्टरीज को तो पूरी की पूरी बिजली देती है पर छोटे छोटे कारखाने जिनके पास एक मात्र साधन बिजली है, उनकी बिजली की सप्लाई में कटौती कर दी है जिसके कारण कुटीर उद्योग ठप्प पड़ गये हैं। गांवों के रहने वाले किसान जिनको यह सरकार कहती है कि ग्रो मोर फूड कैम्पेन के अन्दर उत्पादन बढ़ाओ, अपने कुओं पर बिजली लगाओ, पम्पिंग सैट्स लगाओ पर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह कांग्रेस सरकार

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

एक ओर तो यह नारा लगाती है कि अधिक अन्न उपजाओ, दूसरी ओर किसानों को बिजली नहीं देती। जिन सेठों के पास बड़े बड़े पावर एंजिन्स हैं, उनको जो बिजली की सप्लाई करती है, उसमें कटौती नहीं करती, किसानों को समय पर पावर नहीं देती। किसानों ने कर्ज ले ले कर कठोर परिश्रम कर के कुए खुदवाये हैं, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये उन किसानों को यह सरकार बिजली नहीं देती ......

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह डिमाण्ड है वह उद्योग और खानों के बारे में है, बिजली के बारे में नहीं है, इसलिये माननीय सदस्य उनके बारे में सुझाव दें तो वेलकम होगा, हम ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिजली की कटौती हुई उसका असर, बड़े बड़े उद्योगपतियों के उद्योगों पर होना चाहिये था पर आज कोटा में कई ऐसे छोटे-छोटे कारखाने हैं, वे बन्द हो गये हैं।

कई ऐसे कारखाने हैं जिनमें बिजली की कटौती की, जिस समय उस कारखाने की स्थापना हुई उस समय इन कारखानों के मालिकों को इम्पोर्ट लाइसेन्स मिले हुए थे, और इनको रा-मैटीरियल मिलता था, वह रा-मैटीरियल आज बिजली की कटौती होने के बाद भी उतना का उतना ही रा-मैटीरियल मिल रहा है। जबकि उनके कारखानों में बिजली की सप्लाई कम कर दी, मजदूर कम हो गये, काम कम हो गया, जहां पहले तीन-तीन शिफ्ट चलते थे आज एक या दो शिफ्ट चल रहे हैं पर रा-मैटीरियल इम्पोर्ट लाइसेन्स का सरकार से उतना का उतना ही लेते हैं और उस मैटीरियल का होता क्या है, वह कच्चा माल आज चोर बाजारी में बेचा जाता है। चाहिये तो यह था कि जिस समय बिजली की कमी थी उसी समय इम्पोर्ट लाइसेन्स और रा-मैटीरियल में आधा कर देना चाहिये था, जितनी बिजली मिलती है, जितना उत्पादन होता है, उस हिसाब से रा-मैटीरियल मिलना चाहिये, पर ऐसा नहीं किया जाता। क्योंकि आज जो कांग्रेस के नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं। आज देखने को मिलता है कि मंत्रियों के लड़के, रिश्तेदार कारखानों के अन्दर रखे जाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हजार हजार, दो दो हजार रुपये माहवार उनके रिश्तेदारों को, लड़कों को देते हैं। यदि इन लोगों को टेस्ट कर के उन्हें नौकरी दी जाय तो उनको सौ, दो सौ से ज्यादा नहीं मिल सकता। पर ये पूंजीपति हजार दो हजार तनख्वाह देते हैं, क्योंकि वे मंत्री महोदय को खरीदना चाहते हैं, गुड़ देकर खण्डेला छीनना चाहते हैं, इस प्रकार पूरा रा-मैटीरियल लेकर उसकी चोर बाजारी करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य का उपकृत होऊंगा, यदि वे यह बतायें कि किस मिनिस्टर का लड़का, किस इन्डस्ट्रियलिस्ट के यहां नौकरी में है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्वयं मंत्रीजी को मालूम है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम नहीं है, इसी लिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्वयं मन्त्रीजी जानते हैं, स्वयं मन्त्रीजी का लड़का किस

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
समय पर किस कारखाने के अन्दर वेतन पर था।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे दो लड़के हैं, दोनों कहां हैं, आज जो बता देता हूं। इसलिये माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि भ्रम पैदा नहीं हो इसलिए स्पेसिफिकली पूछा है कि किसके लड़के हैं। मेरे दो लड़के हैं, मेरा बड़ा लड़का 5 साल से बांसवाड़ा में है और छोटा लड़का पढ़ रहा है। आप स्पेसिफिकली कहिये कि किस इन्डस्ट्रियलिस्ट के यहां किस मंत्री का लड़का है। और मैं निवेदन करूं कि अगर किसी का लड़का मेरिट्स के आधार पर किसी के यहां पर नौकर होता है तो उसमें ऐतराज की बात नहीं, अगर रियायत के आधार पर होता है तो वह बड़ी बुरी चीज है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बिजली में कटौती की गई है, इसके कारण इम्पोर्ट लाइसेंस और रामेटिरियल में कटौती होनी चाहिये।

आज स्ट्रा बोर्ड फैक्टरी शाहबाद क्षेत्र में अच्छे ढंग से चल सकती है, शाहबाद क्षेत्र ऐसा है जहां घास अधिक मात्रा में पैदा होती, छः, छः फीट लम्बी घास होती है, पर स्ट्रा बोर्ड, फैक्टरी कोटा में लगाली जाती है। यदि वह स्ट्राबोर्ड फैक्टरी शाहबाद के उस क्षेत्र में चलाते तो उस क्षेत्र के शहरियों को और दूसरे गरीबों को रोजगार मिलता। पर ऐसा न कर के आपने उसे कोटा में स्थापित किया है और वह एक बहुत बड़े सेठ को दी गई। उस क्षेत्र के किसानों ने और पंचायत समिति ने राज्य सरकार को प्रस्ताव पास कर के अनेक बार लिख कर भेजा कि इस क्षेत्र में स्ट्रा बोर्ड फैक्टरी अच्छी तरह चल सकती है। पर आपने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

इतना ही नहीं आज उद्योग के नाम पर, खादी बोर्ड के नाम पर बारां क्षेत्र में हाडोती खादी ग्रामउद्योग संघ दस साल से चल रहा है, आज उस संघ का हाल क्या है, उस पर 75 हजार का राजस्थान सरकार का कर्जा है।

(1.00 म० प०)

लेकिन वह खादी बोर्ड अपंग पड़ा हुआ है, खादी बोर्ड की बिल्डिंग जरूर पड़ी है बोर्ड जरूर लगा हुआ है लेकिन उस बोर्ड के अंतर्गत सिर्फ एक तेल का काम है जिससे साबुन बनता है और वह साबुन जो अखिल भारतीय तेल घानी उद्योग है उससे संबंधित है, जो बिल्डिंग के अन्दर काम करता है।

मांगरोल के अन्दर एक सोसाइटी बुनकरों की बनी हुई है। सरकार ने अब कर्जा दिया है, अनुदान दिया है लेकिन उस सोसाइटी की हालत खराब है। राजस्थान में एक ही गांव है कैथून जहां हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी पावर लूम्स की साड़ियां बनती हैं लेकिन साधन नहीं। आंता में जो पावर लूम्स हैं वह कोटा के गोपाल इन्डस्ट्रीज को दी गई हैं, कांग्रेस नेता को दे रखी है और वह पावर लूम्स गोपाल इन्डस्ट्रीज के अन्दर चल रही है। यदि वे पावर लूम्स मांगरोल के अन्दर या कैथून के अन्दर लाई जायं तो बुनकरों को रोजगार मिलता, वहां तरक्की हो सकती थी, उनकी माली हालत ठीक हो सकती थी लेकिन पावर लूम्स एक बहुत बड़े सेठ को दे रखी हैं। एक तरफ तो सरकार समाजवाद का नारा लगाती

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है और गरीबों का उत्थान करना चाहती है, पिछड़ी जातियों का उत्थान करना चाहती है, बुनकर भी पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको सहायता देनी चाहिए थी।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने एप्लाई किया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : डेप्यूटेशन के रूप में।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। मैंने किसी को प्रिफरेंस दी हो ऐसी चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ कहें मुझे एतराज नहीं मगर कोई चीज़ वेग कहें, फेक्ट्स से परे हों, तो मुझे एतराज है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक मंत्री के लड़के के बारे में कहा, अब इन एप्लीकेशन्स के बारे में कहा, यह चीज उचित नहीं है। जो भी बात वह कहें, वह रेकार्ड के आधार पर कहें तो उससे मुझे मदद मिलेगी और यदि वे केवल भाषण ही देना चाहते हैं तब तो वे दे सकते हैं और हम सुनेंगे, उससे फायदा नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं जो बातें कह रहा हूं वह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं मंत्री महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि बारां की बुनकर सोसाइटी ने प्रस्ताव पास किया। मांगरोल की बुनकर सोसाइटी ने सम्बन्धित विभाग को लेटर भेज दिया और मांग की थी कि हमें पावर लूम्स चलाने की इजाजत दी जाय लेकिन आज तक उनको पावर लूम्स नहीं मिले।

मंत्री महोदय के लड़के का जहां तक सम्बन्ध है, जयपुर के अन्दर एक कारखाना है और उसके अन्दर आज से 5 साल पहले मंत्री महोदय का लड़का चाहे उसके अन्दर एक महीना भी क्यों नहीं नौकरी की हो, दो महीने तक क्यों नहीं काम किया हो, जयपुर के उस कारखाने से मंत्री महोदय के लड़के को वेतन मिला है।

श्री हरिदेव जोशी : क्या मैं 5 साल पहले मंत्री था ? माननीय सदस्य को इतना भी ज्ञान नहीं कि 5 साल पहले मैं मंत्री था ? अथवा क्या था, क्या स्थिति है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस समय आप मंत्री थे, जयपुर के कारखाने के अन्दर।

श्री हरिदेव जोशी : यह बिल्कुल गलत है। आइ चेलेंज इट। यह सही है कि मेरे एक लड़के ने एक मंदा फैक्ट्री में डेढ़ महीना नौकरी 150) तनख्वाह पर की, 150) से 175) भी नहीं मिले। आज भी उसको 150) से ज्यादा तनख्वाह मिल सकती है, 150) तो चपरासियों को मिल सकती है, दूसरों को मिल सकती है, उसको रियायत के तौर पर एक हजार या पांच हजार तनख्वाह नहीं मिली। इसके अलावा उस समय मैं मंत्री नहीं था, मैं पिछले साल ही मंत्री बना। माननीय सदस्य बहुत गलत ढंग से बातें कह रहे हैं, जो उचित नहीं है। I wish to be clear, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सब इस बात को भलि-भांति जानते हैं कि जो कुछ यहां कहा जाता है, बहुत जिम्मेदारी

(श्री उपाध्यक्ष)

के साथ कहा जाता है और यह सही है कि जो बातें यहां कही जाती हैं उनके लिए माननीय सदस्यों को एक विशेष अधिकार है, उस पर न कोई अदालत कार्यवाही कर सकती है और न उसका कहीं बाहर जवाब दिया जा सकता है। इसलिए जो कोई भी बात यहां कहें, उसको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहिए क्योंकि आप बात कहते हैं, वह सही नहीं हो और मंत्री महोदय तो खुद सदन के सदस्य हैं इसलिए इस सदन में तो वे उत्तर दे देते हैं लेकिन इस तरह से बात कही जाय और वह व्यक्ति मान लीजिए सदस्य नहीं हो सदन का, तो यह बात एक बहुत ही आपत्तिजनक होगी कि वह बात सही न हो और उस पर कही जाय। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो कोई बात सदन में कही जाय वह तथ्यों की जानकारी करके कहें और यह बात मानकर बाद में कहनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इस तरह से झूठा आरोप इन्होंने आज एक पर लगाया कल दूसरों पर लगायेंगे।

श्री शिवचरण सिंह (महुवा) : इनके साथी भी अपने बंगले बनाकर बैठे हैं, लेकिन रहते सरकारी बंगलों में हैं। उनके लिए भी तो कुछ कहना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आपने सारे का सारा झूठ कहा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम कहते हैं कि नियमों के अनुसार होना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : Any way, अब पोजीशन साफ हो गई है और मुझे कुछ और नहीं कहना चाहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब बारां पंचायत समिति के अंदर सरकार की ओर से उद्योग केन्द्र खोला गया था उस समय बारां पंचायत समिति में औद्योगिक क्षेत्र था वह पंचायत समिति के अंदर एक विभाग था। उसके अंदर आज भी करीब 80000) का सामान पड़ा है और यदि उस सामान की नीलामी की जाय तो उससे 8 हजार रुपये भी नहीं मिलेंगे। एक ओर तो सरकार जनता पर टैक्स लगाना चाहती है, और सरकार बचत का नाम लेती है लेकिन आज उस बारां पंचायत समिति के अंदर 7 साल से 80000) का सामान ऐसा पड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं है।

इसी प्रकार से आंता पंचायत समिति के अंदर सरकार ने उस क्षेत्र के किसानों को यह आश्वासन देकर कि यहां पर तुम लोग छोटे-छोटे गुड़ खंडसारी के कारखाने सहकारिता के आधार पर खोलो। आंता पंचायत समिति के अंदर करीब 7-8 ऐसे गुड़ खंडसारी के कारखाने हैं जिनकी हालत ऐसी है कि जितना रुपया उनको देना चाहिए था, उतना रुपया नहीं मिला और दूसरे चंबल बांध नहर से पानी न मिलने के कारण उस क्षेत्र के अंदर गन्ने की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि नुकसान पर नुकसान को सहने करलें, इसलिए गन्ना पैदा करना किसान ने बंद कर दिया। पानी समय पर नहीं मिलता है। जिन किसानों ने शेयर्स खरीदे थे, पैसा लगाया था, वे

Page No.59

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कारखान बिल्कुल बंद पड़े हैं। वे 7·8 गुड़ खंडसारी के कारखाने जिन पर लागत ग्राज किसी पर एक लाख किसी में 50000) लगा हुआ है, किसान ने अपना गल्ला दिया, लेकिन आज तक उन किसानों को पैसा नहीं मिला। एक तो किसानों ने शेयर्स खरीदे दूसरे किसानों को गल्ले का पैसा नहीं मिला। इस तरह किसानों पर दुहरी मार है। या तो सरकार को कारखाने खोलने नहीं चाहिए थे, अगर खोले गए तो उन कारखानों को पैसा देकर सरकार को चलाने चाहिए थे, ये कारखाने सरकार की योजना के आधार पर हो खुले और फिर बंद हो जायं, यह नीति ठीक नहीं है।

कोटा के अंदर एक केवल फैक्ट्री थी। जब उस फैक्ट्री की स्थापना हुई, सरकार ने रॉ-मैटीरियल दिया, इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया और उसके बाद उसने उत्पादन नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस केवल फैक्ट्री ने खुलकर दुरुपयोग किया, ब्लैक मार्केट में माल को बेचा। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री के मालिक उस कारखाने को वहां से बन्द करके पाली डिस्ट्रिक्ट में रायपुर तहसील के ग्राम पिपलिया कलां में ले गये। उस केवल फैक्ट्री की वहां पर स्थापना की। सरकार को चकमा दिया और उस फैक्ट्री के खिलाफ ऑर्डर जारी किया सरकार ने दिनांक 16-12-61 की आज्ञा के जरिये उस फैक्ट्री को सरकार ने ब्लैक लिस्ट में घोषित कर दिया। उसको किसी प्रकार की कन्ट्रोल्ड वस्तुयें और एसेन्शियल सर्टीफिकेट प्राप्त करने की सुविधायें थीं वे समाप्त करदी गईं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये और सरकार ने जब ब्लैक लिस्ट में उसको घोषित कर दिया फिर उसको रॉ-मैटीरियल मिले, इम्पोर्ट लाइसेन्स मिले यह किस कारण से हुआ ? कुछ कारण होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कौनसा कारण था कि केवल फैक्ट्री कोटा में स्थापित हुई थी। उसको रॉ-मैटीरियल मिला, उसने उसको चोर बाजार में बेचकर उत्पादन नहीं किया। उसने सरकार को चकमा दिया। दुबारा पाली में आया और वहां फिर उसने रॉ-मैटिरियल ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के बाद सरकार ने धमकी दी

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। आपका इस पर कट मोशन नहीं है, कृपया इस पर न बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह इससे सम्बन्धित चीज है। इस प्रकार दुरुपयोग होता है यह मैं बताना चाहता था। नीति निर्धारित होती है, जनरल डिबेट···

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप कृपया सदन के सामने कटौती प्रस्ताव पढ़ लीजिये उसके बाद में यह देख लिया जायगा कि यह कहां तक संगत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने इस तरह से कहा है इस तरह की शर्त रखी थी कि विरोधी दल के एक सदस्य को हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से ले आओ····

श्री उपाध्यक्ष : एम० एल० ए० का उद्योगों से कोई सम्बन्ध नहीं है, न कटौती प्रस्ताव से सम्बन्ध है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उस चीज के बारे में उदाहरण दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो दुरुपयोग होता है उस पर रोक लगानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इन कारखानों में मजदूर काम करते हैं उनको बोनस मिलना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : आपने इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं उनको वे ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो कटौती प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किये हैं उन पर उनको बोलना चाहिये उन पर तो वे नहीं बोल रहे हैं किन्तु उन विषयों के ऊपर वे बोल रहे हैं जो मेरे सम्बन्धित नहीं हैं और न ही उनके इन कटौती प्रस्तावों से सम्बन्धित हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मजदूरों को बोनस देने के लिये मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री हरिदेव जोशी : एक है कुटीर तथा लघु उद्योग की गिरती हुई स्थिति पर बहस करने हेतु और दूसरा कटौती प्रस्ताव है हाथकरघा वस्तुओं की बिक्री पर सरकार द्वारा कमीशन न दिया जाना इस पर चर्चा के सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष: उस पर भी है कटौती प्रस्ताव।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप भी जरा मंत्री महोदय देख कर बोलें तो ठीक है, आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन कर रहा था कि मजदूरों को फैक्ट्री में अनिवार्य रूप से बोनस मिलना चाहिये। जहां पर सरकारी उद्योग चल रहे हों वहां पर सरकार को मजदूरों को बोनस देना चाहिये। जिन कारखानों में मजदूर काम कराते हैं वहां पर मजदूर मुनाफे के भागीदार होने चाहिये। आप कहते हैं कि हम पूंजीवाद को नीचा लाना चाहते हैं और मजदूरों को उठाना चाहते हैं। जब सरकार यह कहती है तो फिर सरकार के सामने कौनसी बाधा है? बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज में हजारों मजदूर काम करते हैं, जो मजदूर पापी पेट की भूख को मिटाने के लिये अपने जीवन को खतरे में डालकर काम करते हैं उनको उस कारखाने के मुनाफे में क्यों नहीं हिस्सेदार बनाया जाता है? मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का प्रबन्ध में हिस्सा होना चाहिये वह इस प्रकार की व्यवस्था करें।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मजदूरों के जीवन को खतरा रहता है उस तरफ तो आपको ध्यान देना चाहिये। केलवाड़ा में एक गुड़सारी चलती है। मजदूर मर गया लेकिन उसको कोई कम्पन्सेशन नहीं मिला।

श्री हरिदेव जोशी : टू इन्टरप्ट दी ऑनरेबल मेम्बर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कम्पन्सेशन आदि ये सारी चीजें लेबर डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखती हैं। लेबर लॉज उनको गवर्न करता है, इसमें नहीं आती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट जानबूझकर नहीं करता हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। आप मेरे विभाग से सम्बन्धित बात पूछिये तो मैं उसका जवाब दूंगा। अन्यथा आप यह चाहते हैं कि आप वे बातें कहें जो मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं हों और मैं उनका जवाब दूं यह संभव नहीं होगा अथवा आप यह चाहते हैं कि आप उन बातों को कहते जायें और मैं उनको सुनलूं और उन पर कोई जवाब नहीं दूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुद्दे का पॉइन्ट है। यह ग्रान्ट है गवर्नमेन्ट की। मंत्री महोदय के व्यक्तिगत तबियत की बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : लेबर की बात इन्डस्ट्री के साथ कहेंगे और बिजली की बात इन्डस्ट्री के साथ कहेंगे, भले ही बिजली विभाग मेरे पास हो लेकिन मैं आज उसके लिये तो प्रिपेयर हो कर नहीं आया हूं। इसलिये लेबर से सम्बन्धित बातें जब लेबर डिपार्टमेन्ट पर डिमान्ड हो तो उस समय रखें उसका उचित उत्तर भी मिल सकेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पासिंग रेफरेन्स के तौर पर मुद्दे आते हैं तो मंत्री महोदय की एक जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन के नाते भी उनसे उम्मीद की जाती है। टीम स्पिरिट में काम करते हैं माननीय मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इसके विपरीत बात है और टग आफ वार है और एक दूसरे की गिरावट की बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मांगरोल के अन्दर बुनकरों के लिये कॉलोनी बनायी गयी। 26 घरों की थी। 60-70 हजार रुपया सरकार का खर्च हो चुका है। लेकिन वह कॉलोनी अधूरी पड़ी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 62-63 से जिस कॉलोनी का निर्माण हुआ वह कॉलोनी आज तक अधूरी पड़ी है। सरकार ने अनुदान दिया, ऋण के रूप में दिया वह कॉलोनी क्यों अधूरी पड़ी है? कहां कमी है इसकी जांच होनी चाहिये। उस कॉलोनी में बुनकर आज तक आकर बसे नहीं। सरकार का पैसा लगा। इसकी जानकारी होनी चाहिये।

कोटा में कास्टिक का कारखाना है। सोडे के कारण पानी आता है वह इतना जहरीला होता है और कई बार समाचार पत्रों में भी आया है कि जहरीले पानी के पीने के कारण सैंकड़ों पशु मर गये। वायुमण्डल गंदा होता है और मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मिल मालिक बड़े उद्योगपति होने के कारण आज तक किसी विभाग ने एक्शन नहीं लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से पानी जहरीला हो, मवेशी मरते हों, गैस पैदा हो, गांव का किसान और छोटे से बच्चे यदि अनजान में पानी पीलें और मर जाय यह लज्जाजनक घटना है। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार कोऑपरेटिव मूवमेन्ट की बात करती है। कोटा में सहकारिता के आधार पर

(श्री देवीदत्त गाडिया)

कौनसा कारखाना खोला गया ? क्या सरकार सहकारिता के आधार पर कोई कारखाना नहीं खोल सकती ? कोआँपरेटिव बेसिस पर उस इलाके में कारखाना खुलता तो मजदूरों को रोटी मिलती । नाइलॉन फैक्ट्री चल रही है । हजारों मजदूर काम करते हैं । कोआँपरेटिव बेसिस पर चलती तो जितने मजदूर होते कारखाने के मालिक होते, चोर बाजार में माल मिलता है वह चोर बाजार में माल नहीं मिलता ।

उसका जितना उत्पादन होगा उससे जितना मुनाफा होगा उसका हकदार होगा ।

कारखाने में मजदूर जब अपनी न्यायोचित मांग को लेकर हड़ताल करता है तो सरकारी अधिकारी ध्यान नहीं देते और बड़े बड़े उद्योगपतियों और कारखानेदारों का पक्ष लेते हैं ।

इसलिये निवेदन करूंगा कि ज्योंही हड़ताल हो, त्योंही सरकार तुरन्त एक्शन ले और ऐसा करे कि आइन्दा वैसी नौबत नहीं आये और इसके लिये ऐसा किया जाय कि भविष्य में जो भी कारखाने खोले जावें वे कॉओपरेटिव बेसिस पर खोले जावें तो अच्छा रहेगा ।

श्री उपाध्यक्षः श्री शिवचरणलाल माथुर ।

श्री शिवचरण माथुर (मांडल): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो विवाद उपस्थित है, मैं जब उन मांगों को देख रहा था तो मुझे मालम पड़ा कि उद्योग विभाग ने इस सदन से 57 लाख 65 हजार रुपयों की नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर के लिये स्वीकृति चाही है और प्लान एक्सपेन्डीचर में करीब 19 लाख की मांग की गई है ।

मैंने विस्तार से इन मांगों को देखने की कोशिश की । इन मांगों में खास तौर से एक बात मालूम पड़ी कि इन सब मांगों में जो उद्योग विभाग से खर्चा होता है वह अधिकारियों की तनखा, उनके भत्ते और महंगाई और दूसरे ऑफिस के खर्चे उसमें सम्मिलित हैं ।

मैं समझ सकता हूं कि आखिर उद्योग विभाग को चलाने के लिये कुछ अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ और लोगों की भी जरूरत होगी पर उसकी क्या नीति है । क्या प्रोस्पेक्टिव है हमारे राजस्थान के उद्योग विभाग के । कैसे उद्योग चलाया जावे, इस बारे में क्या नीति है तो ऐसा संकेत कहीं से नहीं मिलता कि वे राजस्थान को किधर ले जाना चाहते हैं ।

जब देश आजाद हुआ तो 52 से हमारे देश की आर्थिक उन्नति के लिये योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ने की नीति को माना गया और सभी क्षेत्रों में योजनाओं के द्वारा आगे बढ़ने का सिद्धान्त हमारी योजनाओं का मूलाधार माना गया । 52 में पहली योजना शुरू हुई और इसके बाद तीन योजनायें हम पूरी कर चुके । चौथी योजना का एक साल समाप्त हो चुका है ।

इन तीनों का इतिहास देखें तो मालूम होगा कि 56 में इन्डस्ट्रियल रिजोल्यूशन भारत सरकार ने पास किया ।

उसकी ओर दृष्टि डालें तो हमें साफ मालूम होगा कि हमने हमारी

(श्री शिवचरण माथुर)

नीतियों को तीन बातों पर निर्धारित किया है । पहली नीति यह है कि ऐसे मूलभूत उद्योग चालू किये जाएं जिसका सीधा सम्बन्ध सरकार से रहे क्योंकि उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है जैसे स्टील, बड़ी बड़ी इन्जीनियरिंग मशीनें, टूल्स और बड़े बड़े कारखाने जिनमें बहुत बड़ी लागत की आवश्यकता होती है और जिनको स्ट्रेटेजिक इन्डस्ट्री भी कह सकते हैं । ऐसी इन्डस्ट्रीज सरकार अपने हाथ में ले । और कुछ कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज, मीडियम इन्डस्ट्रीज प्राईवेट सेक्टर में रहे । तीसरा जिनको लघु उद्योग के नाम से कहा जाता है उनका बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकरण के आधार पर छोटे छोटे लोगों में बांटने की बात कही गई है ।

अब यदि हम इन तीनों का विश्लेषण करें और यह जानना चाहें कि क्या हमने इन तीनों में अपने टारगेट्स जो हमने तय किये थे एचीव कर लिये हैं तो इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि जहां हम जाना चाहते थे आज वहां पर नहीं जा पाये हैं ।

बड़े उद्योगों की बात कहूं तो जहां हमें 10 मिलियन टन के टारगेट्स प्राप्त करने थे, वहां हम 6·2 मिलियन टन ही प्राप्त कर सके हैं और आज भी स्टील का उद्योग अपूर्ण अवस्था में है ।

रहा सवाल कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज में उनमें भी ऐसी स्थिति है और यही हाल लघु उद्योगों का है ।

लघु उद्योगों के बारे में बड़े जोरों से कहा गया था कि इन्हें काफी पनपाना हैं क्योंकि इनमें बड़ा महत्व इस बात का है कि इनमें लेबर काफी लगती है । इनमें आदमियों को काम देने की सबसे अधिक क्षमता होती है । अब अगर इसके आंकड़े देखें तो दूसरी योजना के आंकड़ों से पता लगेगा कि लघु उद्योगों में 80 लाख आदमियों को काम पर लगाया गया । इसके अलावा इन पर आश्रित ट्रेड में 6·30 हजार आदमियों को लगाया गया ।

इसी प्रकार से 86 लाख आदमियों को इससे लाभ मिला । जबकि इन सारे उद्योगों पर पूंजी की लागत केवल छसौ सात सौ करोड़ थी ।

इसके मुकाबले में बड़े उद्योगों में चार हजार करोड़ की लागत लगी हुई है इसमें से 2700 करोड़ की लागत तो सरकारी सेक्टर में स्टील आदि पर लगी है और 13 करोड़ दूसरों पर है । तो कुल चार करोड़ की लागत पर चलने वाले उद्योगों ने केवल 60 लाख आदमियों को काम पर लगाया है । इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि छोटे उद्योग से कितना अधिक काम मिलता है और उनके मुकाबले में बड़ों में नहीं मिलता ।

आज राजस्थान की स्थिति तो और भी दयनीय है । पावर लूम इन्डस्ट्री की मैं बात बताना चाहता हूं । इसके बारे में पहले आम तौर से माना जाता था कि जुलाहों की कॉआपरेटिव सोसाटियां ही यह काम करें और राजस्थान में कुल मिलाकर सौ दो सौ मुश्किल से हुआ करती थीं पर अशोक मेहता के नेतृत्व में कमेटी बिठाई गई और उसने यह बतलाया कि आज पावर लूम सैक्टर में यहां इतनी गुंजाइश है कि कॉआपरेटिव सोसायटियों के

(श्री शिवचरण माथुर)

अतिरिक्त कुछ और भी लोग व्यक्तिगत आधार पर इसमें आवें तो उनका स्वागत किया जाना चाहिये।

इस पर भारत सरकार ने अलग अलग स्टेटों को पावर लूम देने का निश्चय किया। राजस्थान में, मुझे याद है, संसद् में भी मैंने कहा था और मनुभाई शाह से भी बात की थी कि राजस्थान की हैसियत को देखते हुए 6 हजार पावर लूम यहां दिये जाने चाहिये।

पर उन्होंने तीन हजार दिये। पर आज इनकी भी स्थिति क्या है ? कुछ लोगों ने मशीनें लगाकर रख दीं, पर पावर बिजली के नहीं मिलने के कारण वे डैड लूम पड़े हैं, लकड़ी के ढांचे मात्र हैं।

भीलवाड़े की मुझे मालूम है, वहां 60 पावर लूम लग चुके हैं पर पावर के अभाव में आज वे चालू नहीं हो पा रहे हैं। यही स्थिति कमी वेश सारे राजस्थान भर की है।

मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में आजादी के बाद के दिनों में जितनी टैक्सटाइल इन्डस्ट्री लगी वे सभी स्पिनिंग मिलें लगी है। सूत कातने के कारखाने लगे हैं। उनकी आज यह स्थिति है कि सूत का अगर उपयोग नहीं किया गया ठीक तरह से तो स्लम्प आने वाला है।

आवश्यकता इस बात की थी कि स्पिनिंग मिल लगाने के साथ साथ डिसेन्ट्रोलाइजेशन के आधार पर पावर लूम अलग अलग कस्बों में लगाये जाते और उनको पूरी बिजली दी जाती। पर खेद है कि पावर के अभाव में 3 हजार का कोटा जो राजस्थान को मिला वह भी बेकार पड़ा है, अन्त में भारत सरकार यही कहेगी कि उनका उपयोग आप नहीं कर सके हैं, इसलिये उसे लैप्स करते हैं।

उद्योग मन्त्री से कहना चाहूंगा कि बिजली का वे प्रबन्ध करें। बिजली की बात पर वे कहेंगे कि बिजली का ताल्लुक उद्योग विभाग से नहीं है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के अभाव में कोई उद्योग चलना सम्भव नहीं है। बिजली और उद्योग का तो चोली दामन का सम्बन्ध है।

आप भले ही दूसरे क्षेत्रों में विकास की बातें करिये। दस साल बाद बिजली आई तो इतने दिनों में तो हम काफी पिछड़ जावेंगे।

लेकिन यदि आप औद्योगिक विकास की बात कहेंगे तो बिजली की बात सबसे पहले लेनी होगी। मुझे दुख है कि आज राजस्थान में बिजली की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम यदि बिजली की बात कहें तो सबसे पहले हमारे सामने बात आई कि गांधीसागर की बिजली यहां पर लाई जाये। हाईडल पावर राजस्थान में आयेगी और उसकी कैपेसिटी कुल मिलाकर 350 मेगावाट की हमारे राजस्थान में आंकी गयी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में यह नियम है, यह आधार है कि हाईडल पावर से जो बिजली पैदा होने वाली है उसको हम कोई स्थाई रूप से नहीं दे सकते। जब आपको दूसरी बिजली के साधन अधिक उपलब्ध हो कभी बहुत लोड की आवश्यकता हो तब आप हाईडल पावर को काम में लें तो वह बात समझ में आ सकती है लेकिन राजस्थान में स्थिति बिल्कुल डिफरेन्ट है। इसके अलावा यदि मैं थर्मल पावर की बात कहूं हालांकि मुझे पूरे

(श्री शिवचरण माथुर)

आंकड़े याद नहीं हैं लेकिन मैं मानता हूं कि थर्मल पावर राजस्थान में मुश्किल से 40 मेगावाट से अधिक राजस्थान में थर्मल पावर उपलब्ध नहीं है और उसके मुकाबिले में राजस्थान को बिजली या तो भाखरा से मिलती है या चम्बल से मिलती है या और दूसरे हाईडल सोर्सेज से मिलती है। उसका नतीजा यह है कि आज राजस्थान में हाईडल पावर की कमी आने के बाद में, बांधों में पानी कम होने के कारण राजस्थान के सारे उद्योग धन्धे ठप्प पड़े हैं। हजारों छोटे मोटे उद्योग जोकि इन्डस्ट्रियल एस्टेट में लगे हुए हैं उनकी स्थिति यह है कि बिजली की वजह से सारे उद्योग ठप्प पड़े हैं और लाखों और करोड़ों रुपये की लागत जो लोगों ने वहां इन उद्योगों में लगा रखी है वह बिल्कुल ठप्प पड़े हैं और उनको नुकसान हो रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यदि आपको राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में सोचना है तो आप एक योजना के आधार पर उसका विकास करने की बात कीजिए तब तो निश्चितरूप से आप राजस्थान को कुछ दे सकेंगे और इस संबंध में मैंने....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन कटौती प्रस्तावों के जरिये से दो तीन बातें कहने का निश्चय किया है और वह यह है कि आज राजस्थान इस बात को दृढतापूर्वक सोचे कि यहां राजस्थान में जो भी औद्योगिक तरक्की हुई है उसको देखते हुए हमें भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि यहां पर अधिक से अधिक सहायता उद्योगों के लिए दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग प्रान्तों में करोड़ों रुपयों की धनराशि उद्योगों पर खर्च की है। भिलाई का कारखाना जो मध्य प्रदेश में है उसमें भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की, उड़ीसा में रूरकेला का कारखाना स्थापित किया जहां 350 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुरा कारखाना लगाया जहां 250 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई और इसी प्रकार रांची में हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना लगाया जिसमें भी लगभग 150-200 करोड़ की धनराशि लगाई है और इन सबके मुकाबिले में राजस्थान में उद्योगों की स्थिति देखें तो यहां पर कोटा में केवल इन्सट्रूमेन्टेशन फैक्टरी स्थापित की है जिसमें 8-9 करोड़ रुपये ही लगा पाये हैं। तो मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से और उद्योग मंत्रीजी से कि वह भारत सरकार पर दबाव डालें और कहें कि यह हमारा हक है कि जब आपने दूसरे प्रान्तों के लिए इतना किया है तो राजस्थान में भी कोई न कोई बड़ा उद्योग देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत बड़े उद्योगों को लगाने की सम्भावना नहीं है। मैं मानता हूं कि राजस्थान की औद्योगिक नीति का आधार यह है कि जो खेती की चीजों में लगने वाली इन्डस्ट्रीज हैं वह होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की इकानामी का बेस एग्रीकल्चर है और यदि यह बात आप लेंगे तो आपको साफ मालूम होगा कि हमें मांग करनी चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए कि जो उद्योग कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीयली बेस्ड हैं या जो हमारी खनिज सम्पदा पर निर्भर हैं वह यहां राजस्थान में उद्योग लगने चाहिए। राजस्थान में आज काफी बड़े पैमाने पर

Page No.66

(श्री शिवचरण माथुर)

कॉटन पैदा होती है। राजस्थान में करीब 3 लाख गांठ रूई की पैदा होती है और उस आधार पर यदि हम उद्योगों की बात सोचें तो कम से कम यहां राजस्थान में 20-30 ऐसी टैक्सटाइल यूनिट्स लग सकती हैं जो कि केवल राजस्थान की रूई के ऊपर ही आधारित हो सकती हैं। आज भारत सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के मसविदे में ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तय किया है कि वह कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज को भी अपने हाथ में रखेगी और उसमें भी दखल रखेगी और राजस्थान सरकार को भी कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज के लिए भी अपना दखल रखना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी डोमीनेटिंग पोजीशन बनानी चाहिए कि प्राईवेट सेक्टर वाले प्राईसेज के मामले में बहुत कुछ उखाड़ पछाड़ नहीं करें और कन्ज्यूमर्स को उनकी दया पर निर्भर नहीं रहना पड़े। यदि सरकार कन्ज्यूमर्स सेक्टर में इस स्थिति में है कि प्राईसेज पर प्रभाव डाल सके तो निश्चित बात है कि उसका एक बहुत फार रीचिंग ईफेक्ट होगा हमारी इकानामी पर और हमारी सोशियल नीतियों पर। आज यदि भारत सरकार या राजस्थान सरकार कोई उद्योग चलाती है तो उसका एक सोशियल आस्पेक्ट भी है, वहां पर अच्छी वर्किंग कन्डीशन्स देती हैं और अच्छी तनख्वाह देती हैं और यदि किसी इन्डस्ट्री में डोमीनेटिंग स्थिति में होते हैं तो उसका असर प्राईवेट सेक्टर पर भी पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज में राजस्थान सरकार बड़े पैमाने पर आये भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में तय किया है कि कॉटन की 25 मिलें कॉआपरेटिव सेक्टर और स्टेट सेक्टर में लगेंगी। मैंने जैसा कि पिछली बार बताया कि जो भारत सरकार ने राजस्थान के प्रति उपेक्षा बरती है उसको देखते हुए हमें तो मांग करनी चाहिए कि 25 मिलों में से कम से कम 12 मिलें राजस्थान में लगनी चाहिए और इसमें से 6 मिलें तो कोऑप-रेटिव सेक्टर में लगें और 6 मिलें सरकारी सेक्टर में लगें। प्राईवेट सेक्टर में इनको लगाने की कोई बात सामने नहीं आती। क्योंकि आज जितनी भी मिलें प्राईवेट सेक्टर में लगी हैं वह अधिकतर राज्य सरकार के पैसे से लगी हुई हैं या फिर उसमें भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है। आप अन्दाजा लगायें कि यदि कोई एक करोड़ रुपये का प्लान होता है तो उसमें से मुश्किल से जो एन्टरप्रिन्योर है जो पूंजीपति है वह अपनी पूंजी 5-6 लाख लगाता है और बाकी 8-10 लाख रुपये वह शेयर्स से इकट्ठा करता है, 30-35 लाख रुपये वह फाइनेन्शल कॉर-पोरेशन से लेता है और कुछ मशीनों के अगेन्स्ट में लोन ले लेता है और एक बड़ा उद्योग लगा लेता है। जिसका फायदा कुल उसीको मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि दूसरों को नहीं मिलता-मजदूरों को भी मिलता है और शेयर होल्डर्स को भी मिलता है, लेकिन इनको कम मिलता है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूंजीपति को मिलता है इनके मुकाबले में। मैं देखता हूं कि जब कि सरकार का 60 परसेन्ट पैसा लगता है तो सरकार क्यों नहीं कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्री में भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगाये

(श्री शिवचरण माथुर)

और इसमें दखल करे और अपने यहां राजस्थान में मिलों की स्थापना करे। और भीलवाड़ा में एक बार दो साल पहले एक मिल शुरू की गयी थी गुलाबपुरा में और यहां पर कॉटन मिल की बात की गई थी। उसके बारे में मुझे याद है कि काफी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दिलचस्पी ली गई थी कि यह हमारे यहां हो। 5 लाख रुपये के शेयर्स भी वहां के किसानों ने इकट्ठे करने की बात की और फिर वहां पर पैकेज प्रोग्राम भी चला लेकिन अब स्थिति यह आ गई है सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी है। मैं नहीं कहता कि एक उद्योगपति एक करोड़ की पूंजी इकट्ठी कर लेता है लेकिन एक सहकारी आधार पर चलने वाली मिल जिसमें पैसे की कमी की बात लेकर आप चलना चाहते हैं। मैं कहता हूं इन कटौती प्रस्तावों के जरिये से कि गुलाबपुरा में जो कॉटन मिल लगाने वाली बात है उसको आप जल्दी से जल्दी लें। इसके अलावा मांडल में शुगर फैक्ट्री की बात की जा सकती है क्योंकि वहां पर काफी बड़े पैमाने पर गन्ना होता है। फिर यह इलाका 60 हजार काटन की गांठें पैदा करता है और मैं कहता हूं कि यदि 4 मिलें टैक्सटाइल की और खोली जायं तो हमारे जिले की क्षमता रूई के मामले में इतनी है कि अपने यहां की उपज ही इन मिलों के लिए पर्याप्त होगी। भीलवाड़ा को कॉटन के पैकेज प्रोग्राम में भी लिया था।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल को केवल एक घंटा दिया गया था और अभी 6 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट भी नहीं दिये जा सकते। मैंने 4 दफा घन्टी बजा दी है शीघ्र समाप्त करें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं अपनी बात तो समाप्त करूंगा।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज भीलवाड़ा जिले की 4 और अधिक टैक्सटाइल यूनिट्स लगाने की क्षमता है। वहां पर 60 हजार गांठ अच्छी रूई की उत्पादन होती है और उसको पैकेज प्रोग्राम में भी लिया गया था। उस हालत में लोंग स्टेपल फाईबर पैदा होती है यदि वहां पर 4 सरकारी क्षेत्र में मिलें लगाई जायें—मैं नहीं कहता कि प्राईवेट सेक्टर में लगें। मैं मानता हूं कि वहां पर कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र में लगे तो भीलवाड़ा बहुत उपयुक्त स्थान है।

मैं यह भी मानता हूं कि उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में जो चयन किया जाता है उस समय उस स्थान की क्षमता को भी देखना पड़ता है। कहीं अधिक रूई का उत्पादन होता है तो वहां पर कॉटन मिल लगाई जाती है। जहां पर खनिज का अधिक उत्पादन होता है तो वहां पर मिनरल डवलपमेंट इण्डस्ट्रीज लगाई जाती हैं। राजनैतिक आधार पर या दूसरे किसी आधार पर यह

(श्री शिवचरण माथुर)

उद्योगों को चालू करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। राजस्थान सरकार ने पिछली तीन चार योजनाओं में जो 13-14 स्पीनिंग मिल्स यहां लगाई हैं वे उनकी क्षमता को देखकर ही लगाई गई हैं। जहां पर रूई का उत्पादन होता है उसके अनुसार ही टेक्सटाइल मिल्स लगाई गई हैं। किशनगढ में टेक्सटाइल मिल लगाई गई है, भीलवाड़ा में लगाई है, उदयपुर में लगाई है लेकिन बिसाऊ में नहीं लगाई, झुंझुनू में नहीं लगाई क्योंकि यहां पर ऐसी कण्डीशन्स नहीं थीं, कॉटन की कमी थी, इसलिए वहां पर टेक्सटाइल मिल लगाने की बात नहीं हो सकती थी। मैं यह राजस्थान सरकार को निवेदन करता हूं कि कंज्यूमर इण्डस्ट्री के मामले में वह बहुत बड़े पैमाने पर बीच में आए ताकि राजस्थान का सही रूप में औद्योगिक विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मैंने दो बातें कही हैं। एक तो गुलाबपुरा में स्पीनिंग मिल के बारे में और दूसरी कंज्यूमर इन्डस्ट्री राजस्थान में बड़े पैमाने पर लगाने के बारे में। इन दोनों ही विषयों पर आप ध्यान दें और इसके साथ साथ आप राजस्थान की औद्योगिक प्रगति में योगदान दें। आप इन दोनों बातों की ओर ध्यान दें और जब आप अपना जवाब दें तो इन दोनों बातों को अपने जवाब में सम्मिलित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उद्योग के ऊपर एक कटौती का प्रस्ताव है कि टोंक खास में उद्योग नहि होने पर वहां बेरोजगारी हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं......

श्री भैरोंसिंह : मालपुरा में तो है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं मालपुरा की बात नहीं कर रहा हूं, टोंक के लिए कह रहा हूं और इसलिए स्पष्ट कराना चाहूंगा कि मालपुरा में होगा या टोंक में। आप वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के भाषण के दौरान में यह कहा था कि टोंक के अन्दर जल्दी ही एक चमड़े का कारखाना खोल दिया जायगा। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से पन्द्रह साल से लगातार जब जब भी इन उद्योगों का प्लानिंग किया गया उस समय से आज दिन तक टोंक की हमेशा उपेक्षा की जाती रही, क्योंकि जब कभी भी इस सम्बन्ध में सवाल किया गया कि टोंक के अन्दर बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए वहां पर उद्योग स्थापित किये जायं क्योंकि वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है और वहां के लोग-बाग उस बेरोजगारी से नितान्त परेशान हैं। तो इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से यह कहा गया कि वहां पर कोई उद्योग, किसी भी इण्डस्ट्री को लगाने का प्रावधान नहीं है। आपकी सरकार वहां पर कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, कि अचानक इस चुनाव के बाद एकदम से यह शौक वहां पर चमड़े की इण्डस्ट्री को लगाने का किस प्रकार उत्पन्न हुआ। मैं मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा और उनसे स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि यह जो उद्योग

(श्री दिग्विजय सिंह)

वहां टोंक में लगाने जा रहे हैं वह प्राईवेट सेक्टर में लगाया जाएगा या उसे पब्लिक सेक्टर में लगाया जायगा और इस उद्योग को जो लगाने की योजना है वह इस वर्ष के अन्दर चालू की जायगी या उसको अभी तक लगाने की तारीख या कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। क्योंकि यह हो सकता है कि चूंकि बाई-इलेक्शन वहां पर होने वाला है तो उसको दृष्टि में रखकर, बाई-इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इसको घोषणा करदी हो और बाई इलेक्शन के समाप्त होने पर और वहां के वोट प्राप्त करके फिर उनको अंगूठा बता दें। इस सम्बन्ध में मैं मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि वे इसकी स्पष्ट घोषणा करें कि इस चमड़े के कारखाने को लगाने की जो स्कीम बनाई है उसको अवश्य कार्यान्वित करेंगे और यह कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट अटेन करने की बात नहीं है। मैं अधिक न कहकर और मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करूंगा कि टोंक के अन्दर जो चमड़े का कारखाना लगाने की घोषणा वित्त महोदय मंत्री ने की है, माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय उसको पूर्ण करेंगे और इस वर्ष के अन्दर उसको पूरा कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मालपुरा में चमड़ा ज्यादा होता है या टोंक में ज्यादा होता है यह तो बता दो।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो मंत्री महोदय बतायेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द (अग्रवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव उद्योग की मांगों के सम्बन्ध में पेश किए हैं। सबसे पहले आपके द्वारा मैं राजस्थान सरकार की औद्योगीकरण के प्रति उदासीनता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में उद्योगों के प्रति जो सरकार की नीति प्रारम्भ से रही है, उसको केवल एक औपचारिक रूप मात्र में इस विभाग को रखकर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जो भी प्रगति इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में नजर आती है यदि उसको ऑल इण्डिया पैमाने से मुकाबला करके देखें तो जो सम्भावना हमारे प्रान्त में जो मैटिरियल उपलब्ध है उनके रूप में देखें और तीन पंचवर्षीय योजनाओं के खत्म होने और चौथी पंचवर्षीय योजना में आज भी हम कहां खड़े हैं, इन तीन पंचवर्षीय [illegible] धनराशि अलग [illegible] और आज औद्योगिक [illegible] त की आय कितनी है [illegible] को यदि देखें तो, उपाध्यक्ष महोदय यह पता लगेगा कि हम वास्तव में इस देश को जोकि उन्नति का आगे विकास का हमारा एक बड़ा रास्ता है उसको तरफ ले जाने में वास्तव में उदासीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जितना धन उद्योगों में लगाया, लार्ज स्केल इण्डस्ट्री पर तो कुछ भी नहीं लगाया, स्माल स्केल इण्डस्ट्री पर कुल 45 लाख रुपया लगाया और सैकिन्ड फाईव ईयर प्लान में हमने जितनी धनराशि लगाई उसका केवल 3·39 परसेंट हमारा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जितना सेकिंड फाइव ईयर प्लान का खर्चा था उसमें से उद्योगों में केवल 3·39 परसेंट खर्चा किया है । और थर्ड फाइव ईयर प्लान में वह उल्टा जाकर और भी घट गया है । 1·56 परसेंट ही रह गया है । तो इस तरह से जहां ऑल इण्डिया में यह परसेंट जितना अधिक है, 9 परसेंट है अकेले बड़े उद्योगों में ही नहीं, हमारे छोटे उद्योग और मीडियम उद्योग, कुल मिला कर 1·56 परसेंट है । आज यदि बड़े उद्योगों को लें तो बड़े उद्योगों की स्थिति तो और भी खराब है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों पर हमने कुछ भी खर्च नहीं किया । सेकिंड फाइव ईयर प्लान में केवल 0·01 परसेंट धनराशि खर्च की और थर्ड प्लान में 0·18 परसेंट बड़े उद्योगों में खर्च हुआ । और इससे जो आमदनी है उसमें सन् 54-55 में हमारे यहां [illegible] जितनी प्राप्त की [illegible] बड़े उद्योगों से 8·25 [illegible]गों से 15 परसेंट है वह बढ़ी न[illegible] दौरान में, बल्कि उल्टे थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद वह घटकर 1·82 परसेंट और 12·57 परसेंट होती है जो करीब 14 प्रतिशत आती है जोकि हमारी कुल आमदनी का हिस्सा रह गया है । उपाध्यक्ष महोदय, जितनी अगर रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं उनको दृष्टि से देखें तो राजस्थान, हिन्दुस्तान में, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे प्रान्त में, जो बहुत बड़ी इण्डस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनसे मुकाबला न करें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र इनसे मुकाबला न करके यदि अपने पड़ोसी प्रान्त मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात और पंजाब इनसे मुकाबला करें तो पता लगेगा कि हम कहां खड़े हैं । रजिस्टर्ड फैक्ट्री हमारे 60-61 के बेसिस पर पंजाब 6·9 परसेंट, गुजरात 7·6 परसेंट, बिहार 11·5, परसेंट उत्तर प्रदेश 5·4 परसेंट, मध्यप्रदेश 3·9 परसेंट और राजस्थान केवल 1·8 परसेंट हिस्सा, सारे हिन्दुस्तान का केवल इतने परसेंट हिस्सा हमारी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज का है ।

उपाध्यक्ष महोदय, तो यह सारा कारण मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का उद्योगों के प्रति एक सही दृष्टिकोण नहीं होने का है और केवल अपने आप उद्योगपति आ जायें या अपने आप लगा जाय उद्योग इस तरह का दृष्टिकोण रहा है । मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्थान सरकार जब तक खुद दिलचस्पी नहीं लेकर स्टेट सेक्टर, राजकीय क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देकर और काम नहीं करेगी तब तक सही तौर से राजस्थान का औद्योगीकरण नहीं हो सकता । राजस्थान सरकार के सामने कितने ही ऐसे मौके आये हैं फर्टीलाईजर प्लान्ट लगाने का था । इसका राजकीय क्षेत्र में प्रश्न पैदा हुआ पहले, लेकिन वह न तो राजकीय क्षेत्र में लगा और अब प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं लग रहा है । पहले हनुमानगढ़ में लगाने की बात थी और अब कोटा में लगाने की बात है । कोटा में भी लगाने की बात खत्म हो गई मालूम पड़ती है ।

इसी तरह से पलावा लिगनाइट के बारे में कितनी ही बार गवर्नमेन्ट ने कमेटीज मुकर्रर करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
फोरेन कन्ट्रीज से बातचीत की । अगर पलाना लिगनाइट का ओपन कास्ट माइनिंग किया जाय तो इसके साथ और भी कई इण्डस्ट्रीज लग सकती हैं । दूसरे कन्ट्रीज में खास तौर से ईस्ट जर्मनी में लिगनाइट बेस्ड इण्डस्ट्रीज है । इस बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान बिल्कुल खामोश बैठी है । थोड़ा बहुत नाम चाहने के लिए, यहां पर जवाब देने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन इतने अर्से के बाद भी कॉन्क्रीटली कोई प्रोपोजल उसने रखकर और अभी तक उस पर काम होने की बात नहीं हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का अगर औद्योगीकरण हमको करना है तो गवर्नमेन्ट की नीतियों के कारण क्या खामियां हैं ? हमारे पास राजस्थान में जहां कि हमारे पास बहुत से मिनरल्स निकलते हैं, एग्रीकलचर प्रोडक्ट भी हैं, हमारे पास वन सम्पदा भी हैं, लेकिन कुछ खामियां भी हैं, उनकी तरफ गवर्नमेन्ट को ध्यान देना चाहिये ।

नम्बर 1, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा हेंडीकेप राजस्थान में है वह ट्रान्सपोर्ट का है । हमारे पास ब्राडगेज नहीं है, केवल दिल्ली से बम्बई-भरतपुर और कोटा होकर जाती है यह लाईन ब्राडगेज निकलती है । दूसरी स्टेट्स हैं जहां से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां पर ब्राडगेज है । जो मीटरगेज के स्टेशन्स हैं वहां से ट्रान्सपोर्ट करते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा आ जाता है, या उधर से कोयला वगैरह, और चीजें मंगाने में दिक्कत होती है तो विशेषतौर से हमको गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को प्रेस करना चाहिये इस बात के लिये कि ब्राडगेज लाइन राजस्थान के अन्दर लाई जाय । और पहले कोई प्लान ऐसा था कि राजस्थान नहर क्षेत्र में जो नया कोलोनाइजेशन हो रहा है तो बोर्डर एरिया के डिफेन्स की दृष्टि से भी और राजस्थान के विकास की दृष्टि से भी ब्राडगेज लाइन की उधर जरूरत थी, और इधर दिल्ली-भरतपुर से सवाई माधोपुर-जयपुर, अलवर इस एरिया को सारे को ब्राडगेज लाइन से कनेक्ट कर दिया जाय तो राजस्थान में आउटलेट निकल सकता है और यह जो कमी है यह पूरी हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह पावर की कमी एक बड़ा कारण रही है, हेन्डीकेप रहा है । अभी तक जो पावर पोटेन्शियल बना है राजस्थान सरकार जिस तरह की नीतियां अपनाती है उन नीतियों के कारण बहुत से औद्योगीकरण को हमने खो दिया है अपनी गलती की वजह से । मैं निवेदन नहीं कर सकता कि क्या क्या पोलिटिकल प्रेशर्स गवर्नमेंट के ऊपर थे कि जो कोटा में चम्बल प्रोजेक्ट की पावर हमने कोटा की एक फर्म को सोडा कास्टिक के लिए दी है वह इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए दी है कि वहां पर जितनी पावर पैदा होती है चम्बल की उसका 50 परसेन्ट है । यह केवल एक उद्योग के लिए सुरक्षित कर दी गई है । उससे कितने राजस्थान के औद्योगिक विकास को बन्द करके रख दिया । इसका अन्दाजा अगर

(श्री रामानन्द ...) ... आज गवर्नमेंट लगाये तो मैं समझता हूं कि उनको अपनी गलती महसूस करनी पड़ेगी। आज राजस्थान में पहले ही पावर की इतनी कमी थी कि उसमें जहां जैसे भी पैदा हुआ उसको इस तरह से खर्च कर दिया इस तरह की नीति आम तौर पर गवर्नमेंट की चलती है जिसकी वजह से हमारे विकास का रास्ता रुकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके अलावा गवर्नमेन्ट की पालिसी मोनोपोलिस्ट् को एन्करेज करने की है। सामान्य उद्योग वालों को फाइनेन्शियल एड देकर, पावर के अन्दर उनको मदद देकर उद्योगों की स्थापना कराये, लेकिन ऐसा नहीं करके जितना बड़ा उद्योगपति है उसको उतने ज्यादा कन्सेशन, उसको ज्यादा लोन, उसको ज्यादा फाइनेन्शियल मदद, उसको गारन्टी, यह गवर्नमेन्ट की नीति चलती है। इसके कारण कुछ लोग जो लाइसेन्स इधर उधर से बटोरने में इन्ट्रेस्टेड हैं वे ही कुछ जम पाये हैं और साधारण लोग जम नहीं सकते। ऐसे मोनोपोलिस्टों को यदि बिहार में ज्यादा बढ़िया चान्स मिल जायेगा तो यहां का लाइसेन्स जेब में रखेंगे और दूसरी जगह इन्डस्ट्री लगा लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को मोनोपोलिस्टों को ज्यादा एन्करेज करने के बजाय जो सामान्य लोग हैं, इन्ट्रेस्टेड हैं, ज्यादा फंसे हुए नहीं हैं, ऐसे लोगों को एन्करेज करना चाहिए जिससे यहां के उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक खामी यह ही है कि हमारी गवर्नमेन्ट राजस्थान की ... यहां की इन्डस्ट्रीज से खरीदी के मामले में उनकी चीजें लेने के बारे में पेट्रोनाइज नहीं करती है, और इस कारण से जो एक स्टेट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए खास तौर पर इस बेकवर्ड स्टेट में वह नहीं मिलती उसकी वजह से कुछ इन्डस्ट्रीज पनप नहीं सकती।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हमारी फिस्कल पालिसी भी इस किस्म की है, हमारी टैक्सेशन की नीतियां भी इस किस्म की हैं कि जिसकी वजह से हमारे प्रान्त की इन्डस्ट्रीज कम्पीटीशन में खड़ी नहीं रह सकती हैं हमारे पड़ौसी प्रान्तों के मुकाबले में, और इस कारण या तो रा मैटिरियल एक्सपोर्ट होने लगता है और यहां की इन्डस्ट्रीज नहीं जम पाती। वहां के कम्पीटिशन में हमारी इन्डस्ट्री खड़ी नहीं रह सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी मिसाल दी थी। माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा और वित्त मंत्रीजी भी बैठे हैं और दोनों का इससे ताल्लुक है ऑइल इन्डस्ट्री का जिक्र मैंने पहले किया था। आइल इन्डस्ट्री खास तौर से हमारे क्षेत्र में, अलवर में, जहां कि आइल सीड्स सबसे बड़ी कृषि उपज है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस आइल इन्डस्ट्री को ख्याल में रखा जाय तो उस पर एक पर्सेन्ट खरीद पर मिल ऑनर को सेल्स टैक्स देना पड़ता है। तेल बनाने के बाद 5 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स तेल के ऊपर देना पड़ता है, फिर जो खरीदकर बाहर भेजते हैं उनको 3 पर्सेन्ट सेन्ट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता है, तो इस तरफ से 9 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स

(श्री रामानन्द ...ल)

हो गया, और अभी 2 पर्सेन्ट था सेल्स-टैक्स सरसों पर तो ढाई मन सरसों के अन्दर एक मन तेल निकलता है तो 5 रुपये उसके लगते हैं। इस तरह से 4 रुपये का हैन्डीकेप तेल निकालने वाले पर रहता है। तो ऐसी हालत में ग्राइल इन्डस्ट्री पनप नहीं सकती। इसका नतीजा यह हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जितने आइल मिल थे हमारे यहां वे लगभग एक दो को छोड़कर बन्द पड़े हैं। उनका मार्जिन उस में नहीं रहता है। पहले एक्साइज ड्यूटी वगैरह में कन्सेशन रहने से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ उद्योगों को कन्सेशन दिये थे उस बिना पर चलते थे, वे सब अब विथ्ड्रा हो गये हैं तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को इस तरह से अपनी फिजल पालिसी एडजस्ट करना चाहिए, और विशेष तौर से कुछ इन्डस्ट्रीज जो पहले पनप रही थीं, किन्तु अब नहीं पनप रही हैं तो इसके लिए एक एन्क्वायरी कमेटी बिठाना चाहिए और एन्क्वायरी कमेटी बिठाकर यह पता लगायें कि इस तरह के मेजर्स हैं जो कि रास्ते को रोके हुए हैं तो उसकी सिफारिशों पर, उसकी रिपोर्ट के बाद, इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए ताकि यह उद्योग पनप सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ अलवर जिले के अन्दर इन्डस्ट्रीज थीं 1947 में जब हम विलय हुए, और आज 20 वर्ष के बाद राजस्थान बनने के बाद आज यह स्थिति है कि जितने भी उद्योग धन्धे सन् 1947 में थे, जितनी चिमनियों से धुआं निकलता था 47 में, आज वे सब बन्द हो गई हैं।

(2 म. प.)

20 वर्ष की आजादी का अलवर जिले के लोगों को औद्योगीकरण के रूप में यह फल मिला है कि जो अलवर में ऑइल इन्डस्ट्रीज थीं, वह बन्द हो गईं, जो मिनरल ग्रेडिंग फैक्ट्री थी, वह बन्द हो रही हैं, जो कत्था और पेन्ट फैक्ट्री थी, वह करीब करीब बन्द पड़ी है। इसी तरह जो छोटे छोटे उद्योग चलते थे बुनकरों के, वह रुइन हो गये हैं। इस तरह आप फिगर्स देखेंगे राजस्थान में डिस्ट्रिक्टवाइज कि कहीं पर कुछ तरक्की हुई है, तो राजस्थान में उल्टी स्थिति आपको मालूम होगी, और इसी तरह से एम्पलायमेंट ग्राफ लेबर में उल्टी स्थिति हुई है। मैं समझता हूं, इसके बारे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एक टैक्सटाइल मिल मंजूर हुई अलवर के लिए उपाध्यक्ष महोदय, उस टैक्सटाइल मिल का लाइसेन्स पहले दिल्ली की एक फर्म को दिया गया। जब उसने वह मिल नहीं लगाई, तो उसके बाद में एक कानपुर की मिल को दिया गया, जे० के० इन्डस्ट्री को उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था जब अलवर का एक डेपूटेशन उनसे मिला था कि सिविल वर्क तो 1964 में शुरू हो जायगा पूरा और हम यह देखेंगे कि एक साल में ये मिल प्रोडक्शन करना शुरू कर दे। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोडक्शन करना शुरू तो दूर रहा, वह जे० के० इन्डस्ट्री भी चली गई और वहां का लाइसेन्स वहां से हटा कर भीलवाड़ा में इस्तेमाल कर लिया गया। वैसे राजस्थान में कहीं भी उद्योग लगें उससे हमें खुशी होती है लेकिन हमारे यहां यह उद्योग लगता तो अलवर का भी विकास होता। मुझे अफसोस है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, वहां भीलवाड़ा में मिल इस बुनियाद पर मुख्य मंत्रीजी ने लगाई कि यदि अलवर में मिल लगाई तो यहां के कम्यूनिस्टों को और प्रोत्साहन मिलेगा। और क्यों इस तरह की स्थिति वहां पैदा करें–यह बात कह कर भीलवाड़ा में मिल लगाई......

एक माननीय सदस्य : मैं समझता हूं कि आप गलत कह रहे हैं। जो 13 लाइसेन्स मिले थे उनमें भीलवाड़ा भी शामिल था।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर उद्योग मंत्री ने यह जवाब दिया था कि यह लेप्स हो जायगा इसलिए भीलवाड़ा में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दे दूंगा आप मुझे क्यों कोट करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको नहीं भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, श्री हरिश्चन्द्र उनको कोट कर रहा हूं। आपको नहीं।

मैं निवेदन कर रहा था कि इसकी स्वीकृति वहां के लिए इसलिए नहीं मिली क्योंकि वहां पावर नहीं थी। वहां पर जमीन वगैरह ले ली गई थी लेकिन इस वजह से जो राजस्थान में एक उद्योग वहां के लिए मंजूर हुआ था, वह भी वहां नहीं लगा। यह स्थिति वहां की है। मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान गवर्नमेन्ट इस बात का रीजनल विकास के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेगी और जिस जगह पर औद्योगिकरण की सम्भावना है, जहां ... लिये मंजूर हुआ है, वहां इम्प्लीमेन्टेशन करेगी। मैं यह समझता हूं कि जहां चाहती है गवर्नमेन्ट, उनको लोन भी देती है, उनको गारन्टी भी देती है और उनके लिए पावर का भी विशेष तौर से इन्तजाम करती है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) जहां के लिये इन्तजाम आपको करना था, आपने वहां गैस टर्बाइन खरीद कर, इतनी महंगी पावर तैयार कर, आपने सप्लाई की है और जिनको सप्लाई नहीं करनी है, वहां के लिए आप दस बहाने निकालने की कोशिश करते हैं। यह रास्ता उचित नहीं है। सबके साथ आपका समान व्यवहार होना चाहिए। और यह भेदभाव की नीति समाप्त होनी चाहिए। आपने उद्योगों के मामले में यह नीति अपनाई है, एजूकेशन के मामले में यह नीति अपनाई है, पोस्ट ग्रेजुएट क्लास खोलने का जब मामला आया आपने उसमें यह नीति अपनाई तो लोग कब तक इस बात को बर्दाश्त करेंगे। उनमें भी आखिर समझ है, वह रिपोर्ट देख सकते हैं, आंकडों को देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि यह जो रीजनल तरक्की की नीति गवर्नमेन्ट लेकर चली आ रही है इसकी जांच के लिए गवर्नमेन्ट एक कमीशन अपाइन्ट करे और वह यह जांच करे कि इस प्रकार वेरीयस रीजन्स में अलग अलग जिलों में किस प्रकार अलग अलग मदों में खर्चा हुआ है राजस्थान बनने के बाद तब तो जो वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है, वह सदन के सामने आ जायगी। इस तरह का एक कमीशन बैठाया जाय, जो यह देखे कि कौन कौन से विकास कार्य के अन्दर किस किस तरह पर इस पीरियड के अन्दर पूंजी खर्च की गई है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह भी देखा जाय कि उन जिलों का जब 1947 में मर्जर हुआ था तब वहां पर क्या स्थिति थी और बीस वर्ष के बाद में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आज क्या स्थिति है। उसका सारा नक्शा राजस्थान की जनता और सदन के सामने आना चाहिए। मैं यह मांग करूंगा कि गवर्नमेन्ट इस तरह का एक कमीशन बैठाये जो पूरे राजस्थान के इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट की जिलेवाइज पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करे। इस तरह जो गवर्नमेंट की नीति के कारण रीजनल इम्बेलेन्स हुआ है और जो एक टैन्डेन्सी क्रियेट हुई है, उसके बजाय पूरे राजस्थान के इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की नीति को अपनाये तो पुरे राजस्थान का विकास हो सकेगा। यह बात कह कर मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कटौती को प्रस्ताव रखवो चाहूं, भीलवाड़ा में जो मेवाड टैक्सटाइल मिल है, राज्य सरकार पीछा बीने ओनर ने सुपुर्द कर रही है। मैं ई बारां मां... (विराम) (उद्योग मंत्री से) आप नहीं समझते हों तो मैं हिन्दी में बोलूं।

श्री मथुरादास माथुर : समझते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की बात मैं मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना चाहती हूं। भीलवाड़ा में जो टैक्सटाइल मिल है वह पहले एक उद्योगपति के पास थी, और वह बराबर घाटे में चलती रही। तीस लाख रुपये का घाटा होने के बाद में हमारी सरकार ने उस मिल को अपने हाथ में ले लिया। पिछले एक साल में उसकी उन्नति हुई, ३० लाख रुपये का घाटा चुकाया और पचास लाख हमने उसके अन्दर और खर्च किये। तो जो कुछ पहले घाटा पड़ा, उसको ठीक किया इस अर्से में और इस मिल में डिविडेंड दिया, मजदूरों को बोनस दिया और जितनी भी मिल कमेटियां सिफारिश करती हैं उन सारी चीजों को हमने पूरा किया। मिल में इतना सुन्दर प्रबन्ध किया कि मजदूरों को आठ आने में भोजन मिलने लगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब अचानक सुनने में आया है कि राजस्थान सरकार फिर इस मिल को उसी ओनर को सौंप देना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार इसके ऊपर इतना खर्च कर चुकी है, अब जब यह मिल सुधरने लगी है तो मिल ओनर को वाकई यह वापिस क्यों की जाय। जब कि हिन्दुस्तान भर में, सारे मुल्क में यही टैक्सटाइल मिल ऐसी है जो नफे में चली है, और जितनी मिल कमेटियां सिफारिश करती हैं उन सबको इसने पूरा किया है और इसके बारे में सेन्टर के उद्योग मंत्री, दिनेशसिंह ने एक एम. पी. को पत्र लिखा था, उसमें स्पष्ट किया था कि यह दो साल तक राजस्थान सरकार के पास रहेगी। उसमें लिखा है :

"After having considered the performance of the Plan for the last few years, we have come to the conclusion that it would be desirable to retain it under the management of the authorised controller for a further period of two years as provided by the Industrial (Development and Regulation) Act."

लेकिन हमको ताज्जुब यह बात सुन कर हुआ कि केवल दो महीने के लिये, तीन महीने के

[redacted]

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

लिए सरकार के पास रह कर वह मिल वापिस ओनर को देने के लिए वहां का आर्डर आया है। इस आज्ञा का नतीजा यह निकलेगा कि उस मैनेजमेंट में एक अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, वहां के अधिकारी यह सोचेंगे कि यह तीन महीने के बाद चली जायगी, इसलिए वह ध्यान से कार्य नहीं करेंगे, इससे मजदूरों में भी असंतोष रहेगा, व्यापारी लोग भी जो सामान देते हैं, उन्हें भरोसा नहीं आयेगा और तीन महीने में जो राजस्थान सरकार ने इतनी मेहनत करके हालत सुधारी है, वह हालत खराब हो जायगी। और निश्चित रूप से जब उसके हाथ में वह दुबारा जायगी तो वहां का मैनेजमेंट और बिगड़ेगा और यह फिर घाटे में चलने लगेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास एक ही ऐसी मिल है जो नफे में चल रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि राज्य के पास में जो दूसरे एन्टरप्राइजेज हैं वह ज्यादातर घाटे में चल रहे हैं। हमें इस तरह चलाने में सफलता मिली है, एक मिल के अन्दर सफलता मिली है तो उसे आपको वापिस दे देना चाहिये। यह मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या कारण है। क्या सरकार चाहती है कि जो फैक्ट्री घाटे में चले, जिस फैक्ट्री में अव्यवस्था हो वही वह अपने हाथ में रखे और जैसे ही व्यवस्था के साथ वह चले, उसको वापिस सौंप दे यानि जब वह घाटे से बाहर निकल गई तो उस समय कई तरह के असर आते हैं, दबाव आते हैं। जब उसके ऊपर पचास लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है ऐसी हालत में सरकार उसे अपने पास क्यों नहीं रखती है। इस तरह को हमारे राज्य में इन्डस्ट्री की हालत है वह ज्यादा अच्छी नहीं है। यदि एक नजर से राज्य के ऊपर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि जितने राज्य हैं हिन्दुस्तान के, उन सबसे इन्डस्ट्री के मामले में पीछे है राजस्थान। दूसरी पंच वर्षीय योजना में कुछ इन्डस्ट्री कायम हुई लेकिन दुर्भाग्य से वह इन्डस्ट्री अब घटती जा रही है। जहां उनको आगे फैलना चाहिए था वह आगे नहीं फैलाई जा रही है। मैं कहूंगी कि उद्योग के मामले को लेकर सरकार की दुतरफा नीति रही है, न तो स्टेट एन्टरप्राइज चल रहे हैं और न प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है। जब उद्योगपति बाहर से आकर उद्योग या इन्डस्ट्री खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यह दिक्कत उनके सामने आती है आफिस में काम कराने के लिए उन्हें बेहद चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशानी उठानी पड़ती है और ज्यादा वक्त कागजों की पूर्ति करने में लग जाता है, रेड टेपिज्म चलता है। इसका मतलब यह होता है कि उस व्यापारी को भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है! जब डिले होती है काम सुचारू रूप से नहीं चलता है तो उस हालत में करप्शन पैदा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले उद्योग धन्धों में ठीक समय पर काम नहीं होने से दिक्कत होती है। इन्डस्ट्रीज नहीं पनपती। हमें नुकसान होता है, राज्य को नुकसान होता है। जब कोई इन्डस्ट्री कायम होती है और जब उसमें से कुछ माल निकलने लगता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि जो कच्चा माल हम उस उद्योग धंधे को दे रहे हैं, आया उसका उपयोग भी हो रहा है या नहीं, यह कोई नहीं देखता। कायदा यह है कि जिस किसी को उद्योग के लिये लाइसेन्स मिलता है, या कच्चा माल हासिल करे तो उसकी जांच की जानी चाहिए कि वह कच्चा माल कहीं ब्लैक में तो नहीं

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

बिकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अनेक ऐसी फैक्टरियां हैं जयपुर में, भीलवाड़ा में जहां भी इन्डस्ट्रीज हैं उन्होंने यह एक प्रकार से धन्धा कर रखा है कि जो कच्चा माल उनको मिले उसको ब्लेक मार्केट में बेच दिया जाय। मैंने पिछली दफा भी इस तरह का प्रश्न उपस्थित किया था। उद्योगों के लिये जो सरकार कच्चा माल देती है, उसका चैंकिंग क्यों नहीं करती, चैंकिंग का सिस्टम क्यों नहीं रख रखा है। आखिर किसी फैक्टरी में किसी चीज का उत्पादन होता है उसके आंकड़े रहते हैं। आपने कितना कच्चा माल दिया, बिजली का कन्जेम्पशन कितना हुआ, आया जितना माल दिया उस माल से जितना माल बनना चाहिए उसके लिये उतनी बिजली की खपत हुई भी या नहीं, और जितना माल फैक्टरी से निकला उसका टैक्स दिया या नहीं यह सब बातें देखी जानी चाहिएं। जितना माल बनाने के लिये कच्चा माल उसको दिया गया आया उसकी कैपेसिटी उतना माल बनाने की है या नहीं? बहुत से लोग फैक्टरी एक्ट से बचने के लिये मजदूरों की संख्या बहुत कम बतलाते हैं। इसकी भी जांच की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि उद्योगपतियों को लाइसेन्स लेने के लिये दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, उनको इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिये उनके दबाव और प्रेशर आते हैं उनको कई प्रकार के कन्सेशन्स दिये जाते हैं उनमें कई जायज भी होते हैं और कई नाजायज भी होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आज जितने भी कारखाने हैं उसमें बिजली की छूट मिलती है बहुत ही कन्सेशन रेट पर उनको बिजली दी जाती है जैसे डी. सी. एम. है सीमेन्ट फैक्टरी, सवाई माधोपुर है, बाल-बियरिंग है इनको कई प्रकार के ऐसे कन्सेशन दिये गये हैं जिनसे राज्य सरकार के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारी मात्रा में बिजली देने की वजह से, चालीस प्रतिशत बिजली दे देने की वजह से राजधानी की जनता को बिजली सप्लाई की कमी के कारण असुविधा भी हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा एक कारखाने को जितनी बिजली कन्जेम्पशन की इजाजत थी वह उससे ज्यादा कर रहा था उसके बारे में जब मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने कदम उठाया जो अनुचित बिजली वह कन्जेम्पशन कर रहा था उससे उसको रोका। उसका नतीजा यह हुआ कि आज दस पन्द्रह दिन से बिजली की सप्लाई ठीक ढंग से हो रही है और पानी की व्यवस्था में भी फर्क पड़ा है। इसलिए वक्त बेवक्त चैकिंग करना निहायत जरूरी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान स्टेट एन्टरप्राइजेज के बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूं। स्टेट एन्टरप्राइज का नाम ही मैं स्टेट घाटा कर देना चाहती हूं। आज हमारे जितने भी स्टेट एन्टरप्राइजेज हैं, स्टेट अन्डरटेकिंग्ज हैं सारे घाटे में चल रहे हैं। सब से बड़ा हमारा एन्टरप्राइज राजस्थान स्टेट रोडवेज है जो पूर्णतया घाटे में चल रहा है। धौलपुर की ग्लास फैक्टरी खत्म हो रही है, गंगानगर शूगर मिल भी इस साल घाटे में चलने वाली है। स्टेट अन्डरटेकिंग नाम

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

का जो महकमा है उसमें सब से बढ़िया गंगानगर शुगर मिल का नाम आता है । मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि स्टेट अन्डरटेकिंग्ज में वह ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का विस्तार करे । उद्योगों के पनपने पर ही राजस्थान की बेहबूदी हो सकती है, राजस्थान की इन्कम बढ़ सकती है, राजस्थान का विकास हो सकता है । आज केवल अंगुलियों पर गिनने लायक ही हमारे स्टेट अन्डरटेकिंग्ज हैं । आज हमारे तीन प्लान पूरे हो चुके हम इस क्षेत्र में बहुत ही कम आगे बढ़ पाये हैं । वह भी नहीं के बराबर है । इसका एक तो मुख्य कारण यह है कि जिन अन्डरटेकिंग्ज का व्यवसायिक नजर से मेनेजमेन्ट किया जाना चाहिये वह नहीं किया जाता । उनका मेनेजमेन्ट ऐसा किया जा रहा है जैसे एक सरकारी विभाग का किया जाता है । राज्य का काम व्यवसाय वृत्ति से नहीं चलता । मैं आपके सामने एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहती हूं स्टेट होटल जब राज्य का विभाग था वहां एक बल्ब लगाना हो तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से मन्जूरी लेकर लगाना पड़ता है उसमें काफी विलम्ब हो जाता है, व्यवसाय वृत्ति में यह नहीं चल सकता । व्यवसाय वृत्ति में तो जिसके हाथ में काम दिया जाता है उसको सारी जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए । उसमें उसका ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जो एक व्यवसाय करने वाले का होता है । आज हम देखते हैं सरकार आई० ए० एस० अधिकारियों के हाथों में जो कोनर्स के जानकार नहीं होते उनके हाथ में ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान सौंप देते हैं । ऐसे अधिकारियों के हाथ में ऐसे प्रतिष्ठानों के चले जाने से उनका व्यय बढ़ जाता है, और उसमें वह व्यवसाय की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हो पाती । या तो आप व्यवसाय में निपुण व्यक्ति हों उनको दें या अपने अधिकारियों को जिनको आप देना चाहते हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए, कुरसी पर जो बैठकर हुकूमत करते हैं वह व्यापारिक कार्य एक व्यवसाय करने वाले की तरह से नहीं कर सकते । आज हमारा हस्तकला का जो एम्पोरियम है । हम देखते है कि बाहर से जो टूरिस्ट्स आते हैं वे दूसरी जगह जायेंगे लेकिन हमारे ऐम्पोरियम में नहीं जायेंगे । इसका कारण यह है कि जो गाइड लोग होते हैं, ड्राइवर लोग होते हैं वे उनको ऐम्पोरियम नहीं ले जाते बल्कि उनको उन ठिकानों पर ले जाते हैं जहां से उनको कमीशन मिलता है । राज्य के नियमों के अनुसार ऐम्पोरियम वाले उनको कमीशन नहीं देते । इस कारण जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वे हमारा सामान नहीं खरीदते । आज यही कारण है कि हमारे स्टेट अन्डरटेकिंग्ज है वे फेल होते जा रहे हैं, घाटा उनमें बढ़ता जा रहा है । इस तरह से सच पूछा जाय तो स्टेट अन्डर-टेकिंग्ज हमारे राज्य में उनकी तरफ हमारे मंत्रियों ने हमारी हुकूमत ने ध्यान ही नहीं दिया । आज हमारे राज्य में उद्योगों को बढ़ाने के लिये हजारों नहीं लाखों तरीके मौजूद हैं, जिनको काम में लेना दूर रहा जिनका जिक्र तक नहीं । नागौर, हनुमानगढ़ में निकलने वाला जिप्सम है उसका उपयोग नहीं होगा, हमारे यहां हजारों की तादाद में जिप्सम की खानें है उनको काम में लिया जाय तो उनसे फरटीलाइजर बनाकर देश की कृषि को ऊंचा उठा सकते हैं और न जाने जिप्सम और कितने कामों में आ सकता है । आज जहां सीमेन्ट की कमी है उसकी

(श्री लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत)

जगह क्या हम जिप्सम से काम नहीं ले सकते ? यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी प्रचुर मात्रा में जिप्सम के होते हुए उसको काम में नहीं लेते । या तो इसका पता नहीं या इसके प्रयोग को जानते नहीं ।

इसी तरह से पलाना में लिगनाइट निकलता था बीकानेर राज्य के समय जिसके बहुत सीमित साधन थे आज के मुकाबले वहां के कोयले से वहां का पावर हाउस चलता था । पलाना खान को आगे बढ़ाते जा रहे थे । आज उस खान को बन्द किया जा रहा है । पलाना में थरमल प्लान्ट कायम करने वाले थे, न जाने क्या क्या करने वाले थे । उन सब का क्या हुआ? आज सारा पलाना खत्म हो रहा है । अगर आप थरमल पावर स्टेशन नहीं लगा सकते तो लिगनाईट का सिन्थेटिक बनाकर उसको आप काम में ले सकते हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस तरह से बार बार घंटी बज रही है, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनिट का समय और देंगे, मैं कुछ बातें और कहना चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि हमारे पास रुपया नहीं है । मैं कहती हूं अगर रुपया नहीं......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री गंगासहाय ।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के प्रति जो सरकारी रुख अपनाया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में मैंने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । मैं उसके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ में 1961 से जिला बुनकर संघ का 90 हजार रुपया बकाया पड़ा है ? क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह रुपया इतने दिन रोक कर क्यों रखा गया? इसके कारण जयपुर जिले के करीब 1,400 बुनकर परिवार आज बेरोजगारी की दशा में हैं ।

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन परिवारों को आपने रोजगार चलाने के लिये, कई लोगों को ब्याज पर पैसा लेकर अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है ।

क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि सहकारी बुनकर संघ के अध्यक्ष जो आपके कोओपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिये इस बात की, ऐसा मेरा विश्वास है । आगे मैं यह निवेदन करूंगा कि जयपुर जिला बुनकर सहकारी संघ अपनी ओर सरकार की बकाया धन राशि है, उसको चुकाने में असमर्थ है और आप उसके खिलाफ पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करने जा रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिला बुनकर सहकारी संघ 1956 से मांग कर रहा है और उस समय मैं स्वयं इस सहकारी संघ का मैनेजर था, मैं कह सकता हूं कि उनको जो जमीन कॉलोनी के लिये मिलने वाली थी उस पर अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसके

(श्री गंगा सहाय)

फलस्वरूप उनको कब्जा नहीं मिलने से उनको 80 हजार की रकम मकान बनाने के लिये मिलने वाली थी, वह नहीं मिल पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक जानकारी मिली है....

(समय 2·24 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत सभानेत्री पदासीन)

कि किसी सेठ को Calendering मशीन के लिये भी रुपया दिया गया है, वह भी नहीं लगी है और उस कारण एक मशीन जो पहले वहां पर थी वह भी चली गई और एक लगने वाली थी वह भी नहीं लग पाई। एक लाख रुपये गवर्नमेन्ट के लगने हैं उसकी जानकारी मुझे है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर नहीं लगे हैं तो कब तक लग जावेंगे यह मैं जानना चाहता हूं।

एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जो राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ है उसमें बुनकरों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। 28-1-67 को चुनाव के लिये मीटिंग हुई उसमें 26 सहकारी समितियों ने वाक आउट किया, फिर भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। क्या आप इससे अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके जो अध्यक्ष, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार स्वयं हैं वे उनको समाप्त करना चाहते हैं।

इसी तरह में एक और जानकारी देदूं और मैं समझता हूं कि आपके पास रिपोर्ट आ गई होगी कि राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के उपाध्यक्ष और मंत्री और संचालक मंडल के सदस्यों की समितियों से ही कपड़ा खरीदते हैं। और दूसरी समितियों का माल नहीं खरीदते हैं और इस कारण वे बन्द होने जा रही हैं।

इसके अलावा भी क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इसके अतिरिक्त भी अपनी सहकारी समिति से बाहर का माल खरीद कर अच्छा मुनाफा लेकर बेचते हैं उसकी जांच करने के लिये रिपोर्ट की गई मगर अभी तक पता नहीं उसका क्या हुआ है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उसकी जांच करें और जो रकम बकाया है और जो सहयोग मिलना चाहिये वह उसको मिलना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिला बुनकर संघ की समितियों के सभी सदस्य परिगणित जाति के हैं।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है हाथ करघों के बारे में। इस संबन्ध में मैं जानकारी दूं कि अलवर जिले में हाथ करघा की दो दर्जन संस्थाएं हैं। मगर आज वे चल नहीं रही हैं। इसके लिये कहा गया था कि यहां डाइहाउस, डिजाइनिंग सेंटर व कलेन्डरिंग मशीनें लगावेंगे, यहां पर इन्डस्ट्रीज खोली जावेंगी मगर आज पता नहीं वे सब कहां हैं? बुनकरों की भलाई की योजना के तहत कुछ क्वार्टर बने, पर बुनकरों को अलाट नहीं हुए। उसके लिये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भूतपूर्व चेअरमेन महोदय नगरपालिका ने इनमें से कुछ क्वार्टर बेच दिए उसकी रकम को नगरपालिका के काम में ले लिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करें और उनको क्वार्टर अलोट किये जाने चाहिये। बुनकरों के लिये मैं यह कहना

(श्री गंगा सहाय)

चाहता हूं कि आज बुनकरों को रोजगार नहीं होने के कारण उन्हें दिल्ली आगरे की शरण लेनी पड़ रही है इसलिये उनको रहन के लिए पड़त भूमि है उसमें से पांच पांच बीघा तक फिर से आबाद करने के लिये दी जावे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम समझेंगे कि आप समाजवाद ला सकेंगे। आप समाजवाद लावेंगे इस बात का दावा करते है और इस बात का भी दावा करते हैं कि ग्रामोद्योगों को पुनः जीवित करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि गांवों के लोग जो आज भाग रहे हैं वे जावेंगे और शहरों की आबादी बढ़ेगी।

तीसरा प्रस्ताव मेरा हैं ग्राम उद्योगों के लिये। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि आज ग्रामोद्योगों की समस्या है। मगर एक समय था जब भारत उद्योगों के क्षेत्र में सारे विश्व का नेता था और यहां से जहाजों से माल बाहर जाता था और बाहर से सोना यहां पर आता था जिससे यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय कोई मशीनें नहीं थीं मगर उस समय भी लोग बहुत अच्छी कारीगरी करते थे और माल बनाते थे। लेकिन आज हमारे देश की दुर्दशा हो रही है कि लोग गांवों को छोड़ कर भाग रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि उनको कोई राहत नहीं मिलेगी, तब तक यही हालत रहेगी और लोग गांवों को छोड़ छोड़ कर भागेंगे। इसलिये आप इसके लिये कोई उचित व्यवस्था करें।

चौथी बात में यह कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारी विभागों में चीजें खरीदी जावें, वे उद्योग मंडलों से खरीदी जावें। इससे आपकी तारीफ भी होगी और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और आपकी बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जायेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप भुक्त भोगी रहे हैं। आप बुनकर परिवारों को आबाद करेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में तीन बान्स उद्योग की सहकारी समितियां है जिन से दो हजार परिवार रोजी कमाते हैं उनको बांस काटने का ठेका न मिलने के कारण वर्षों के दिनों में बेकार बैठना पड़ेगा इसलिए आप रॉयल्टी की रेट पर ......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनिट में कहना चाहता हूं। बांस काटने के लिये उनके जून महीने में आदेश दे दिये जावें जिससे वे बेकार न रहें।

श्री जसराज (भिनाय) : माननीय सभानेत्री महोदया, मैंने कट मोशन दिया था कि यह औद्योगिक योजना है सरकार की, यह असफल रही है। जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है। हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं, पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और तीसरा कॉओपरेटिव सेक्टर। हम यदि इन पर विवेचन करें तो इन तीनों ही क्षेत्रों में यह सरकार बुरी तरह से असफल रही है। हम किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, गन्तव्य स्थान में जाना चाहते है, तो हमें यह नीति निर्धारित करनी होगी कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जब हमने अपने विधान में यह स्वीकार किया है कि हम समाजवादी तन्त्र इस देश में बनाना चाहते हैं, जनतान्त्रिक समाजवाद के लिये सहकारिता के द्वारा अग्रसर होंगे तो हमें यह देखना होगा, विचार करना होगा कि क्या हम उसी ओर

(श्री जसराज)
उसी गति से जा रहे हैं, क्या हम उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं ? इस ही पर मैं अपने विचार पेश करना चाहूंगा, विवेचन करना चाहूंगा ।

प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर, इन दोनों क्षेत्रों पर काफी चर्चा हुई है, प्राइवेट सैक्टर में हम असफल हुए, यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है । जहां समाजवाद का सवाल उठता है वहां व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं क्योंकि जहां व्यक्ति रहेगा तो वहां सबसे पहले उसके मुनाफे का सवाल आयेगा, वह मुनाफा कमायेगा, जहां मुनाफे का सवाल होगा वहां शोषण होगा और जहां शोषण होगा वहां कभी समाजवाद नहीं आ सकता ? इसलिये हमने खूब अच्छी तरह से सोच लिया, पीछे के इतिहास को देख लिया, ऐसा इतिहास देखा कि जहां व्यक्ति पनपे हैं वहां शोषण पनपा है, वह समाजवाद नहीं आया । फिर इस देश में हमने समाजवाद की कल्पना की, पर उस दिशा में हमने कोई सक्रिय, ठोस और दृढ़ कदम नहीं उठाये । हमने प्राइवेट सैक्टर में ही कुछ लोगों को खुश रखने के दृष्टिकोण से कुछ किया, अपने कदम उठाये, सरकार को कैसे पैसा मिल सकता है, किस प्रकार इन लोगों के पैसे से चुनावों के द्वारा हमारी सरकार चल सकती है, किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रख कर हम अपनी सत्ता बनाये रख सकते हैं केवल यही एक नीति इस सरकार की रही है । यही दृष्टिकोण हमारी सरकार का रहा है । आज कॉग्रेस सरकार है, उसे दूसरे शब्दों में यदि मैं यह कह दूं कि यह पूंजीपतियों की सरकार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि आज इन पूंजीपतियों के बल पर ही यह सरकार पनप रही है, और चुनाव लड़ रही हैं । ब्यावर में मिल बन्द हुआ, विजयनगर में मिल बन्द हुआ, किशनगढ में मिल बन्द हुआ । ब्यावर का मिल तो चला, पर किशनगढ़ का मिल नहीं चला, विजयनगर का मिल नहीं चला । क्योंकि आपका हर कार्य में यही दृष्टिकोण रहता है कि किस तरह आपको वोट मिल सकते हैं । उस उद्योग को पनपाने की आप बात करते हैं, जिस उद्योग से आपको पैसे मिल सकते हैं उस ही उद्योग को आप पनपाने की कोशिश करते हैं । यदि पूंजीपतियों को ही पनपाना था तो राजस्थान में इतने उद्योगपति हैं पर वे बाहर बसे हुए हैं । राजस्थान में एक भी नहीं लगा हुआ है । क्या राजस्थान सरकार ने कभी प्रयास किया है कि राजस्थान के वे उद्योग पति जो बाहर बसे हुए हैं, राजस्थान में आयें और यहां पर उद्योगों को पनपायें ?

जहां तक पब्लिक सैक्टर का सवाल था वह आपके मिसमैनेजमेन्ट के कारण, आपकी अज्ञानता के कारण असफल रहे । आपने व्यापारकरने की बात सोची पर व्यापार किस तरह किया जाता है यह नहीं सोचा । व्यापारी व्यापार में मुनाफे को सोचता है पर आपने अन्धाधुन्ध अन-सिस्टेमेटिकली खर्च किया, यही कारण है कि आप इसमें असफल रहे । मैं सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि इसने पब्लिक सैक्टर को इसलिये फेल किया है कि पूंजीपति पनपते रहें, प्राइवेट सैक्टर पनपता रहे, पब्लिक सैक्टर से लोगों का विश्वास उठ जाय, समाजवाद में लोगों की आस्था समाप्त हो जाय । इस इरादे से सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि पब्लिक सैक्टर को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाय ?

(श्री जसराज)

अब मैं कोआपरेटिव सैक्टर पर आ जाता हूं। हमने कोआपरेटिव सैक्टर की बातें तो बहुत की, वित्त मंत्रीजी ने भी अपने स्टेट लेवल कोआपरेटिव सेमीनार के भाषण में कहा कि उनकी कोआपरेटिव सैक्टर में बड़ी आस्था रही है, आपने कहा कि कोआपरेटिव सैक्टर पनपे, यह हमारी इच्छा है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सैक्टर को पनपाने के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये? अर्से के बाद एक भी इन्डस्ट्री इस सैक्टर में लगाने का पूर्ण प्रयास नहीं कर पाये। सहकारी समितियां को समय पर आवश्यक ऋण देने की व्यवस्था नहीं करते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। अजमेर में मजदूर गोटा उत्पादक सहकारी समिति है। मैंने वहां प्रयास किया, जिला सहकारी संघ के सैक्रेटरी के नाते, हमने प्रयास किया कि अपने पैरों पर किस तरह से यह आन्दोलन खड़ा हो, बिना राज्य की सहायता के किस तरह इस आन्दोलन को पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, इस बात का प्रयास किया। 5 हजार शेअर कैपिटल का और तीन हजार रुपया और ऋण करके सहकारिता के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया। पिछले साल 7½ लाख रुपये का टर्नओवर किया और इस साल 15 लाख का टर्नओवर किया है। उसमें सभी मजदूर हैं, एक भी पूंजीपति नहीं है। पर सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिलने के कारण, ऋण समय पर नहीं मिलने के कारण, जिस रूप से प्राप्ति करना चाहें, नहीं कर सकते। राजस्थान सहकारी औद्योगिक कोआपरेटिव बैंक हम कार्य[illegible]या है, पर उसकी टैक्निकेलिटी इतनी लम्बी है कि ठीक समय पर ऋण नहीं मिल सकता। और औद्योगिक समितियां है पर न तो हमारे यहां प्रशिक्षण की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमें अगर सहकारी समितियां को बढ़ाना है तो हमें इसके लिये लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, इनके लिये पैसे की व्यवस्था करनी होगी।

भीलवाड़ा का मिल फेल हो रहा था तो सरकार सेंट परसेंट पैसा लगा देती है आज सरकार। वही मिल मालिक वापिस मांगने की सोचता है और सरकार देने का सोचती है। वह मुनाफे पर चल रहा है, जनता की गाढी कमाई का टैक्स का पैसा उसमें सरकार ने लगाया और वह पैसा एक पूंजीपति को पनपाने के लिये दिया, क्या इस ही प्रकार यह सरकार समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है? जो पूंजीपतियों को पनपाने के लिये जनता के पैसे की खैरात बांटती है। एडवर्ड मिल को चालू करने के लिये सरकार ने पैसा दिया। इस तरह पूंजीपतियों को पनपाने के लिये सरकार खैरात बांट रही है। पर जब सहकारी आन्दोलन को पनपाने की बात की जाती है तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा देना तो रहा दूर उसमें कटौती और करती है।

सभानेत्री महोदया, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये आप एक दृढ नीति लेकर चलिये, आप आगे आगे चल पड़िये, जनता आपके पीछे चलेगी,

(श्री जसराज) ... ादी संस्थाएं आपका [illegible] नहीं। जिसकी 7 पीढियों ने भी करघा नहीं चलाया, वह आज खादी की बातें करते हैं, आप हमारे प्रतिनिधित्व की बातें करते हैं। यह सरकार द्वारा शोषण है। आप समाजवाद की बातें करते हैं, परन्तु शोषण को आप कायम रखना चाहते हैं। आप मजदूरों की बातें करते हैं, आपकी 7 पीढियां भी मजदूर नहीं रही, परन्तु आप मजदूरों के नेता बनना चाहते हैं। उस मजदूर को ऊपर उठाइए तब तो समाजवाद आएगा, उद्योग पनपेंगे, तब तो सारे देश में खुशहाली होगी, नहीं तो आप विश्वास कीजिए, जलजला उठ चुका है, तूफान उठ चुका है, आप और हम सब बरबाद होंगे इससे बचना चाहते हो, अगर हमदर्द हो इस देश के तो आप गरीब जनता की, मजदूरों की हालत पर सोचिए, शांति से सोचें। तब तो देश का भला होगा अन्यथा इस देश में क्रांति आएगी। हम सृजन तत्वों में विश्वास करते हैं विध्वंश में नहीं। हम खून में हाथ नहीं रंगना चाहते, हम मेंहदी में हाथ रंगने में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि वास्तविक काम करने वाले आगे आयें। अगर आप हमारे खून से हाथ रंगवाना चाहते हैं तो वह भी हम करेंगे परन्तु हम तो सृजन के तत्व में विश्वास करते हैं, आपको यहां केवल दिल का दर्द बताते हैं। आप विश्वास कीजिए कि हम आपके साथ रहेंगे, इसलिये आप अपनी औद्योगिक नीति स्पष्ट करें।

ढिलमिल नीति ले कर घबराते हुए मत चलिये। गन्तव्य स्थान की ओर एक सुदृढ नीति ले कर दृढता के साथ चल पड़िये।

जहां तक ग्रामों का सवाल है, ग्रामोद्योगों का सवाल है, यह हमने देखा है कि तीन चार साल तक बरसात की कमी के कारण खेती पाती नहीं होती। क्या सरकार ने कभी प्रयास किया है कि ग्रामों में ग्रामोद्योग पनपें? आपने खादी संघ को पनपाने की कोशिश की ताकि किसान के पास और काम न हो तो उस समय उसे काम मिल सके, यह अच्छा विचार है। इसके द्वारा गरीब ऊंचे उठे तो अच्छी बात है, पर आपने दुकानें लगा ली हैं। चिरंजीलालजी वहां बैठे हैं, उनके नीचे पनपती है आपकी खादी पलटनें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने खादी संघ बैठा रखा है उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो बुनकर हैं। दुकानें लगाने के लिये अफसर रख लिये पर नौकर वही हैं, बुनकर नौकर हैं। आपकी रीति नीति में बहुत फर्क है। आप हमको कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का हम भला करना चाहते हैं, पर हमें डिवाइड करके राज करना चाहते हैं। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि धरती अगर हल चलाने वाले की है तो खादी संस्था भी जो खादी बनाते हैं उनकी होगी, यह हमारा नारा है। अगर आपने इसी प्रकार की शोषण की नीति रखी तो एक जलजला आयेगा, हम इसके लिये लड़ेंगे, यह मैं आज कहे देता हूं।

आप कोओपरेटिव सैक्टर को मजबूत कीजिए तब तो आपके समाजवाद की रूपरेखा स्पष्ट होगी, अन्यथा यह जो

(श्री जस राज)

समाजवाद की बातें कहते हैं, वे कभी सफल नहीं होगी। आपको मैं सहकारिता क्षेत्र का एक एग्जाम्पल दूं। आपकी जो बुनकर सहकारी समिति है, उसको कुछ ऋण उपलब्ध कर पाते है थोड़ा बहुत लेकिन आवश्यकता से कम। परन्तु दूसरी सहकारी समितियां पावर लूम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको कोई ऋण की व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आती। बुनकर सहकारी समिति को रिजर्व बेंक आफ इंडिया से किसी प्रकार का कर्जा वह भी मुश्किल से प्राप्त हो जाता हैं परन्तु जो आपके पावर लूम्स हैं, उस इंडस्ट्री के लिए जो कोओपरेटिव सेक्टर में हैं, किसी भी प्रकार के ऋणों की व्यवस्था आपकी सरकार नहीं कर पाती है। एक तरफ हम संस्थाएं खोलते हैं दूसरी तरफ उनको पनपाने के लिए कोई शिकायत होती है तो उस पर सोचते नहीं हैं ——

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कोई हम मकान बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं कि कहां खिड़कियां बनेगी, कहां दरवाजे बनेंगे, लेआऊट किया जाता हैं, परन्तु इस आन्दोलन के पनपाने के लिए आपके दिमाग में कोई चित्र नहीं है। आपके दिमाग में, धुंधला चित्र है। आप केवल कहते हैं और सोचते यही हैं कि कैसे यहां बैठकर राज कायम कर सकें..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सहकारी समितियों के नाम से बहुत कुछ कहते हैं परन्तु उनको पनपाने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, मुड़कर देखते नहीं। कभी आपने कोई प्रयास नहीं किया हैं कि कैसे इनको पनपायें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय..

श्री भैरों सिंह : गिरधारीलालजी के भाषण को सुनने के लिए कोई कांग्रेसी सदस्य नहीं है।

श्री गिधारी लाल व्यास : आप बैठे हैं, वही बहुत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा हैं। उसमें मैंने कहा हैं कि राजस्थान के अंदर निजी उद्योगों को छोड़कर राजकीय उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य इस कटोती प्रस्ताव रखने का यह हैं कि जिस प्रकार के उद्योग हिंदुस्तान में और खास तौर से राजस्थान में पनप रहे हैं, जैसे कपड़े के उद्योग चल रहे हैं और जिनके अंदर पूंजीपतियों ने अपने वेस्टेड इन्टरस्ट्स को रखा हैं और शेयर-होल्डर्स का पैसा या सरकार का पैसा लगा रखा हैं। एक पूंजीपति ने पांच लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक करोड़ की संपत्ति इकट्ठी की है। उस एक करोड़ की संपत्ति से समाज का और मजदूरों का शोषण करते हैं। उन सारी चीजों को अगर हम अच्छी तरह से देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सारे का सारा पैसा फाइनेन्शियल कोरपोरेशन या राजस्थान सरकार या भारत सरकार से इन पूंजीपतियों ने प्राप्त करके उद्योग धंधे लगाए। उसके बजाय अगर हम सरकारी तौर पर इन उद्योग धंधों को राजस्थान में लगायें तो उससे मजदूरों को विशेष सुविधायें मिलेंगीं और सरकार को उससे ज्यादा लाभ होगा। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हमारे भीलवाड़े के अंदर जैसे माननीय सभापति महोदया ने स्वयं ने फरमाया हमारे यहां मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स जो 1934 में लगी थी, उस उद्योग के अंदर वर्षों से चलने के बाद वहां के उद्योगपति ने मजदूरों का शोषण किया। वहां के मजदूरों की मजदूरी नहीं चुकाई, प्रोवीडेंट फंड नहीं चुका और उनको और प्रकार की सुविधायें जो मिलने वाली थीं, उन सबसे मजदूरों को वंचित करके उस उद्योग में 20 लाख का घाटा दिखाकर उस उद्योग को आखिर बंद किया। इस प्रकार का शोषण उद्योगपतियों द्वारा इन उद्योगों का किया जाता है जिससे सारे समाज का उससे शोषण होता है। जब से राज्य सरकार ने इस उद्योग को अपने हाथ में लिया, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने 20 लाख घाटे की पूर्ति की, जो मजदूरों का बकाया था या प्रोवीडेंट फंड के पैसे थे, बोनस था या जो भी पैसे बकाया था लाखों रुपये का, चुकाया है।

उसके बाद में आपने देखा होगा कि जब से यह मिल सरकार के हाथ में आई, पहले साल में जिस साल में सरकार ने ली, 14 लाख का मुनाफा दिलाया और उसके बाद में जो जो कन्डीशन्स देश में थीं, उद्योग में चल रही हैं, उन हालात में इस उद्योग ने काफी मुनाफा कमाया है और उसके बाद सरकार ने करीब 50-60 लाख रुपये इन्वेस्ट करके नई मशीनरी यहां पर लगाई है। ये 50 लाख रुपये किस प्रकार सरकार के द्वारा दिलवाये, फाइनेन्शियल कारपोरेशन के द्वारा सरकार ने उसमें गारंटी दी और उसके बाद आज स्थिति आ रही है कि यह उद्योगपति जिसने इस मिल को २० लाख के घाटे में चलाया और स्वयं ने ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त किया, वह आज, जब मिल मुनाफे में चल रहा है, कहता है कि इस उद्योग को मुझे वापिस करदो। जिन्होंने मजदूरों के साथ इतना अन्याय किया, उनका पैसा नहीं चुकाया और स्वयं की तरफ से जो प्रोवीडेंट फंड का पैसा देना चाहिए था वह नहीं दिया, इस प्रकार की हरकतें करने वाला उद्योगपति आज कहे कि यह उद्योग मुझे वापिस सुपुर्द कर दो, यह कहां तक उचित है? इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार इस बात को समझे कि इस उद्योग को वहां के मजदूरों ने अपनी ताकत और मेहनत के साथ सारे काम को रेशनेलाइज करके स्वयं का मिल समझकर काम किया और खून से सींचा है इस उद्योग को उसका सेठ उन मजदूरों का और सब का शोषण करके आज उस उद्योग को वापस लेने को तैयार हो रहा है।

इतनी बड़ी पूंजी गारंटी के तौर पर उस उद्योग को दिलवाई है लेकिन उसको वह उद्योगपति वापस लेना चाहते हैं, उस आदमी के पास इतनी सिक्यूरिटीज नहीं हैं कि वह 50-50 60-60 लाख रुपये की सिक्यूरिटीज सरकार के पास रख दे।

सरकार की यह 70 लाख की पूंजी किस प्रकार सुरक्षित रहेगी यह भी सोचने का विषय है। इसलिए सभापति महोदया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को कि हमारा उद्देश्य है कि सरकारी क्षेत्र में जो उद्योग धन्धे हैं उनमें सहकारी समितियों को अधिक से अधिक पनपायें। सरकार के हाथ में उद्योग

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आया। 50-60 लाख रुपये इन्वेस्ट किये उसको सुरक्षित न रख कर उद्योगपति को वापिस सुपुर्द किया जाय, यह उचित नहीं होगा और इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक लेटर पढ़ा गया। भारत सरकार के उद्योग मंत्री ने हमारे क्षेत्र के उद्योगपति को चिट्ठी लिखी इसकी मयाद एक एक साल करके पांच साल तक बढ़ायी जा सकती है और उसके बाद भी दस साल तक मयाद बढ़ायी जा सकती है। स्टेट अन्डरटेकिंग के अन्दर अवधि बढ़ सकती है तो क्या कारण है कि अवधि नहीं बढ़ा रहे हैं और जो उद्योग मुनाफा में चल रहा है दूसरे उद्योगों के मुकाबले इसके मुकाबले में मिल हैं उनको अच्छी तरह से देखें तो जो प्राइवेट उद्योगपति हैं उन्होंने तमाम मिल को घाटे में दिखा रखा है और उनकी शोषण वृति के कारण उनकी मिलें बन्द पड़ी हैं। यह खतरा मौजूद है। इसको हम अच्छी तरह से देखें। होना तो यह चाहिये कि इस प्रकार की गलत बातें या गलत हाथों में देकर गलत बेलेन्स शीट बनाकर ज्यादा से ज्यादा लायनशेयर खुद प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे उद्योगों को सरकार को अपने हाथ में अधिक से अधिक संख्या में लेना चाहिए। जो अन्डरटेकिंग अपने हाथ में लिया है उसको वापिस कर दें, यह अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार, के उद्योगपति हैं उन्होंने भी लिखा है कि अन्डरटेकिंग्स की मयाद बढ़ाने की कार्यवाही हो रही है। आपके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये कि जिस काम को हाथ में लेते हैं, उसको वापिस सुपुर्द कर दें।

भीलवाड़ा जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर कॉटन काफी पैदा होता है। कपास के लिये यह अच्छा क्षेत्र है 25 यूनिट भारत सरकार अलग अलग स्थानों पर स्थापित करना चाहती है। उस दृष्टि से देखा जाय तो तीन चार यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। आसींद क्षेत्र है वहां अच्छी और अधिक कॉटन पैदा होती है। वहां की कॉटन की पैदावार को देखते हुए इस प्रकार की यूनिट यहां पर स्थापित करने के सम्बन्ध में आप अवश्य ध्यान रखें।

एक कटौती प्रस्ताव खानों के सम्बन्ध में है। भीलवाड़ा में माइका की खानें चलती हैं उनके लिये निवेदन करना चाहता हूं। अभ्रक या तो भारतवर्ष में बिहार में या भीलवाड़ा जिले में पैदा होता है। इससे फोरिन एक्सचेन्ज भी प्राप्त होता है। इस अभ्रक इन्डस्ट्री की इस प्रकार की हालत हो रही है कि जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग अभ्रक व्यवसाय में फैल गये हैं कि जो ब्लेक मार्केट करते हैं, जो एक खान का माल लेकर दूसरी खान वाले को बेच देते हैं, उसकी खान में वह पैदा न हो तब भी दूसरी खान को बेच देते हैं। ऐसे लोगों को लीज होल्डर बना देने से, इस व्यवसाय को बड़ा धक्का लगा है। लीज लेने वाले की फाइनेन्शल कन्डीशन क्या है, इसको भी नहीं देखा गया है। जब लीज लेने आते हैं तो लाखों रुपयों की फाईनेन्शियल पोजिशन होने का दावा करते हैं और मजदूरों से जब काम कराते हैं तो उनको वेजेज भी नहीं दे पाते हैं। भीलवाड़ा जिले में कई अभ्रक

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की खानें ऐसी हैं कि जिनके मजदूरों को 6-8 महीने से वेजेज का पेमेन्ट नहीं किया गया है। रोज कलेक्टर, एस०पी० के घरों पर जाकर उनको बैठना पड़ता है और वेजेज के सम्बन्ध में बराबर कहना पड़ता है। इस प्रकार के उद्योग जो अधिक से अधिक फोरिन एक्स्चेन्ज देते हैं, उनकी यह हालत आपने कर रखी है और यही कारण है कि ऐसे लोगों को लीजेज दे देते हैं जिनकी फाइनेन्शियल पोजिशन अच्छी नहीं है और गलत तरीके से उद्योगों में काम करते हैं वे यहां रहते हैं। इसलिये जो लीजेज देते हैं उनमें कन्डीशन होनी चाहिये कि महीने दो महीने में मजदूरों का पेमेन्ट नहीं होगा तो उनकी लीज केन्सल कर दी जावेगी या उनका ब्लेक लिस्ट में नाम लिख दिया जावेगा वरना यह शोषण बराबर जारी रहेगा। मजदूरों का शोषण बराबर जारी है। वे लोग

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मजदूरों को पेमेन्ट नहीं करके उन्ही के पैसे से काम चलाते हैं और अपनी पूंजी भी नहीं लगाते हैं। इसलिये आप इसके लिये उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मनोहर सिंहजी!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनसंघ को टाइम मिलेगा ?

श्रीमती सभानेत्री : जनसंघ को पूरे 40 मिनिट हो चुके हैं। फिर कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे और समय होगा तो दे दिया जावेगा।

माननीय मनोहरसिंहजी!

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): सभापति महोदया, पहले से हमारे यहां ऐसी व्यवस्था जमी हुई थी कि किसी आदमी को बेकार रहने का मौका ही नहीं था। बुनकर अपने काम में व्यस्त था, कतवारी अपने काम में व्यस्त था और तेली अपने काम में व्यस्त था। लेकिन कुछ अर्से से हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आज बुनकर बेकार है, कतवारी बेकार है और तेली बेकार है। कहने को तो राज्य सरकार सबसिडी देती है। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूं कि तेली को सबसिडी दी जाती है। एक तरफ तेली को सबसिडी दी जाती है। मान लीजिये कि किसी क्षेत्र में तेली हैं, लेकिन हम देखते यह हैं कि वहां पर बड़े बड़े तेल के मिल लाकर खड़े करवा दिये जाते हैं। कोई एक हाथ से लेता है कोई दूसरे हाथ से देता है। तेली उसके मुकाबले खड़ा नहीं रह सकता है। घाणी और लाठ बेकार पड़े रहते हैं। तिल्ली का तेल निकलवाना है। आपने देख लिया कि इस क्षेत्र में बहुत तेली हैं तो कृपया उस जगह पर आप मिल मत रखिये। यही हालत खादी की है। सबसिडी देते हैं। लेकिन वहीं पर मिल रोप देते हैं। खादी वाले टिक नहीं सकते। आप ही देखिये इससे न बुनकर की हालत में, न कतवारी की हालत में और न तेली की हालत में कहीं अन्तर आया है। दिन व दिन ये लघु उद्योग धन्धे बेकार हो रहे हैं, । कैश क्रोप की ओर ज्यादा ध्यान हो रहा है, इसके कारण खेती में कोई खास तरक्की नहीं हो रही है।

बिजली के लिये मैं निवेदन कर दूं कि भीलवाडा से बिजोलिया तक बिजली गयी है। लाखों रुपयों का खर्चा किया है। जो छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं उनको आप बिजली

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

दे दीजिये। जहां उनका कल्याण होगा आपका भी वहां होगा। सांगानर में बिजली लगा दी ; उससे खेती की तिगुनी पैदावार हो गई है। उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इतनी लम्बी लाइन खींची है तो किसी प्रकार छोटे छोटे उद्योग धन्धों को बिजली मिले ताकि ये धन्धे पनपें और लोगों को रोजगार मिले।

(3 म० प०)

बीगोद एक जगह है। जहां 300-350 लोहार हैं और वहां पर पहले जब कोई साधन नहीं था तब से वे लोहे का काम करते आये हैं। वहां लोहे का पहाड़ जैसा कहते ह, खड़ा है, पर उसका उपयोग नहीं कर पाते, व हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

आज सरकार का लोहे की चद्दरों का कोटा भी उनको नहीं मिलता। वह भी किनको मिलता है? उनको मिलता है जिन्होंने कहने को मिले तो लगा रखी हैं, पर कच्चा माल ऊपर का ऊपर ब्लेक में बेच देते हैं। कृपा करके इसे रोकिये और वह कच्चा माल इन लोहारों को दीजिये। डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ अफसरों को और तहसील में जो अधिकारी रहते हैं उनको आप हिदायतें दीजिये कि वे इनको कच्चा माल का-लोहे का-कोटा दें ताकि वे पनप सकें। तो इस तरह से जितने भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनको वापिस जीवित करिये।

आज तो ये बड़े बड़े कारखाने बकासुर की तरह से खड़े हो गये हैं और ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग तो उनके पेट में समा जाने वाले हैं।

जमीन रबर की तरह से बढ़ने वाली तो है नहीं, इन कुटीर उद्योगों के बन्द होने से उनसे बेकार होने वाले लोगों के सामने सिवाय खेती करने के और कोई चारा नहीं रहता, तो उनका भार भी खेती पर पड़ता है। जमीन पर पहले से ही काफी भार है, वह भार फिर बढ़ रहा है। वहां उनको स्थान नहीं मिलता, तो मजबूर होकर उनको रिक्शा चलाने के लिये कलकत्ता जाना पड़ता है। वहां उनको बड़ा नारकीय जीवन बिताना पडता है। अगर कहीं नर्क और स्वर्ग आपको साथ साथ देखना हो, तो इनको कलकत्ता में जाकर देखिये। एक तरफ वे हैं थोड़ी देर के लिये भी जिनको लिफ्ट में खड़े होना पड़ता है तो वहां भी पंखे लगे हैं उनके लिये और बैठने के लिये कुर्सी लगी है और दूसरी तरफ ये मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, नंगे पैर, नंगे बदन, जेठ की कड़कड़ाती धूप में भी आदमी को रिक्शा में बिठाकर जानवर की तरह उन्हें लेकर दौड़ते हैं, घूमते फिरते हैं दिन भर। पटरी पर पड़े रहते हैं, और जौ के आटे की गोली बनाकर खाते हैं और सो जाते हैं। यह क्यों हुआ, किसका परिणाम है यह? यह इसलिये हुआ कि आपके ग्रामोद्योग नष्ट हो गये। आपका ध्यान उनके पुनर्निर्माण पर नहीं है। इसलिए इस तरफ आप ध्यान दीजिये। इन तीनों का समन्वय बिठाइये खादी, ग्रामोद्योग और पशुपालन।

ग्रामोद्योग राम है और खेती और गोपालन सीता है। सीता और राम का जिस दिन मिलन हो जावेगा, खेती ग्रामोद्योग और गोपालन का समन्वय बैठ जावेगा, उस दिन सबके हृदय में राम और सीता बैठ जावेगी, सुख और शान्ति आ जावेगी, समृद्धि आ जावेगी।

आपके हृदय में यह बैठ जावेगा तो आप सोचने लगेंगे कि एक एक गांव का उद्योग पनपाना है। आपको देखना होगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ग्रामोद्योग नष्ट हो रहे हों।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बड़े उद्योग वाले चुनावों में आपको पैसा दे देते हैं तो कहीं ऐसा तो न हो कि आप उनके दबाव में आकर छोटे उद्योगों को नष्ट करदें चुनाव में पैसा देकर उसके बदले में वे काफी रियायतें ले लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका प्रभाव इन कुटीर उद्योगों पर पड़ता है और वे पनप नहीं पाते।

इतनी बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: श्री विजयसिंह रावत!

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): सभापति महोदया, इन्डस्ट्री और वैज्ञानिक विभागों पर मेरे दो दो कटौती के प्रस्ताव हैं।

समयाभाव के कारण मैं चन्द शब्द कहूंगा। जहां तक इन्डस्ट्री का सवाल है, जब से अपना देश आजाद हुआ तब से जो भी उद्योग धन्धे हमने खोले और बहुतों का नेशनेलाइजेशन किया पर सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि हमने अनएक्सपीरियन्स्ड, अनस्किल्ड इन्जीनियर उन पर बिठायें जिससे आज तक उद्योग धन्धे जैसे जिस स्तर पर पहुंचने चाहिये थे, नहीं पहुंच पाये।

राज्य सरकार आज तक इसी नीति पर डटी रही है कि चाहे अमुक आदमी काम के लिये एबल और एबिलिटी रखने वाला हो या नहीं, उनको खानापूरी या उसकी जगह को पूरी करने की चिन्ता रहती है।

यही बात स्टेट रोडवेज पर लागू होती है। उनके वर्कशाप का कोई एक्सपर्ट इन्जीनियर जाकर इन्सपेक्शन करे तो मालूम होगा कि काम कुछ नहीं हो पा रहा है। डिपार्टमेन्ट पर जितना खर्चा होता है, वह उनके बैठे रहने से हाजरी भरने से होता है न कि मेन्टीनेन्स करने से।

कारण इसका एक यह भी है कि जो स्टुडेण्ट्स किसी टैक्निकल संस्था से निकल कर आते हैं उनको प्रेक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती। इन टैक्निकल स्कूलों में या कालेजों में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिये और तब किसी को किसी विभाग में अपोइन्टमेन्ट देना चाहिये।

पर आज तो जैसे ही डिप्लोमा या डिग्री लेकर निकलता है, उसे जिम्मेदारी के पद पर बिठा दिया जाता है। परिणाम जो होना होता है, वही होता है। किताबों की शिक्षा में और प्रेक्टिकल शिक्षा में जमीन आसमान का अन्तर है।

ऐसे ऐसे भी स्टेट रोडवेज में और ट्रान्सपोर्ट में इन्जीनियर हैं और फोरमेन हैं कि जिनको यह पता नहीं कि कौनसा इन्जिन का पुर्जा किस जगह लगना चाहिये। केवल किताब निकाल कर यह बता सकते हैं कि यह चीज़ है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी टैक्निकल इन्सीट्यूशन्स हैं, उनसे जितने स्टुडेन्ट्स निकलते हैं उनके लिये राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था हो जैसे बम्बई, कलकत्ता में है कि प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। इससे एफीशियेन्ट काम हो सकेगा।

दूसरा विज्ञान के बारे में मेरा सुझाव है कि अणुशक्ति विभाग जागरूक बने। एटोमिक नर्जी का प्लान्ट बम्बई में ट्राम्बे में है। पर इसका बेस कच्चा माल हमारे यहां काफी

(श्री विजयसिंह रावत)

निकलता है । बेरियल का पत्थर अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर काफी जगह निकला है। पहले भी ठेकेदारों ने निकाला और बेचा है। इसके बाद में इस विभाग की तरफ से भी सर्वे वगैरह करवाया गया है। राज्य सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे कामों की तरफ पूरा ध्यान दिया जावे । और एटोमिक रिएक्टर कायम हों देश में और उनके लिये रॉ मेटीरियल की पूर्ति सरकार करे ।

इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके अलावा दूसरे खनिज भी बहुत हैं, नीलम हैं, सोना, चांदी, कोयला, लाइम हैं, सीमेन्ट का पत्थर है उनकी अधिक से अधिक खोज करने से और खनन करने से राज्य की इन्डस्ट्री ज्यादा पनपेगी । इसको प्रोत्साहन देना भी सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है ।

इससे हमारी बहुत सी समस्याएं बेकारी की टैक्निकल हैंड की जो यहां से निकल कर दूसरे देशों में या प्रदेशों में जाते हैं, यहीं खप सकते हैं, हल हो सकती हैं ।

पर अफसोस है कि साइन्टिफिक विभाग हमारा, बहुत सी मशीनें और औजार ऐसे हैं कि जिनसे विभाग के पूरे कर्मचारी अनुभिज्ञ हैं । उनको जानकारी भी नहीं होगी कि इनका कौनसा पुर्जा किस काम आता है ।

इतना ही नहीं मैं तो यहां तक दावा कर सकता हूं कि मंत्री महोदय उनको एक साथ लेकर उनके सामने खड़े रहकर इन्सपेक्शन करवायें तो उनको उन कर्मचारियों में से 80 परसेन्ट ऐसे कर्मचारी मिलेंगे कि जो उन औजारों के मेन्टीनेन्स की रीति नीति भी नहीं जानते हैं । तो हमारी राज्य सरकार ने जो बहुमूल्य औजार खरीदे हैं उनका मेन्टीनेन्स तक नहीं होता है ।.....

श्री हरिदेव जोशी : किन औजारों की बात आप कर रहे हैं ? किस जगह पर ऐसे औजार हैं कि जिनका मेन्टीनेन्स नहीं होता है ?

श्री विजयसिंह रावत : मैं आपको बताऊंगा । ऐसी मशीनें हैं जो कि आपके कर्मचारी नहीं जानते और जिन्होंने उनका प्रेक्टीकल यूज नहीं किया......

श्री हरिदेव जोशी : 'से फोर एग्जाम्पल' Say for example.

श्री विजयसिंह रावत : जैसे बेरियल पत्थर का इन्सपेक्शन करना है......

हरिदेव जोशी । वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया करती है, राजस्थान सरकार नहीं करती है ।

श्री विजयसिंह रावत : इसमें राज्य सरकार के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको नहीं आता है तो उनका पुनीत कर्त्तव्य है कि राज्य सरकार निर्देश दे, राज्य सरकार जागरूक होकर भारत सरकार से मांग कर सकती है कि हमारे पास ऐसे खनिज हैं और वह हमारे देश के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे । मैं यह नहीं कहता कि आप स्वयं ही जिम्मेदार है लेकिन बात यह है कि जो चीज यहां मिलती है उसका लाभ उठाना आपका पुनीत कर्त्तव्य है । उससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और विदेशों से मेटीरियल मंगाना पड़ता है और उसके लिए फारेन एक्सचेन्ज देना पड़ता है उसमें भी असर पड़ सकता हैं । और यह एटोमिक एज है जिसमें बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है । तो मैं आपको यह

(श्री विजय सिंह रावत)
निवेदन कर रहा था कि जो मशीनें इतनी काम्पलीकेटेड हैं तो जो साइन्टिफिक डिपार्टमेन्ट है उसमें कर्मचारियों का पुनीत कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे मशीनों को अच्छी तरह से समझने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध करे कि हमको यह मशीन मिली है और हम इसको प्रेक्टीकल यूज में नहीं लाये हैं इसलिए हमारे लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको यहां पर सिर्फ पोस्ट दे दी गई है और मंत्री महोदय पूछते हैं तो वह थ्योरिटीकल बताते हैं लेकिन प्रेक्टीकल बताने में असमर्थ रहते हैं। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि वह इस पर गौर करे जिससे हमारी जो क्रिटिकल पोजीशन है, सारे संसार की और जनमानस की, उसमें जो टक्निकल नालेज का कदम उठाया है उसमें सफल हो सकें। समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इतना ही कहकर समाप्त करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) : सभापति महोदया, यह सदन के समक्ष उद्योग विभाग के संबंध में जो कटौती के प्रस्तावों पर बहस चल रही है उस संबंध में कुछ कटौती के प्रस्ताव मने भी प्रस्तुत किये हैं। सभापति महोदया, समयाभाव के कारण मैं उन सब बातों पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकूंगा जिनके बारे में प्रकट करना आवश्यक है लेकिन एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातों को इस सदन में कहना चाहूंगा।

यह बात तो निर्विवाद है कि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से कोई विकास हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। विशेषकर राज्य सरकार के प्रयत्नों से राजस्थान में औद्योगीकरण की दिशा में हमने प्रगति की है, यह हम कदापि नहीं कह सकते। सभापति महोदया, इस सदन में अनेकों बार ऐसे प्रश्न उठाये गये कि जिनके कारण उद्योग विभाग द्वारा दिये गये ठेके और उनके सम्बन्ध में कितनी धांधलियां की गयी हैं, उनकी अनेक मिसालें इस सदन में प्रस्तुत की गयी हैं। मुझे याद है पिछली बार, पिछले सत्र में कोटा में फर्टीलाइजर कारपोरेशन के सिलसिले में एक जमीन दिये जाने के घोटाले का यहां उल्लेख हुआ था और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसके संबंध में जो मिसल है वह माननीय अध्यक्ष महोदय को पेश कर दी जायेगी और सदन को इस बात का भरोसा दिला दिया जायेगा कि इसमें किसी प्रकार की गडबड़ी नहीं है। सभापति महोदया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि सेलाइन के और साल्ट के सिलसिले में पिछली बार सदन में यहां पर आरोप लगाया गया और इस बात की चर्चा की गयी थी कि उस समय के उद्योग मंत्री श्री चंदनमलजी वैद थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को किस तरह से गलत तरीके से नियमों के विरुद्ध वहां पर अलाटमेन्ट किया और किस प्रकार से लाखों रुपयों का नुकसान पब्लिक एक्सचेकर को हुआ। उस संबंध में आज तक भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गयी और इस सदन में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार से यह जो लाइसेन्सेज दिये जाते हैं, जो उद्योगों को रियायतें दी जाती हैं, जो अलाटमेन्ट्स किये जाते हैं, जो शेड्स का अलाटमेन्ट किया जाता है, जो जमीनों के अलाटमेन्ट्स किए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जाते हैं, जो कोटा के अलाटमेन्ट्स किये जाते हैं, जो असेन्शियलटी सर्टीफिकेट्स दिये जाते हैं, जो परमिट्स दिये जाते हैं, सभापति महोदया, आज राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं होने का एकमात्र कारण यह है कि राज्य सरकार की नीति इतनी पक्षपातपूर्ण है इस सारे सिलसिले में कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की दृष्टि से राजस्थान के रहने वाले लोग जो कि उद्योगों को बाहर जाकर पनपा सकते हैं, आज राजस्थान में आकर उद्योगों को खोलने को तैयार नहीं हैं। जो राजस्थान में चलने वाले उद्योग हैं उनमें किसी उद्योग को बिजली किसी भाव पर दी जाती है और दूसरे उद्योग को किसी और भाव पर दी जाती है। एक उद्योग को जमीन किसी भाव पर दी जाती है और दूसरे को किसी और भाव से दी जाती है और यही एकमात्र कारण है, सभापति महोदया, कि आज राजस्थान के उद्योगपति राजस्थान के बाहर बंगाल में उद्योग खोल सकते हैं और भारत के दूसरे हिस्सों में उद्योग चला सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं और लाखों और करोड़ों रुपया खुद कमा सकते हैं लेकिन राजस्थान में राजस्थान के उद्योगपति राजस्थान में आकर किसी प्रकार से उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। राजस्थान सरकार की भेदभाव की नीति और शोषण की नीति और राजस्थान सरकार के कुछ मर्जीदान उद्योगपतियों को संरक्षण देकर और उनको पनपाने की नीति का परिणाम है कि राजस्थान में उद्योग नहीं पनप रहे हैं। सभापति महोदया, मुझे अफसोस इस बात का है और सदन को जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर पिछले 10 सालों में 55 से लेकर 65 तक लगभग 125 लाख रुपये के लोन का डिस्बर्समेन्ट किया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि 10 सालों में जहां 125 लाख के लोन का डिस्बर्समेन्ट हो और उसके बाद में भी आज उन लोन्स की हालत क्या है? कितना लोन हमारा बकाया है आज उन लोन्स के बारे में, सभापति महोदया, 125 लाख रुपये का लोन इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने 55 से लेकर 65 तक दिया लेकिन आज हालत यह है कि उस लोन का हिसाब नहीं मिल रहा है। $7\frac{1}{2}$ लाख का तो कोई हिसाब ही नहीं है। $7\frac{1}{2}$ लाख के हिसाब के बारे में आज विभाग को पता ही नहीं है कि वह $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये का क्या हुआ? सभापति महोदया, लगभग 24 लाख रुपया ऐसा है कि जिसके लोन का या तो प्रोपर यूटीलाईजेशन नहीं हुआ या उसका नान-यूटीलाईजेशन हुआ है उसके बारे में भी हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जहां 24-24 लाख रुपये के लोन का मिस-यूटीलाईजेशन हो, उसके बाद में $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये का कोई विवरण नहीं हो और बाकी का जो लोन बचता है 90 लाख रुपये का, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। मैं, सभानेत्री महोदया, निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर चाहे आज खादी बोर्ड का मामला हो, चाहे बाकी उद्योगों का मामला हो, राजस्थान सरकार जो इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की मार्फत लोन देती है वह जिनको चाहते हैं उनको देते हैं बिना प्लैज किये हुए देते हैं, मशीनों को बिना प्लेज किये बिना सिक्योरिटी लिए देते हैं और डी. आई. ओ. की रिपोर्ट के बिना देते हैं, और यही कारण है कि आज कर्जे की वसूली नहीं होती। सभानेत्री महोदया, खादी बोर्ड के अन्दर इसी प्रकार से 20 लाख रुपये का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अकाउन्ट ऐसा है कि जिसके आज खादी बोर्ड के पास कोई यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट्स नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 125 लाख रुपये का मामला उठाया, सभानेत्री महोदया, आखिर लोन वसूल हो तो कैसे हो जब कि लोन लेने वाला व्यक्ति प्रभावी हो। जब वह नहीं देता है तो दूसरे आदमी कह सकते हैं कि हम कैसे दे सकते हैं। सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक लोन का जिक्र आया है 15 हजार रुपये का जो एक प्रेस को दिया गया। और 15 हजार के लोन के सिलसिले में उसकी 67 हजार रुपये की मशीनरी को बताया कि मेरे पास यह है। 67 हजार रुपये की मशीनरी का असेसमेंट नहीं कराया और उसके बाद में नतीजा यह हुआ कि डी. आई. ओ. ने असेसमेन्ट नहीं किया और 67 हजार रुपये की मशीनरी बताई। 15 हजार रुपये का लोन दिया और आ उसको 8 साल हो गए एक पैसे का चुकारा नहीं हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और सभानेत्री महोदया, इसलिए चुकारा नहीं हो सकता और चुकारा नहीं होगा क्योंकि इसमें यह लिख दिया गया है कि श्री आर. के. मिश्रा के नाम से यह नवयुग प्रेस को लोन दिया गया, लेकिन इसको चुकाने की जिम्मेदारी आर. के. मिश्रा की नहीं थी बल्कि श्री हरिदेव जोशी की जिम्मेदारी थी, यह लोन आपने लिया था......

श्री हरिदेव जोशी : यह आपको गलत इन्फोर्मेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत इन्फोर्मेशन इसलिये नहीं है, सभानेत्री महोदया, कि मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि आपने इसको चैलेंज किया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह 67 हजार की मशीनरी नवयुग प्रेस की थी....

श्री हरिदेव जोशी : जिस समय लोन दिया गया, मैं उसे छोड चुका था। आप जानकारी कर लीजिये, मैं नवयुग प्रेस को उस समय तक छोड़ चुका था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कुछ भी कहें तब तक प्रोपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक कि उसका सेल-डीड नहीं हो जाता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 67 हजार की मशीनरी का कोई सेल-डीड, उस नवयुग प्रेस की मशीनरी का कोई सेल-डीड आपने किसी रजनी कुमार मिश्रा के नाम से नहीं किया। अगर आपने सेल-डीड एक्जीक्यूट किया है तो आप उसकी कापी सदन की मेज पर रख दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपसे कहा कि कोई लोन के लिए मैंने एप्लाई नहीं किया। अगर मैंने किसी लोन के लिए एप्लाई किया हो, मैंने किसी लोन को लिया हो अथवा उसकी जिम्मेदारी ली हो किसी भी प्रकार से अथवा उसके बाद में मैंने उसके अन्दर उस इंस्टीट्यूशन के अन्दर काम किया हो, तब मेरी जिम्मेदारी है वरना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। केवल इसलिये कि मैं आपके सामने बैठा हूं आप मेरा नाम ले लें, यह ठीक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसकी लीगल पोजीशन बता रहा हूं। सवाल यह है कि नवयुग प्रेस के मालिक आप थे, नवयुग प्रेस की सारी जिम्मेदारी आपकी थी औ

(श्री सतीशचन्द्र [redacted]ल)
आप ही उसके मालिक थे इसलिये उसके ट्रांसफर डीड को एक्जीक्यूट करने का सवाल नहीं था और जब तक प्रोपर्टी का सेल-डीड एग्जीक्यूट नहीं होता, प्रोपर्टी ट्रांसफर की हुई नहीं मानी जा सकती, यह कानूनी पोजीशन है। उस प्रोपर्टी का टाइटल आपमें वेस्ट करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 67 हजार की प्रोपर्टी का कोई सेल-डीड एग्जीक्यूट किया हो, तो वह बता दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी: मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैंने न तो कोई लोन लिया....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधीनगर, जयपुर): ट्रांसफर डीड को एग्जीक्यूट नहीं किया था तो क्या उस समय कंसीडरेशन ले लिया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार के पास नवयुग प्रेस की 67 हजार की मशीनरी को प्लेज किया गया, इस पर 15 हजार का लोन लिया गया और वह लोन in the eyes of law प्रेस के मालिक को मिला। प्रोपर्टी आपकी थी, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ था और जो 15 हजार का लोन लिया गया 67 हजार की मशीनरी को प्लेज कर के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस मशीनरी को प्लेज किया गया था या नहीं और अगर प्लेज किया गया था तो डी० आई० ओ० ने उसकी जांच क्यों नहीं की ? इतने साल तक, दस साल तक उसको लिए क्यों बैठे रहे ?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

और सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता....

श्री हरिदेव जोशी: मैं तो अपने बारे में ही कह सकता हूं कि इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, इस लोन से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अच्छा तो आप यह बता दीजिए कि क्या आप इस बारे में जांच करायेंगे, इस सारे मामले की। जिस तरह से नवयुग प्रेस को लोन दिया गया उस लोन देने के सारे मामले की जांच करायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी: आपने अभी जो कुछ कहा है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने आपके सामने एक इश्यू खड़ा किया है....

श्री हरिदेव जोशी: मैंने आपसे कहा कि मैं उसका रिप्लाई दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: आपका सम्बन्ध इससे रहा है कि नहीं, यह बता दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी: जिस समय तक मेरा उससे सम्बन्ध थी, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपनी मानता हूँ, उसकी लायबिलिटी मैं अपने पर लेता हूं, लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दिया उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: क्या आपने लीगली, कानूनी तौर पर उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि कानूनन सम्बन्ध विच्छेद तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सेल-डीड एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। आप यहां पर खड़े होकर कह दीजिए कि सेल-डीड एग्जीक्यूट किया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपसे एक ही बात कही....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास में ही भूतपूर्व विधि मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे ही पूछ लीजिये, वे ही कह देंगे कि बिना सेल-डीड के कोई प्रोपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं होता।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक क्या है ? सभानेत्री महोदया, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जब इनका नवयुग प्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं था तो ये बतायेंगे कि इन पर भी अभी कुछ ही दिनों पहले जुर्माना हुआ है । जब आपका सम्बन्ध नहीं था तो आप पर जुर्माना क्यों हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी: मैंने कहा कि जब तक मैंने नवयुग प्रेस में काम किया उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसकी पूरी लायबिलिटी मैं अपनी मानता हूं और उस जिम्मेदारी से मैं अलग नहीं होता लेकिन जब मैंने प्रेस छोड़ दिया, मैंने उसकी जिम्मेदारी को छोड़ दिया तब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो आपसे यह पूछता हूं कि आप पर जुर्माना क्यों हुआ जब आपने नवयुग प्रेस छोड़ दिया ? यह लोन लेने के बाद में आप पर जुर्माना क्यों हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : यह जुर्माना तो पहले के मामले का था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जुर्माना तो अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था । मैं 1959 के पहले की बात नहीं कहता लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले जुर्माना हुआ है । आप कहते हैं कि मैंने नवयुग प्रेस को छोड़ दिया, नवयुग प्रेस से आपका ताल्लुक नहीं था, नवयुग अखबार से ताल्लुक नहीं था तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद आप पर इतना जुर्माना क्यों हुआ । अदालत में आपको आगाह किया गया, आप पर जुर्माना हुआ । इस तरह से आप नवयुग प्रेस की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते । सदन में खड़े होकर आप चाहे कुछ भी कह दें लेकिन अपनी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते । दस दस साल तक कर्जे की वसूली की कार्यवाही न हो, बेनाम जिनको कर्जा दिया जाय और उसकी वसूली न हो, सवा सौ लाख रुपया आपका कर्जे में हो और उसकी वसूली न हो सके और दूसरी तरफ आप गरीब जनता पर टैक्स पर टैक्स लगाते जायं, टैक्सों से रुपया वसूल करके इस तरह से लुटाते रहें और उसकी वसूली का कोई हिसाब न हो और हिसाब न होने के कारण आपका रुपया कभी वसूल नहीं हो सकता । इस तरह से जब आप पैसा लुटाते रहें तो आप देश का कभी भी औद्योगीकरण नहीं कर सकते । इस तरह से लाखों रुपया खर्च करके भी पब्लिक सेक्टर को ऊंचा उठा नहीं सकते और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए ।

श्रीमती सभापति : श्री देवीलाल ।

श्री देवीलाल (सराडा) : सभापति महोदया, मेरा कटौती का प्रस्ताव है, वह इस बारे में है कि सराडा में उद्योगों की कोई स्थापना नहीं की गई है । वहां पर इस प्रकार के कोई उद्योग धन्धे नहीं हैं कि लोग उन उद्योग-धन्धों में लग सकें । राज्य सरकार के माइनिंग

Page No.97

(श्री देवीलाल)

विभाग की ओर से नठारा की पाल में भी माइन्स लोहे की हैं। उस पर कोई काम नहीं किया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि नठारा की पाल में लोहे की खाने हैं और वहां पर पुराने जमाने में काफी लोहा निकलता था। अब जाकर के 5-7 वर्ष पहले ही उस खान की खोज की गई है, उसमें काफी मात्रा में लोहा पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले, कम्पनी की ओर से कुछ लोग देखने आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे को यहां पर बिजली की सुविधा नहीं होने की वजह से हम इस काम को चालू नहीं कर सकते। हमें काफी यह मंहगा पड़ रहा है। हमको साधन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। मैं आपके द्वारा माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह खान बहुत काफी मात्रा में चल सकती है और अच्छा लोहा प्राप्त हो सकता है। जब कि पुराने जमाने में कितीने यह खान चलाई थी और अच्छा लोहा निकाला था। काफी वहां लोहा गला हुआ मैल पड़ा हुआ है जिसमें क्या कहते हैं कि खरेड़े पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने उदयपुर जिले में और भी बहुत सी खानें वहां होंगी और जो लोहे की खान है वह भी अच्छी चल सकती है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस खान की ओर ध्यान देने की चेष्ठा की जावे ताकि वहां पर तीन चार हजार मजदूर काम कर सकें और अकाल के जमाने में भी काफी लोगों को मजदूरी मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में पहाड़ भी बहुत हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में काफी सोप स्टोन की खाने हैं। वे खानें काफी मात्रा में चल सकती हैं लेकिन उन्हें काफी लोगों को ऐसे ही दे रखी हैं जो टाइम पर मजदूरों को पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं और मजदूरों का पेमेंट नहीं होता है। ऐसे लोगों को खानें दे रखी हैं। एक जानकारी मुझे यह मिली है इन खानों के बारे में कि माईनिंग विभाग की ओर से यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि 5 एकड़ या दस एकड़ अगर कोई ले सके तो उस व्यक्ति को देते हैं। तो इसकी जगह यह क्यों नहीं कर दिया जाये कि दो एकड़ भी अगर कोई लेने वाला हो तो उसको दे दिया जाय। इसमें काफी छोटे जो लोग हैं वे भी दो एकड़ को लेकर के उसको चला सकेंगे। छोटे रूप में चला सकेंगे और सोप स्टोन तो काफी बड़ा एरिया में होता भी नहीं है, उसकी नसें या वेग कम एरिया में होती है, करीब करीब एकड़ या आधा एकड़, एक एकड़ दो एकड़ के एरिया में सोप स्टोन मिल जाता है बहुत बड़े एरिया में नहीं होता है तो कम पैसे वाला भी ले सकता है। जो बड़े पैसे वाला होता है वह काफी एरिया ले सकता है, लेकिन बड़ा एरिया होने की वजह से छोटे जो लेने वाले हैं वे उतना नहीं ले सकते और उतना पैसा नहीं जमा करा सकते हैं। इस लिए मेरा निवेदन यह है कि कुछ एरिया घटा दिया जाय ताकि 1-2 एकड़ तक का एरिया लें ताकि कम पैसे वाले लोग होते हैं वह कम पैसे में ले सकते हैं, यही निवेदन है। उदयपुर जिले में खेरवाडा तथा सराड़ा तहसील में जहां खनिज पदार्थ पाये जाते हैं उनकी ओर ध्यान देकर खानों की अधिक मात्रा में जांच कराके चलाने की कोशिश करें। यही मेरा निवेदन है कि खानों पर ध्यान दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : जनता पार्टी का समय बचा हुआ है। माननीय बद्रीप्रसादजी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : काहे को बोले यार ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदया, मुझे तो माननीय उपाध्यक्षजी ने बिल्कुल ही मना कर दिया था ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष जी डाक्टर थोड़े ही थे जो मना कर दिया था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं 5 मिनिट के लिए ही बोलना चाहूंगा बाकी समय शेखावत साहब को दे दूंगा जो कि लेना चाहते हैं ।

मेरा यह निवेदन है कि मेरा एक कटौती-प्रस्ताव है जो अलवर जिले की औद्योगिक बस्ती के बारे में है । यह बात है कि अलवर शहर के अन्दर इन्डस्ट्रियल एरिया बहुत साल पहिले कायम किया गया था और काफी जमीन उस काम के लिए रोकी गई थी । आज वहां पर प्लाट एवेलेबल नहीं है, लेकिन उस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और कई सालों से उनका कब्जा चला आ रहा है और जमीन खाली नहीं कर रहे हैं और जो इन्डस्ट्रियल एरिया कायम हुआ था तो इन्डस्ट्री वालों को नहीं मिल रहा है । मैंने खुद ने कोशिश की इस बात की, 6 महीने तक कोशिश करने के बाद भी प्लाट नहीं मिल सका और कहा गया कि अलग जमीन खरीद लो । यहां जमीन मिलने वाली नहीं है और मुमकिन नहीं कि जो जमीन है इन्डस्ट्रियल एरिया की, वह वे लोग खाली कर दें ।

दूसरा निवेदन यह है कि इन्डस्ट्रियल शेडस कायम किये गये थे सरकार की ओर से और उसका भारत सरकार के मंत्री ने उदघाटन किया । यह 60 की बात है और मैं 62 में जाकर अलवर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ है कि शेड्स के अन्दर ट्रेनिंग सेन्टर कायम हो गया है और शेड्स ए[illegible]स्ट नहीं करते हैं । मेरी यह जानकारी है कि कुछ लोग अलवर में शेड्स चाहते थे और उन्होंने स्टेनलेस स्टील की फेक्ट्री के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन अलवर में शेड्स नहीं थे और भरतपुर में यह कहकर मन्जूरी दी गई कि वहां पर शेडस एवेलेबल हैं । आप वहां जाकर कर सकते हैं जब कि यह बात देखने की है कि भारत सरकार के मंत्री ने आकर उसका उद्घाटन किया था । उस शेड के अन्दर ट्रेनिंग सेन्टर खोल दिया गया और शेड्स इन्डस्ट्री के लिए एवेलेबल नहीं है । यह सरकार के विचार करने की बात है ।

इसके अलावा बिजली की जो स्थिति है और उद्योग मंत्रीजी बिजली के भी मंत्री हैं तो वें देखेंगे कि इन्डस्ट्रीज को ३-४ दिन तक लगातार बिजली नहीं मिलती है । मैं अपने अनुभव के आधार पर अर्ज कर रहा हूं ।

सरकार की ओर से प्लाट नहीं दिये जाते और जो लोग इन्डस्ट्री कायम करना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जमीन खरीद लो और खरीद कर जब सरकार से कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है तो सरकार उस जमीन की कीमत तो देती नहीं है और उसको अपना बना लेती है, और जो खरीद दार हैं, जिसने जमीन खरीदी है, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है और कीमत दी है, सरकार उसको बिना एक पैसा दिये सरकारी जमीन बना कर लीज लेवल पर जमीन को 99 साल पर देना चाहती है तो, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि यह जो कानून है कि उद्योग के लिए कोई आदमी जमीन खरीद करके उसमें पैसा खर्च करे, उसमें कुआं खुदवाये, और 10 हजार रुपया इस काम के लिए खर्च किया और जब सरकार के पास कन्वर्ट कराने के लिए गया

(श्री बद्रीप्रसाद [redacted])

तो सरकार ने कहा कि उस जमीन को सरेन्डर कर दो और जब सरेन्डर कर दोगे तो 99 साल की लीज पर देंगे और 99 साल तक लीज की कीमत उसको देनी पड़ेगी । इस तरह का जो नियम सरकार का बनाया हुआ है, यह मैं समझता हूं कि भारत के संविधान के भी विरुद्ध है । आप किसी की जमीन को बिना कीमत के नहीं ले सकते हैं और कन्वर्ट कराने के लिए जायं तो जमीन को अपने कब्जे में ले लें और यह कहें कि यह जमीन सारी कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो अब 99 साल के लिए किराया भी दें, यह बात बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि उद्योग विभाग इस पर ध्यान देकर माल विभाग से कहकर इसको ठीक करना चाहिए ।

अलवर के बारे में कम्युनिस्ट सदस्य ने बहुत बातें कहीं और यह बात ठीक है कि वहां पर टैक्स्टाइल मिल के लिए आश्वासन दिया गया था । भारत सरकार के मंत्री आये और राजस्थान के उद्योग मंत्री आये, उन्होंने भी और कई बार अलवर शहर में ऐलान किया गया कि आपके यहां पर टैक्सटाइल मिल कायम हो जायगी । वह सात साल पहले की बात है मगर अभी तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मेरा यह निवेदन है कि और भी उद्योग धंधों के सिलसिले में कार्यवाही कर सकते हैं तो इस शहर के लिए करें क्योंकि जो पुराने कारखाने थे वे बन्द हो गये हैं । नये लगाने की बात है उसमें कुछ प्रगति नहीं हुई है । इसलिए यह निवेदन है कि इस शहर की ओर भी ध्यान देना चाहिए । इतनी बात कहकर मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय हीरा-भाई । यों आपकी पार्टी का टाइम हो चुका है, लेकिन ५ मिनिट आप बोलेंगे ?

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदया , हमारी पार्टी का टाइम तो खत्म हो गया है , लेकिन आपकी दया से मैं इस इन्डस्ट्री के बारे में जो डिमाण्ड है उस पर जो वाद विवाद हो रहा है उसके लिए कहूंगा । हमारे क्षेत्र के अन्दर इन्डस्ट्री का नाम निशान नहीं है । यह तो एक राजस्थान की कृपा है कि उस ढंग के हम उसके कृपापात्र होकर भूखों मरने का टाइम दिन पर दिन हमारे वहां आता जा रहा है । तो, माननीय सभापति महोदया, आज भी हमारा राजस्थान सिर्फ खेती पर ही निर्भर रह कर चला आ रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों आबादी बढ़ रही है उसी तरह से तमाम खेती का बंटवारा होकर खेती भी 5-5, 10-10 बीघे किसानों के पास रह गई है । हम सिर्फ दूसरे देशों की तरह के उद्योगों को देखकर हमारे यहां राजस्थान में उद्योगों की स्थापना और उद्योगों को चालू न करें तो फिर मैं समझता हूं कि आज से १० साल बाद इतना बड़ा इस मुल्क में पानी के गिरने के बाद भी अकाल होने वाला है । जमीन के अभाव में लोगों के भूखों मरने के सिवाय या दूसरे देशों में जाकर अपना निर्वाह करने के कोई चारा नहीं रहेगा ।

हमारे बांसवाड़ जिले में पथरीली जमीन है वहां तरह तरह का उद्योग चला सकते हैं चाहे माइन्स के द्वारा, चाहे और किसी तरह से पत्थरों का उपयोग कंकर बनाने में करके । क्योंकि

(श्री हीरा भाई)

हमारी काली, भूरी कंकरी के वहां पर छोटे बड़े उद्योग कायम करके आप वहां के लोगों को उद्योग दे सकते हैं। वर्ना वहां का एक ऐसा एरिया है कि वहां पर लकड़ी है उसका भी उद्योग हो सकता है, मगर लकड़ी तो राजनैतिक लोगों को मदद देने के लिए उनको उसका ठेका देकर जितने भी उद्योग हैं उसके लिए उपयोग जो कि करने चाहिए वह नहीं करते हैं और सीधी लकड़ी बाहर गांव ले जाते हैं। गवर्नमेंट की मन्शा है कि वे वहां पर लकड़ी चीरें, उनके तख्ते बनायें और उद्योग खोलें ताकि वहां के लोगों को मजदूरी मिले। वे उस लकड़ी को बाहर ले जाकर उसका उपयोग करते हैं और काम करते हैं। उसी तरह से जहां माइन्स का थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम चल रहा है तो माइन्स में भी यही हो रहा है। जो मजदूरों को मजदूरी दी जानी चाहिए, वह न दी जा कर बेगार की तरह मजदूरी दी जाकर (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इसके पश्चात् जहां के काश्तकारों की जमीन माइन्स के अन्दर आई है, उन काश्तकारों को जमीन का मुआवजा सरकार ने आज तक न तो तय किया है और न वहां के काश्तकार.... (अनवरत समय-समाप्ति सूचक-घंटी) माननीय सभापति महोदया, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मैं केवल दो बात कह कर जल्दी खत्म कर रहा हूं। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदया, वहां के लोगों के लिए राज्य सरकार से निवेदन करूंगा (अनवरत समय-समाप्ति-सूचक---घंटी) जो माइन्स के नीचे आम [illegible] जमी[illegible] उनके मालिक से काश्तकारों को उसका मुआवजा दिलाया जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां का एक उद्योग है-चर्म उद्योग। चर्म उद्योग की वहां एक फेक्ट्री खोली गई थी लेकिन सरकार ने वहां जो चर्म उद्योग के लिए लोन दिया और जो सहयोग चमार लोगों को दिया गया (समय-समाप्ति सूचक घंटी) उसे राज्य के उद्योग प्रसार अधिकारी खाकर चले गये हैं और उसका कुछ पता नहीं है (अनवरत समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) वहां क चमारों के लिए जो पांच हजार..

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री हीरा भाई : मैं अभी खत्म करता हूं। बस यही बात कह कर समाप्त करता हूं।

वहां के चमारों से वह रुपया वसूल किया जा रहा है (अनवरत समय-समाप्ति-सूचक-घंटी).......

श्रीमती सभानेत्री : माननीय नाथूलाल जी बोलेंगे। मुझे खेद है, माननीय सदस्य, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था.....

श्री हीरा भाई: चमारों के साथ में अन्याय किया जा रहा है उसके बारे में.......

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

मुझे खेद है, मैंने पहले ही निवेदन किया कि आपको पांच मिनट का समय दे सकूंगी। आपका कटौती प्रस्ताव नहीं था.....

श्री हीर[redacted] मुझे विर[redacted] का अधिकार है। आपने मुझे टाइम दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! (श्री नाथूलाल से) आप बोलिये !

श्री नाथूलाल : सभानेत्री महोदया, मेरा कटौती का प्रस्ताव......

श्री नत्थीसिंह : सभानेत्री महोदया, कटौती प्रस्ताव के विरोध में तो बोल सकते हैं। आपने टाइम दिया है बोलने का, तो वह दो मिनट और बोल दें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया था। फिर भी उनको समय दे दिया। मैंने माननीय सदस्य को केवल पांच मिनट बोलने के लिए निवेदन किया था लेकिन पांच मिनट बाद बार बार घंटी बजाने पर भी उन्होंने समाप्त नहीं किया।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सभापति महोदया, आप यह व्यवस्था दे सकती हैं कि यह जो भी कुछ कहना चाहें वह मंत्री महोदय को लिखित में दे दें और मंत्री महोदय उसका जवाब दे दें।

श्रीमती सभानेत्री : वह बोलने वाले हैं। स्वतंत्र पार्टी का समय बाकी है और कांग्रेस पार्टी का भी समय बाकी है।

श्री रामकिशन : कांग्रेस पार्टी को समय देने की क्या जरूरत है ? वह राज्य कर रहे हैं। दूसरों को रोना रोना है और वह सुनने वाले हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह क्या बात हुई। उनके भी प्रिविलेज हो सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : दोनों का अधिकार है। आपका ठेका नहीं है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदया, मेरा कटौती प्रस्ताव है बांसवाड़ा जिले में उद्योगों के अभाव के बारे में। बांसवाड़ा जिला एक पहाड़ी इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं। वहां पर छोटे-मोटे उद्योग भी नहीं हैं, इस कारण हजारों लोग वहां बेकार हैं और हर साल उन लोगों को निर्वाह के लिए बाहर जाना पड़ता है। भयंकर दुष्काल के समय में तो वहां राहत कार्य खोल दिये जाते हैं और लोग वहां काम करके अपना निर्वाह कर लेते हैं। लेकिन सुकाल के समय में भी लोगों को निर्वाह के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसका कारण यह है कि न तो वहां के लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन है और न वहां पर उद्योग धन्धे हैं। सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा में ऐसे उद्योग भी छोटे बड़े चलने चाहिए। एक बड़ा उद्योग प्रारम्भ करने के लिए खनिज मंत्री महोदय ने बांसवाड़ा की सर्वे भी कराई थी। उस सर्वे में एक लम्बे क्षेत्र में सीमेन्ट के पत्थर मालूम हुए हैं। इसलिये, सभापति महोदया, आपके द्वारा मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा में सीमेन्ट के धन्धे को प्रारम्भ कर दिया जाय तो हजारों आदिवासी लोग धन्धे पर लगेंगे और उनका जीवन निर्वाह होगा, इसके

(श्री नाथूराम)

साथ ही साथ उससे राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि पुराने जमाने में लोहारिया क्षेत्र के अन्दर लोहे की खदानें थीं। उसके खंडहर आज भी पड़े हैं। इसलिए वहां पर लोहे की खान का काम प्रारम्भ कर दिया जाय तो मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा।

दूसरे वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। वहां उद्योगों के लिए और खेती-बाड़ी के लिए बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गरीबों को ज्यादा मजदूरी मिल सके और उद्योग-धन्धे पनप सकें।

इसके साथ साथ मेरा निवेदन यह है कि वहां और भी छोटे - मोटे धन्धे हैं, चर्म उद्योग, लकड़ी का उद्योग, ईंट का उद्योग—यह सब उद्योग चल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जब तक व्यवस्था नहीं हो तब तक नहीं हो सकते, क्योंकि उन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, वह लोग चला नहीं सकते हैं। वहां पर गरीब काश्तकार अपने निर्वाह के लिए मिट्टी की ईंट बनाते हैं और अपने धन्धे के लिए भी ईंटें बनाते हैं। लेकिन माईनिंग विभाग वाले और तहसील वाले उनको हैरान करते हैं। उन लोगों को हर तरह का टैक्स देना पड़ता है। सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो काश्तकार निजी काम के लिए ईंटें बनाते हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए और उनको हैरान नहीं करना चाहिए। वह कोई और धन्धा नहीं होने की वजह से ईंट [redacted] वहां [redacted]दा से ज्यादा लोग ईंटें बनाते हैं।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में पक्के पत्थर और कच्चे पत्थर की खदान है। वहां बिजली पहुंच जाय तो बड़े रूप में धन्धा चल सकता है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ सकता है। इसलिए आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां पर इमारती पत्थर की खदान है वहां वह धन्धा प्रारम्भ करना चाहिए ताकि लोगों को मजदूरी मिले और उत्पादन भी बढ़े. इसके अलावा वहां बहुत से छोटे-मोटे उद्योग हैं जिनमें सरकार का सहयोग लोगों को मिलना चाहिए ताकि वहां उद्योग पनपें और लोगों का निर्वाह भी हो सके। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री मथुरा दास माथुर के उत्तर देने को खड़े होने पर) क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : और क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो पौने चार बजे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : I have been called upon by the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलने वाले दो हैं। माननीय सभापति महोदया, आप इस प्रकार की व्यवस्था दे दें, जो बोलने वाले हैं उनको समय दे दिया जाय। कहां तो छः बजे वाद-विवाद खत्म होता

(सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं और फिर सरकार का जवाब आता है। और चार बजे ही खत्म कर बैठे। साढ़े चार बजे तक वाद-विवाद चल सकता है। आपको थोड़ा सब्र और करना चाहिए। आपके पास में बहुत से अच्छे सजेशन आ सकते हैं, और अभी कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कौन बोलना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: भैरोंसिहजी बोलना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आपत्ति नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : उनका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कटौती प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में कोई चाहें तो बोल सकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : जिनके कटौती प्रस्ताव हैं, वह बोलें।

श्री भैरोंसिह : सभापति महोदया.....

श्रीमती सभानेत्री : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : है, है।

श्री विजयसिंह रावत : हैं । तीन हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी जल्दी क्या है ? और रोज पौने छः बजे खत्म होता था और फिर गवर्नमेंट रिप्लाई होता था। आज आप साढ़े चार बजे खत्म कर सकते हैं। जो बोलना चाहें उनको आप बोलने दें तो आपके समक्ष कोई सब्स्टेंशियल चीज भी आ सकती है। और केवल फार्मेलिटी पूरी करने की बात हो कि केवल पांच-पांच मिनट सब बोल लें और उसके बाद आप जवाब दे दें और फिर आराम से जाकर घर बैठें। तो अलग बात है। आप सब्र कीजिये, कोई सब्स्टेंशियल बात भी आपके सामने आ सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : I have been called upon by the Chair to speak, therefore, I stood..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें आप भी इन्ट्रेस्टेड हैं कि राजस्थान का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो।

श्री हरिदेव जोशी: अजीब सी बात है, सभानेत्री महोदया.......

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): सभानेत्री महोदया, राजस्थान के औद्योगीकरण के सम्बन्ध में यदि मोटे रूप से यह कहा जाय कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने तक और आज भी राजस्थान में राजनैतिक दृष्टि से एक इंडस्ट्रियल इम्बेलेन्स क्रियेट किया गया है। भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के बाद और उसके पहले भी अपने इन्डस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अनुसार इस इंडस्ट्रियल इम्बेलेन्स को समाप्त करने की चेष्टा की है। यह बात सही है कि राजस्थान के अतिरिक्त कई अन्य राज्यों में इस ओर

[redacted]

(श्री भैरोंसिंह)

चेष्टा की गई है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के २६ जिलों में से १८ जिले ऐसे हैं जिनमें राजस्थान बनने से लेकर अब तक कोई इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं हुई है यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज उन जिलों के अन्दर इंडस्ट्रियल एस्टब्लिशमेंट के लिए रॉ मैटिरियल उपलब्ध है, वहां इंडस्ट्रियल इन्सटालेशन हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती रही है कि वहां का नेतृत्व इस सरकार में प्रभावशाली नहीं है। आज यही कारण है कि राजस्थान के 26 जिलों में से 18 जिले इंडस्ट्रियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से बिलकुल उपेक्षित रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में इन्डस्ट्री के नाम से पैसा खर्च कर कुछ क्षेत्रों में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। सभापति महोदया, इंडस्ट्रियल डिसेन्ट्रेलाइजेशन पॉलिटिकल पॉइन्ट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, बल्कि राजस्थान की सिक्योरिटी के पॉइन्ट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर सकेंगे तो उससे राजस्थान की सिक्योरिटी अधिक रहेगी। इस लिहाज से डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया तो उसके साथ-साथ अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लायमेंट पोटेंशियलिटी बढ़ती है। इस आधार पर हम जिलों के अन्दर अलग-अलग क्षेत्रों में स्किल्ड लेबर भी तैयार कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम यह नहीं कर पाये हैं। आज भी यह करते जा रहे हैं कि जहां लोग जो इन्डस्ट्री लगाना चाहें वह यह अपनी सहूलियत के ऊपर करते हैं। अपनी सहूलियत के आधार पर कि ज्यादा से ज्यादा रुपया किस प्रकार कमाया जाय, यह दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टिकोण के कारण इतना हस्तक्षेप है कि हम इन्डस्ट्रीज को कोई फलां क्षेत्र में लगायेगा तभी उसे लाइसेन्स देंगे, तभी इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां पर इन्डस्ट्री एस्टेब्लिश करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट को साष्टांग प्रणाम करके जिस प्रकार वह डिक्टेशन देते हैं, उसको मानने के लिए तैयार रहती है।

उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं बीकानेर डिविजन में फर्टीलाइजर फैक्टरी का प्रावधान कई बार रखा गया। इस बारे में कई बार घोषणायें की गई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसका कई बार उल्लेख आया है लेकिन वास्तव में जाकर देखा जाय तो बीकानेर के किसी जिले में फर्टीलाईजर फैक्ट्री नहीं लगी। कोटा में लगी है। कोटा में लगी इसमें सरकार को मुनाफा हुआ, यह बात नहीं। इसमें भी पन्द्रह लाख की जमीन दस लाख में दी गई। उसमें भी पांच लाख का सरकार को नुकसान हुआ। चाहे कितना ही घाटा हो पूंजीपति किस प्रकार राजी रहे, उसका पहले ध्यान रखा जाता है। आज राजस्थान में कुछ पूंजीपति एकाधिकार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर सारे राजस्थान की इन्डस्ट्रीज को केपचर करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं, सभापति महोदया, जयपुर का उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। यहां नई इन्डस्ट्रीज बनी, लेकिन पुरानी इन्डस्ट्रीज का क्या हाल हुआ, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट को देखें तो उससे यह पता चलता है अन्डर लिक्विडेशन या प्रोप्राईटर नॉट ट्रेसेबल— ये दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। ऐसी कोई

(श्री भैरोंसिंह)

इन्डस्ट्री नहीं है जिससे कह सकें राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। बालबियरिंग फैक्टरी को इस मायने में ले सकते हैं, इसका एक्सटेन्शन जरूर किया। जयपुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स में स्पीन्डल्स में वृद्धि की है। ये बातें सही हैं कि स्पीन्डल्स की तादाद बढ़ने के कारण प्रिफरेन्शियल शेयर्स का इन्ट्रेस्ट और डिविडेन्ड आदि मिलाकर साढ़े सात लाख रुपया कर्जा दिया। मिल के एक्सटेन्शन के लिये वह इस शर्त पर कि वे नीम का थाना में सीमेंट फैक्टरी खोलेंगे, लेकिन आज तक वह फैक्टरी नहीं खुली। कागजात गायब। साढ़े सात लाख रुपये बट्टे खाते में गये। उसका परिणाम हम देख रहे हैं स्पिनिंग मिल बन्द पड़ी है। दूसरी फैक्टरी बन्द पड़ी हुई होती तो मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार उसको अपने हाथ में लेती। जिस चीज को हिन्दुस्तान की सरकार नहीं कर सकती वहां राजस्थान सरकार ने अपने शेयर्स को लोन के रूप में कनवर्ट कर लिया यह राज्य सरकार ने जो पाप किया उस पाप के पीछे राजस्थान का एक मशहूर सेठ है, जो इस बात के लिये एक्सपर्ट है राजस्थान की जनता का पैसा सरकार के माध्यम से किस प्रकार लिया जाय। राजस्थान की जनता का खून चूसा जाय, उस खून से एक सेठ वर्ग ऐसा है जो मौज उड़ाता है। कोई पांच रुपया चुरा लेता है उसको चोर कहते हैं, और जो जबरदस्ती छीन लेता है उसको डाकू कहते हैं, लेकिन यह सेठ डाकू से भी बड़े रूप में राजस्थान सरकार का पैसा खाता जा रहा है जिसको यह सरकार रोक नहीं सकती। इतना ही नहीं, जयपुर स्पिनिंग मिल को जो चला रहे हैं, जो राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बन करके उससे रुपये ले लिये वे हैं श्री रामनाथ पोद्दार। ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाकर इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट के नाम पर ये ठगों की दुकानें चल रही हैं और इन ठगों की दुकानों को राज्य सरकार प्रोटेक्शन दे रही है।

आज राजस्थान इस बात के लिये मशहूर नहीं कि यहां का इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आज राजस्थान इस बात के लिये मशहूर हो गया कि इन्डस्ट्रीज नहीं बल्कि इन्डस्ट्रीज के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग चलता है। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के मार्फत या कॉर्पोरेशन के मार्फत जो कच्चा माल का परमिट ले लेते हैं उसका प्रोडक्शन होता नहीं उसका ब्लेक करते हैं। इस प्रकार जो ब्लेक मार्केटियर्स के किंग बने हुए हैं उन पर राजस्थान सरकार का वरदहस्त है। इन्डस्ट्रीज विभाग की फाइल के अनुसार राज्य सरकार से मैं पूछना चाहूंगा मेरी जानकारी के अनुसार सरकार की फाइल में 62 ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिनको ब्लेक लिस्ट किया गया है जिन्होंने रॉ-मैटिरियल का ब्लेक किया? क्या राजस्थान सरकार ने किसी भी व्यक्ति का एसेन्शियल कॉमोडिटीज एक्ट के मातहत किसी का चालान किया है। बंबई में चालान हो सकते हैं, मद्रास में हो सकते हैं लेकिन राजस्थान सरकार इनका चालान नहीं कर सकती। उस लिस्ट में एक श्री कन्हैयालाल जैन भी हैं इनको भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। यह राज्य सरकार के उद्योग विभाग के रेकार्ड में है। सभानेत्री महोदया, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है उसके डायरेक्टर्स में श्रीमान का

(श्री भैरोंसिंह)

नाम है इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। जिसका नाम ब्लेक मार्केटियर्स की लिस्ट में है उसको आप कॉर्पोरेशन का मेम्बर बना देते हैं तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वे इसमें सुधार कर पायेगी। इसमें कांग्रेस का सवाल नहीं, किसी व्यक्ति या दल का सवाल नहीं। आज हो क्या रहा है कि हमारे यहां के कोटे से पंजाब की इन्डस्ट्रीज पनप रही हैं। आज ब्लेक मार्केट करने वालों को मध्य प्रदेश मुकद्दमा चला सकता है, यू० पी० वाले चला सकते हैं लेकिन राजस्थान सरकार मुकद्दमा चलाना तो दूर रहा उल्टा उनको ऐसे काम के लिये प्रोत्साहन तक देती है।

सभानेत्री महोदया, पंजाब की इन्डस्ट्रीज के लिये मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि पंजाब इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट राजस्थान सरकार की इनएफेशियेन्सी के कारण होता जा रहा है वह यह कि हमारे यहां से कच्चे माल का कोटा पंजाब में जाकर बिकता है। इसको सरकार रोक नहीं सकती। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं उनका उद्योग विभाग उस कोटे को चेक क्यों नहीं करता? उसके बाद जो अपराधी हो उसको प्रोसीक्यूट क्यों नहीं करता? इसके बारे में एक अधिकारी की रिपोर्ट पर काफी झगड़ा भी चला, केसेज भी रजिस्टर हुए। मैं जानना चाहता हूं क्या इसका आपने सर्वे किया? आप क्यों करने लगे? क्योंकि ये ही लोग कांग्रेस को चुनाव के मौके पर काफी धनराशि देते हैं। एक ही काम हो सकता है या तो इनसे चन्दा न लें या इनको प्रोसीक्यूट ही किया जाय। कांग्रेस के लोग ब्लेक मार्केटियर्स से चन्दा लेने में एक्सपर्ट हैं, उनको रोकने की वे किसी प्रकार व्यवस्था नहीं कर सकते।

सभानेत्री महोदया, माइन्स के बारे में निवेदन करूं इसमें कितने ही अनऑथोराइज्ड काम चल रहे हैं। माइन्स डायरेक्टर के बारे में कई बार कम्पलेंट हुई है। यह सब हो जाने के बाद भी उस आदमी को पन्ने की खान का लाइसेन्स दिया गया, भारत सरकार को उसके लिये सिफारिश की गई। जो सीमेन्ट का चोर, पत्थर का चोर हो उसको आप पन्ने का काम करने का लाइसेन्स देते हैं जिसके खिलाफ ब्लेक के कारण एन्क्वायरी चल रही है। यह इसलिये कि सरकार के कुछ लोग मुंह लगे हुए हैं वे कितनी ही कमाई किसी भी तरह से करें उनको रोक नहीं सकते। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, माइन्स डिपार्टमेंट की बकाया है, वह बहुत ही भयंकर है, उसकी वसूली करने में हम कामयाब नहीं हुए। 31 मार्च, 1966 तक 1 करोड़ 20 लाख की बकाया चल रही है। 67 में उसमें कमी हुई हो यह बात नहीं उसमें 25 लाख की वृद्धि हुई है। इस तरह से इस एक ही विभाग में 1 करोड़ 45 लाख की बकाया है। किसी म्युनिसिपेलिटी की बकाया हो, या वाटर वर्क्स की बकाया हो तो यह माना भी जा सकता है, लेकिन जो सरकार का डेड रेन्ट खाते हैं, रॉयल्टी खाते हैं उस विभाग का 1·45 करोड़ रुपया वसूल नहीं कर सकते इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है? इसके लिये एक तरकीब सरकार ने चला रखी है वह यह कि किसी के खिलाफ विरोधी पक्ष के लोग आउट स्टेंडिंग की बात करता है तो उसके लिये यह कह

(श्री भैरोंसिंह)

दिया जाता है कि यह तो केस पी० डी० ग्रार० में दे दिया। इसका इतिहास है पी० डी० ग्रार० के केसेज दस-दस साल तक फैसले नहीं होते। उनको परस्यू करने वाला कोई नहीं होता। राज्य सरकार की कोई एजेन्सी नहीं जो पी० डी० ग्रार० के केसेज को परस्यू करे। उसका क्या हो रहा है उसकी निगरानी रखने वाला कोई नहीं। उसकी प्रोग्रेस किस प्रकार से हो रही है उसकी निगरानी रखने वाला कोई नहीं। इसके लिये जैसा कि रामानन्दजी ने कहा इसके लिये इनडिपेन्डेन्ट कमीशन को नियुक्त करना चाहिए जो यह देखे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का उद्योग चल सकता है, किस प्रकार के उद्योग की वहां ग्रावश्यकता है। ग्राज सीकर, झुंझुनूं, चूरू, गंगानगर, सवाई माधोपुर ये क्षेत्र ऐसे हैं जो इन्डस्ट्रीज के लिये तरस रहे हैं।

सभानेत्री महोदया, माइन्स के मामले में कितनी गड़बड़ी होती है। कितना एरिया इसके ग्रन्तर्गत है उसके बारे में कोई रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। इस संबन्ध में माइन्स डायरेक्टर के खिलाफ एन्क्वायरी चल रही है। उसको राजस्थान सरकार दबाकर बैठी हुई है। कभी एन्टी करप्शन को देते हैं कभी विजिलेन्स कमीशन को कहते हैं कि गो स्लो। यह मामला 54 से चला ग्रा रहा है। राज्य सरकार ग्रभी तक एन्क्वायरी नहीं कर पा रही है। यह बात सही है कि कुछ ब्लेक मार्केटियर्स से पैसा लेकर खा गये जिनकी बही खाते में एन्ट्रीज मिल गईं। भारत सरकार ने जांच करके राज्य सरकार को लिख दिया कि गोकुल मेहता ने बाईस हजार रुपया रिश्वत का लिया है। चूंकि गोकुल मेहता भगवतसिंह जी के ग्रौर मोहनलाल सुखाड़िया के इन दोनों के चहेते ग्रादमी थे इसलिये इनके कागज दबाकर रख दिये। इस प्रकार जो ग्रादेश दिये गये राज्य सरकार उसकी ग्रवहेलना कर रही है। ग्राज श्री गोकुल मेहता को प्रमोशन दे कर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया ग्रौर उनके कागजों को दबाने की चेष्टा की जा रही है।

(4 म० प०)

मैं ग्रापसे पूछना चाहता हूं कि यदि एक चपरासी दो रुपये भी खा जावे तो ग्राप उसको फांसी लगा देते हैं, उसके खिलाफ इन्क्वायरी बिठा देते हैं। मगर मैं कहूंगा कि ग्रापके गोकुल लाल मेहता क्या लगते हैं? उनके खिलाफ लोगों के बही खातों में एन्ट्रीज मौजूद हैं फिर भी ग्राप उनके खिलाफ एन्क्वायरी नहीं करते हैं इसका क्या कारण है? (शेम, शेम)

उनको ग्रापने एक सीनियर पोस्ट पर लगा रखा है। या तो ग्राप कह दीजिये कि बहियों ग्रौर खातों में एन्ट्रीज हैं वे गलत हैं, मगर ऐसा ग्राप कह नहीं सकते। ऐसा लगता है कि खुद खाग्रो ग्रौर उनको भी खिलाग्रो तो ठीक वर्ना केवल ग्रकेले खावें तो एन्क्वायरी हो सकती है।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार इसमें क्या करना चाहती है? ग्राप इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट में कहां सुधार करेंगे? ग्रापने लाखों रुपये खर्च किये हैं। कई स्कीमें बनीं ग्रौर इवेल्यूएशन कमेटी बनी। उसने कहा कि यह बेकार खर्च हुग्रा है। चाहे ग्रापका इस तरह से चार पांच लाख रुपया खर्च हो जावे ग्रौर सारे का सारा रुपया बेकार चला जावे उसकी ग्रापको परवाह नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उस स्कीम को ली क्यों? आपने उसको इसलिये ली कि वह भारत सरकार की स्कीम है इसलिये आपने उनको हाथ में लिया और कहीं 60 पर्सेंट और कहीं 70 पर्सेंट कन्ट्रीब्यूट किया। आपने कितने लोगों को आज तक ट्रेनिंग दी और उसका क्या फल रहा? और क्या उन्होंने निश्चित रूप से उद्योगों में भाग लिया। मगर आप नहीं बता सकते। ऐसी हालत में राजस्थान में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पर और सहायता देने के नाम पर पिछले 6 वर्षों में आपने 21 लाख रुपया खर्च किया जो वेल्यूएशान ऑफिसरों की रिपोर्ट के अनुसार सारे का सारा बेकार गया। आज कोई राजस्थान की सरकार से पूछना चाहे कि क्या हिन्दुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता के पैसे आपने खर्च किये उसके लिये कोई, सभापति महोदया, हिसाब नहीं। जब कहते हैं कि यह क्यों हुआ तो कहते हैं बिल्डिंग नहीं थी, एक्सपर्ट ट्रेनिंग के लिये नहीं थे इस प्रकार के कई बहाने बना कर यह काफी खर्चा कर दिय गया।

मैं डाकू के नाम से नहीं कहूंगा क्योंकि यह ठीक नहीं है लेकिन जो सस्ती धोती, टोपी के लिये इन्तजाम करता है वह खादी बोर्ड है। आप इस बात को सुन कर ताज्जुब करेंगे कि पिछले साल उनको 6 करोड़ और 18 लाख की ग्रान्ट और लोन्स टोटल मिले हैं। आप अन्दाजा लगावें कि राजस्थान में 6 करोड़ और 18 लाख रुपये आपने खादी संस्थाओं को दिये। आपने उनको लोन दिया तो आपने यह नहीं देखा कि कितना एम्प्लॉयमेंट [redacted] को प्राप्त कराया गया। आप देखेंगे कि आज उन संस्थाओं में से कितनी जिन्दा हैं, तो आपको मालूम होगा कि उनमें से 35 पर्सेंट ही केवल जिन्दा हैं। 65 पर्सेंट संस्थाएं ऐसी हैं जो लोन खा गईं और ग्रान्ट भी खा गईं। उन्होंने मजदूरों को पैसे नहीं दिये और पैसा खा गये। मगर हमारी कांग्रेस नेताओं की तरफ से छूट है कि जितना ज्यादा खर्चा करते हैं उतना खादी को देते हैं जिससे उनको धोती, साड़ी सस्ती मिलती है और कपड़ा सस्ता मिलता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह तो सबको सस्ता मिलता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खादी के कपड़ों में रिबेट मिलती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह तो रिबेट सब को मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने इसलिये कहा कि खादी पहनने वालों को थोड़ा पेन लगे और वह लगा। मैं यह नहीं कहता कि खादी पर खर्चा नहीं हो, मगर मैं यह कहूंगा कि आप भी महसूस करते हैं कि खादी के नाम पर खर्च होता है उससे 20½ रु० की एक धोती आती है वह 35 की हो जावेगी। और खादी के अन्डरवीयर पहन कर आवेंगे। आज वित्त मंत्री, पैसा पैसा करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खादी संस्थाओं को बन्द कर दीजिये। क्यों आप इन पर इतना खर्चा करते हैं?

पहले इस बात की जानकारी करें कि इससे कितना बुनकरों को एम्पलॉयमेंट

(श्री भैरोंसिंह) [redacted] मिल सकता है [redacted] उसके बाद इसको बन्द करें। आप यह सफेद हाथी यों ही चला रहे हैं। आप कोटा और अलवर में जावें तो आपको मालूम होगा कि खादी में काम करने वाले लोगों के बंगले खड़े हैं और ऐसे लोगों के जिनको किसी को 40) माहवार और किसी को 60) और किसी को 200) रु० मिलते हैं, मगर आज उनके बंगले लखपतियों जैसे बने हुए हैं। मैं आज खादी के काम करने वाले तपस्वियों से कहना चाहता हूं कि आपने ये लाखों रुपयों की इमारतें कैसे खड़ी कर दीं? आपकी ये इमारतें कैसे खड़ी हो गईं जबकि आपको इतना कम वेतन मिलता है?

(4·08 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

आखिर आपने गरीब जनता का खून चूसा है वह टपकता हुआ नजर आता है। अध्यक्ष महोदय, आपको तो जानकारी है कि अजमेर में खादी में मिल का सूत मिला हुआ पकड़ा गया, जब आप गृह मंत्री थे इसलिये इस बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

पिछले समय चीफ मिनिस्टर ने जोश में आकर कहा था कि इसके लिये हम एनक्वायरी कमेटी बिठाते हैं। मुझे भी उस कमेटी का सदस्य बनाया गया था। मेरे पास भी उसका निमंत्रण आया और जब 6 महीने तक कोई कमेटी की मीटिंग नहीं हुई तो मैंने पूछा तो कहा जाता है कि तीन महीने पहले ही वह भंग कर दी गई। इसका [redacted] यह था कि उस समय खादी मंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा कि अगर इसकी जांच होगी तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। आपको उन्हें मंत्री-मंडल में बनाये रखना जरूरी था। इस कारण से आपने उनके हाथ में वित्त को देकर डूबो दिया लेकिन खादी संस्था में काम करते आ रहे थे उनको आपने पदोन्नत करने के लिये उन्हें अलग कर दिया। क्या आपने खादी के मामलों में जांच कराई कि आप जितने भी ग्रान्ट और लोन्स उनको देते हैं उसका प्रॉपर युटिलाइजेशन होता है या नहीं। लास्ट ईयर के 21 लाख के मामले ऐसे हैं जिनमें युटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आये। आज उसमें लाखों रुपये ऐसे हैं जो किस किस वर्ष में क्या क्या हुआ, मैं कहना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, आप आ गये हैं इसलिये मैं एक जानकारी आपके मारफत देना चाहूंगा कि पिछले समय कोटा की फर्टीलाइजर कार्पोरेशन को जमीन दी है। 15 लाख रुपयों के बारे में, मुख्य मंत्री ने कहा कि यह फाइल मैं अध्यक्ष महोदय को दिखा दूंगा। उसके बाद भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री हरिश्चन्द्रजी ने भी कहा कि......

श्री अध्यक्ष: मैं इसके लिये जानकारी देना चहाता हूं कि पत्रावली भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो गई और वह लौटा दी गई।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि उन्होंने, जो बातें यहां कही थीं, उन पर क्या निर्णय दिया?

श्री अध्यक्ष : यह यहां का प्रश्न नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : तो कहां का है ? चेम्बर का ?

श्री अध्यक्ष : यह चेम्बर का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, चेम्बर का परव्यू बहुत बढ़ता जा रहा है ।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में इन्डस्ट्रीज की क्या हालत है, सोजत में, रायपुर तहसील में इन्डस्ट्री आई............

श्री हरिदेव जोशी : वह रिपीटिशन है, ...

श्री भैरोंसिह : इस पर नहीं कहा है ।

श्री हरिदेव जोशी : आपके पहिले माननीय सदस्य, जनसंघ से बोले थे, उन्होंने इसका जिक्र किया है । ब्रीफ तो आपने ही किया था ।

श्री भैरोंसिह : यह कह कर एक मेम्बर की इन्टेलिजेंस पर चार्ज लगा रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं । आपको बोलना नहीं था, इसलिये आपने उनको इसके बारे में बोलने के लिये कहा । क्योंकि आपको बोलना नहीं था ।

श्री भैरोंसिह : मैं तो अध्यक्ष महोदय की कृपा से बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मेरी कृपा होती तो मैं आपको नहीं बोलने देता ।

श्री भैरोंसिह : सभापति महोदया की कृपा से ।

श्री अध्यक्ष : सदा । ... आप पर कृपा है ।

श्री भैरोंसिह : कृपा के कारण लोगों को जलन भी है ।

65-66 का यह एक प्रतिवेदन है इसको देखें, उसमें एडवरटाइजमेंट पर 28 हजार खर्च किया गया है, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का 28 हजार का एडवरटाइजमेंट हुआ । हेन्डीक्राफ्ट्स पर 125 हजार खर्च हो गया पर आमदनी हुई 7 हजार । फिर यह 28 हजार का एडवरटाइजमेंट किस बात का ? छोटा सा काम है जिसमें मुनाफा नहीं होता, उसके लिये 28 हजार का एडवरटाइजमेंट हुआ । इसमें लिखा है:) "65·5 Metric tons of tin sheets given on hire or rent are not confirmed to have been given by the Corporation."

अब मैंने पता लगाया यह पार्टीज कौनसी हैं, जिनको ये टिन उधार दिये गये थे, किस कानून से दिये ? कुछ तो कांग्रेस को उधार दिये । कांग्रेस ले भी ले और वेरिफाई नहीं करे कि हमने ले लिया, यह बात आप में है । पहले कोई लेता था तो मंजूर तो कर लेता था कि मैंने लिया पर आप तो एक्सपर्ट हो गये हैं कि ले भी लें और सवाल आये तो इन्कार कर दें कि हमने तो लिया ही नहीं । इतने टिन चले गये पर कोई नहीं कहता कि कहां चले गये, कॉर्पोरेशन बैठा बैठा देख रहा है, वह जांच नहीं कर पाता । राजस्थान में जितना इन्वेस्टमेंट है, राजस्थान में 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है । सरकार कह सकती है कि कोआॅपरेटिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है । पर कोआॅपरेटिव के अलावा 4-5 करोड़ का राजस्थान में इन्वेस्टमेंट है । उसका रिटर्न कुछ नहीं आता । जो राजस्थान में उद्योग लगाये

(श्री भैरोंसिंह)

चाहते हैं उनको 22 करोड़ की गारन्टी राजस्थान सरकार ने दी थी, गारंटेड एमाउन्ट में अब तक रिपेमेंट होना चाहिए था वह रिपेमेंट नहीं किया, लाखों बकाया है, और बकाया बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने एक की गारन्टी दी है, वह गारन्टी लेने वाला सरकार के खिलाफ दावा करके रकम वसूल करने की कार्यावाही करेगा। सरकार न तो वसूल कर सकती है और न रिटर्न ले सकती है। हम तो एक रिटर्न लेते हैं। जयपुर उद्योग का मामला आया। फलोदी का पत्थर खत्म हो गया तो भैरूपुरा और दूसरी माइन से उसे पत्थर लेने का परमिट दे दिया, एक महीने का परमिट दे दिया। इसलिये कि फिर एक महीने बाद सेठ साहब मंत्री महोदय के बंगले पर आयें और फिर उसे लीज दें। बिल्डिंग स्टोन पर बिल्डिंग स्टोन की रॉयल्टी लेनी चाहिये, वही पत्थर दूसरे काम के लिये इस्तेमाल होता है तो कानून के माफिक रॉयल्टी क्यों नहीं ली जाती? शाहू जैन कोई खुदा नहीं है। हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपके माध्यम से कि सेठ, राजस्थान के फाइनेन्सेज को हड़प नहीं कर जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि अगर राजस्थान के फाइनेन्सेज को बचाना है, अगर राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो पहले राजस्थान को रामनाथ पोद्दार जैसे व्यक्ति से बचाया जाय। रामनाथ पोद्दार राजस्थान की जनता के पैसे को जहां हाथ लगे वहीं पर हड़प कर जाना चाहता है। कन्हैयालाल जैन से राजस्थान को बचायें, राजस्थान की माइन्स को बचाना है तो राजस्थान को हनुमान प्रसाद चौधरी से बचाया जाय। अगर राजस्थान को सब कुछ से बचाना है तो खादी बोर्ड से [redacted] जाय। यह होगा तभी राजस्थान की इन्डस्ट्रीज डेवलप होगी। यह कहने के बाद.....

(समय - समाप्ति - सूचक - घंटी)

क्योंकि घंटी बज गई है, मैं बैठता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय,.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका कौनसा डिपार्टमेंट है?

श्री मथुरादास माथुर : स्टेट एन्टर-प्राइज!

अध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव, खास तौर से स्टेट एन्टरप्राइज.डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध रखने वाले सदन में रखें, तीन चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये।

मैं दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह धारणा लोगों में, खास तौर से माननीय सदस्यों में है कि जो राजकीय उद्योग हैं, उनमें घाटा ही घाटा होता है, तो वह धारणा हमें निकाल देनी चाहिए।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय उद्योगों के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील नहीं है, यह धारणा हो तो इस धारणा को निकाल देना चाहिए।

यह मैं मानता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों से कटौती प्रस्ताव रखने की वजह से हमारा ध्यान खींचा है, उन्हें बधाई देता हूं। हम भी यह चाहते हैं, राजस्थान सरकार की नीति है कि जितने राजकीय

(श्री मथुरादास माथुर)

उद्योग बड़े उतना उन्हें बढ़ाया जाय, इससे राज्य को नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकेगी पर इसके लिये धनराशि की आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। जितने साधन उपलब्ध हैं, उनके अनुसार जितना हम कर सकते हैं, करते हैं।

सोडा एश प्लान्ट की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया। सोडा एश प्लान्ट के लिये फ्रान्स की एक फर्म से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। सांभर के पास में सोडा एशप्लान्ट स्थापित करना चाहते थे। यह प्रोजेक्ट बना था 6, 7 करोड़ का था डीवेल्यूएशन के बाद तो 9, 10 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। सोडा एश बनाने के सम्बन्ध में कई समस्याएं पैदा हुईं। टैक्निकल एडवाईजर्स की राय ली गई तो इसमें दो चार डिफेक्ट निकले और प्रोजेक्ट प्लानिंग को कम्पनी को वापिस किया। सबसे मुश्किल बात जो आती थी वह यह थी कि इसका बाई-प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड है वह सांभर लेक कोपॅल्यूट कर देगा। अगर उसको दूर ले जाकर कम से कम 15, 20 मील पर डाल दिया जाय, पाइप लाइन के जरिए लेक की एरिया के बाद कम से कम 30 मील पाइप ले जाकर वहां डम्प किया जाय तो कैल्शियम क्लोराइड की एक लेक खड़ी हो जायगी। एक तो एमोनियम सल्फेट की जरूरत थी। उस समय हनुमानगढ़ में यह प्लांट कायम करने का सोचा गया मगर हनुमानगढ़ में फैक्ट्री भी नहीं है, नतीजा यह हुआ कि एमोनियम सल्फेट भी मौजूद नहीं हुआ। साथ ही साथ 7–8 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अब 10–11 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है, उसमें इन्वेस्टमेन्ट की जरूरत हो गई। मैंने कोशिश की कि स्टेट सेक्टर में लगे, हमने प्लानिंग कमीशन पर भी दबाव डाला लेकिन स्टेट सेक्टर में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। मैं इस बात पर भी आ गया कि प्राइवेट सेक्टर में लगाया जाय जिससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाय केमीकल की, उसके लिए कई जगह बातचीत भी की। मैं इस बात के लिए आज भी तैयार हूं कि 51:49 बेसिस पर कोई आ जाय, इस बात के लिये भी तैयार हूं कि 50:50 बेसिस पर आ जाय, जॉइंट सेक्टर में इस काम को किया जाय। यह मामला विचाराधीन है और चौथी प्लान में यह प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि काम बड़ा है, 10-12 करोड़ की प्रोजेक्ट है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, राज्य सरकार जागरूक है। अगर साधन उपलब्ध होंगे तो विचार किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप हिसाब लगाऐं सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है राजस्थान में और राज्यों के मुकाबले में?

श्री मथुरादास माथुर : आपको जवाब मिल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप बताइए कि भारत सरकार की तरफ से स्टेट सेक्टर के अंदर राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले में कितना पैसा खर्च हुआ है, वह पर्सेंटेज क्या है?

श्री मथुरादास माथुर: आपके सोमानीजी थे, संसद में यह सवाल आया था। मैं जानता हूं कि आप क्यों जोर जोर से बोल रहे हैं, परंतु वह पर्सेंटेज बदल गया। उस समय जिंक स्मेल्टर प्राइवेट सेक्टर में था, अब पब्लिक सेक्टर में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ये आंकड़े सुनिए : मद्रास में 123 करोड़, बिहार में 228 करोड़, उड़ीसा में 260 करोड़, मध्य प्रदेश में 317 करोड़ और राजस्थान में केवल 2·1 करोड़ ।

श्री मथुरादास माथुर: अब सवाल यह चल रहा है कि पब्लिक सेक्टर में यहां भारत सरकार कौन कौन से उद्योग लगाए। दूसरे सरकार इसके लिए कोशिश करे, इसमें मैं भी शामिल हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर पब्लिक सेक्टर में भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए संसद में भी सवाल पूछा गया था, कोशिश भी की गई और आज जिंक स्मेल्टर, कॉपर स्मेल्टर, कोटा में प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री और अजमेर में टूल्स फैक्ट्री ये 4 बड़े बड़े स्टेट एन्टरप्राइजेज लगे हुए हैं।

श्री भैरोंसिह: चुनाव से पहले के एस्टिमेट्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर: चुनाव के बाद में महीने कितने गुजरे हैं। कोई चार महीने में उद्योग लगता है क्या ? आज की स्थिति में कॉपर स्मेल्टर, जिंक स्मेल्टर और अजमेर के अंदर टूल्स फेक्ट्री और कोटा में प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंटस फेक्ट्री, पब्लिक सैक्टर में काम कर रहे हैं। कम तो हैं ही। इसमें मैं आपके साथ हूं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहां भारत सरकार कायम करे, उसके लिए मतभेद नहीं हो सकता। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार.....

[redacted] जो चार उद्योग हैं, इन पर टोटल आऊटले क्या है?

श्री मथुरादास माथुर: मैं बता दूंगा।

श्री रामानंद अग्रवाल: आप मानते है कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबसे आप नीचे रह गए, 15 वर्ष में भी आप नहीं लगा पाए, आगे लगायेंगे या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : आप में और मुझ में कोई मतभेद नहीं है। इन्डस्ट्रियल सेन्टर्स राजस्थान में कम लगे हैं। राजस्थान के संसद सदस्यों ने लोक सभा और राज्य सभा में भी यह प्रश्न उठाया था। इस बात के लिए राजस्थान सरकार ने भी लिखा पढी की है और कोशिश कर रही है, और सदन के माननीय सदस्यों की यह राय हमें ताकत देगी और ज्यादा से ज्यादा काम पब्लिक सैक्टर में खुलें, भारत सरकार बनाए, हमें खुशी होगी ।

श्री भैरोंसिह : तो क्या माना जाय कि राजस्थान सरकार का भारत सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है या भारत सरकार आपकी कोई बात नहीं मानती है ?

श्री मथुरादास-माथुर: दोनों ही बाते गलत हैं। माननीय सदस्य ने हनुमानगढ में फर्टीलाइजर्स की फक्ट्री के लिए कहा कि राज्य सरकार ने इतना कहा था, स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया। मुझे यही निवेदन करना है कि जब कोई इंडस्ट्री खड़ी की जाती है, जो करोड़ों रुपए की होती है तो सोचना पड़ता है कि उसके रिटर्न्स क्या है, रा-मेटीरियल्स क्या मौजूद है ?

(श्री मथुरादा[redacted]
हनुमानगढ़ में पानी का बहुत झगड़ा था। फिर कहा पानी गंग नहर का आ जायगा। राजस्थान में मिनरल बेस्ड उद्योग ज्यादा काम में आ सकते हैं। जिंक और कॉपर स्मेल्टर स्थापित किया गया। इसलिये रा मैटीरियल्स का कोई बेस है तो मिनरल ही बेस है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जिप्सम भी मिनरल वेस्ड हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जिप्सम का फर्टीलाइजर बन सकता था । इसलिये हनुमानगढ़ वाली फैक्ट्री के अंदर कोशिश की, मगर दूसरी जगह काम हो गए। उसके बाद में कोटा में चल रहा है, उद्योग मंत्री आपको बतायेंगे। इसलिये जिप्सम पर कोई उद्योग......

श्री भीमसेन : जिप्सम सिंदरी में चल सकता था या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मगर बीकानेर में फर्टीलाइजर फैक्ट्री कायम नहीं हो सकी क्योंकि पानी की कमी है।

श्री भैरोंसिंह : कोटा में लग सकती थी, मगर बीकानेर में नहीं लग सकती थी। आपने सदन में कहा था कि बीकानेर में लगेगी और सेठ ने कहा कि कोटा में लगेगी तो कोटा में लगी।

श्री मथुरादास माथुर : गंगानगर की बात तो मेरी समझ में आ सकती है, मगर बीकानेर जिला जहां पर जिप्सम मिलता है या नागौर जहां जिप्सम की डिपाजिट्स हैं वहां कोई इंडस्ट्री सीमेंट की नहीं लग सकती। इसलिये यह समझना कि राजस्थान सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, यह सही नहीं है, मगर ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स भी होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब हनुमानगढ़ का उपचुनाव हुआ तब मंत्री महोदय ने अपने भाषण में वहां कहा था कि हनुमानगढ़ का विकास होने वाला है, फैक्ट्री लगने वाली है, उस समय क्यों कहा था ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे ख्याल से भाषण तो आपने दिया होगा। आप आदी हैं दूसरे के मुंह में अपने लफ्ज डालने के। मैंने नहीं कहा था।

श्री भैरोंसिंह : आप भी एक्सपर्ट हो गए हैं कहकर बैक आऊट करने के।

श्री मथुरादास माथुर : हनुमानगढ़ के उपचुनाव से पहले यह तय हो चुका था कि वहां फैक्ट्री नहीं बनेगी और कोटा में होगी। या कोइ थर्ड इलेक्शन की बात हो तो वह आपको मालूम । इसलिये इन बातों के लिए भ्रम न होना चाहिए कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि पब्लिक सेक्टर में यहां भारत सरकार के उद्योग ज्यादा लगें या इसके लिए जिक्र नहीं हुआ, कोशिश नहीं हुई। मगर हमारे यहां ज्योग्राफिकल परिस्थितियों और दूसरे हालात, इन सब को देखते हुए.......

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मंत्री महोदय यह बतायें कि लिग्नाइट......

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) आप प्रांगण समर्पण न करें।

श्री मथुरादास माथुर : लिग्नाइट के बारे में......

श्री रामानन्द अग्रवाल : हेवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में एक और हेवी इलेक्ट्रिकल्स की फेक्ट्री स्टेट सेक्टर में लगाने के लिये आपसे भारत सरकार की बात चल रही थी। क्या राज्य सरकार ने इसको चौथी योजना में इस प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश की और उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मामला अभी भारत सरकार के विचाराधीन है । हमारे फोर्थ प्लान में यह नहीं आता है। माननीय सदस्य इस सदन के पुराने माननीय सदस्य हैं । यह सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड है । जब वहां पर इसको तय कर लिया जायगा तब ही लोकेशन की बात आयेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोकेशन का झगड़ा चल रहा है । इसमें कई स्टेट्स प्रयत्नशील हैं । राजस्थान सरकार भी प्रयत्नशील है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां ।

स्कूटर फेक्टरी को पब्लिक सेक्टर में चलाने के लिये लाइसेन्स की कोशिश कर रहे हैं । गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने एक लाइसेन्स देने का तय किया है । प्राइवेट सेक्टर को न देकर पब्लिक सेक्टर को देंगे। फॉरेन एक्सचेन्ज के लिये मना कर देते हैं तो बात दूसरी है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न हो । आप फिर एक साथ प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जापान की एक फर्म ट्रेक्टर बनाने का कारखाना लगाना चाहती थी । आपने मना कर दिया ।

आन्ध्र प्रदेश ने उसको [redacted] लिया । वहां वह शान से चल रहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है । पब्लिक सेक्टर में भारत सरकार का इन्वेस्टमेन्ट होता है, उसके लिये बराबर कोशिश की जायगी और ज्यादा से ज्यादा यहां इन्वेस्टमेंट हो इसके लिये इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले दोनों तरफ के माननीय सदस्य एक मत के हैं । आपने विचार रखे हैं उनसे हमें बल मिला है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीकानेर की वूलन फेक्टरी कब चालू हो जावेगी ?

श्री मथुरादास माथुर: मैं उसी पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, लिग्नाइट के लिये यहां पर चर्चा की गई। इस पर राज्य सरकार जितनी जागरूक है उसके लिये यहां पर वक्तन-फ-वक्तन माननीय सदस्यों को सूचना देता रहा हूं। ओपन कास्ट माइनिंग के लिये एक प्रोजेक्ट बनाया है । ओपन कास्ट करने के बाद भी हम उस पर या तो यूरिया बना सकते थे या सिन्थेटिक चीज बना सकते थे या पॉवर जनरेट कर सकते थे । उस इलाके में पॉवर की कमी होने से थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट लगाने का सोचा । फोर्थ प्लान में इसको रखने का विचार रखा था । आखिर में जाकर 12 करोड़ का प्लानिंग है । 6 करोड़ रुपया ओपन कास्ट माइनिंग के लिये और 6 करोड़ रुपया पॉवर जनरेशन के लिये । यह हम अपने प्लान में एडजस्ट नहीं कर पाये हैं । रशियन एक्सपर्ट ने आकर सर्वे किया था । यह सब तैयार है । भारत सरकार जब परमिट करेगी इसको ले लेंगे । माननीय सदस्यों के कह देने से तो नहीं ले सकते ।

(श्री मथुरादास [redacted])

इतनी हमारे पास धनराशि नहीं है। 12 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। आज के प्लान सीलिंग में इसको कैसे एडजस्ट किया जाय, यह बड़ी भारी प्रॉब्लम है। राज्य सरकार ने इनकारी की हो तो आप भी बताइये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कितने करोड़ का प्लान है ?

श्री मथुरादास माथुर : 12 करोड़ का, मेडम।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पब्लिक लोन फ्लोट क्यों नहीं करते हैं आप ?

श्री मथुरादास माथुर : 12 करोड़ फ्लोट करने से इकट्ठा हो जाता है तो अच्छी बात है।

श्री भैरोंसिंह: साख गिर गयी है राजस्थान सरकार की इसलिये नहीं मिला।

श्री मथुरादास माथुर : साख की बात नहीं है। कई कारण हैं। समाजवाद की बात करते हैं तो लोग पैसा देते नहीं हैं। कई कारण हैं। 12 करोड़ की कौनसी स्कीम काटी जाय और इसको रखा जाय, यह प्रॉब्लम है। फिर भी इसको छोड़ा नहीं है। प्लानिंग कमीशन से खतोकितावत हो रही है। किसी भी प्रकार यह प्लान चले, यह हम चाहते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कब तक उम्मीद है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी उम्मी ६ सेन्ट परसेन्ट नहीं है यही मानकर चलते हैं। हो जावेगा तो इसको करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसको सेन्ट्रल स्कीम बनाने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, कतई तैयार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : शान्तम्। आप आरम्भ रखिये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय रामानन्दजी रशियन प्रोजेक्ट है इसलिये बहुत इन्ट्रेस्टेड हैं। मैं भी बहुत इन्ट्रेस्टेड था इसलिए नहीं कि रशियन प्रोजेक्ट है। पैसा जुटा दीजिये।

बीकानेर की वुलन मिल के लिए भी माननीय सदस्य ने कहा। मशीनरी आनी शुरू हो गई है, बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है।

श्री भीमसेन : प्रोविजन पूरा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : पूरा है प्रोविजन। कुल प्रोजेक्ट 36 लाख। 23 लाख की इमारत होगी। इसके अगेन्स्ट में हमने 25.45 लाख का प्रोविजन रखा है।

श्री भीमसेन : कौनसा हैड है ?

श्री मथुरादास माथुर : दस लाख रखा है पी० डब्ल्यू० डी० में भवन के लिये। 9 लाख कस्टम ड्यूटी पेमेन्ट करनी पड़ेगी। रिवाइज्ड के हिसाब से उसमें रखा है। बाकी इन्स्टालमेन्ट रखने के लिये। डेफर्ड पेमेन्ट है, मशीनरी की कीमत नहीं देनी पड़ेगी अभी।

श्री भैरोंसिंह : पहले आप जर्मनीसे खरीदना चाहते थे, वहां से स्विच ऑफ होकर जापान कैसे पहुंच गये ?

[redacted]

श्री मथुरादास माथुर : जर्मनी से इसके लिये कभी बात नहीं हुई थी । ईस्ट जर्मनी इसमें एक्स्पर्ट भी नहीं हैं । जापान से मशीनरी खरीदना चाहते थे । भारत सरकार से क्रेडिट मिली । पौंड, स्टर्लिंग से मंहगा पड़ता था । जापान से मिला है उस पर मशीनरी दी जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह : जिस स्पेसिफिकेशन की मशीन खरीदना चाहते थे और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रेस्क्राइब की गई थी, उसको चेन्ज करके खरीदा ?

श्री मथुरादास माथुर : बेसिक मशीनरी वही है जो टेक्स्टाइल कमिश्नर ने एप्रूव की है । उसको चेन्ज नहीं किया है । एक दो मशीन के पार्ट जिसके लिये वे कह रहे हैं ले लिये जायं तो ठीक है । टेक्सटाइल कमिश्नर से इसके लिये पूछा है, उनके कहने पर तय कर देंगे । इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिये । काम शुरू हो चुका है । प्लिन्थ लेवल तक बिल्डिंग आ चुकी है । मशीनरी बीकानेर पहुंच रही है । साल खत्म होते ही, यह हो जावेगा ।

वूलन मिल के लिए निवेदन किया, पलाना के लिग्निाइट के लिये निवेदन किया । लेदर फेक्टरी के लिये माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया । टोंक में इसको लगाने का रखा है । दस लाख का प्रोविजन है ।

श्री भैरोंसिंह : टोंक में या मालपुरा में ?

श्री मथुरादास माथुर : टोंक में । युगोस्लेविया से लिखा पढ़ी होकर बातचीत चल रही है । मशीनरी टेन्ड माल पर खरीदी जावेगी ।

लेदर फेक्टरी । उसके साथ साथ बेनीफिशियरी फ्लोराइट का प्लान्ट डूंगरपुर में और डेगाना में टंग्स्टन । ये पब्लिक सेक्टर में रखे हैं । सोडियम सल्फेट का २० टन का प्रोडक्शन था, ४० टन का एक्स्टेन्ड करके ६० टन का लेकर चल रहे हैं । इसके लिये २५ लाख का एडीशनल प्रावधान रखा है । ४० टन एक्स्पेन्ड होने के बाद यह ठीक रहेगा । सोडियम सल्फेट का प्रोजेक्ट और उसके साथ सोडा एश । एक निवेदन करना चाहता हूं कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ इन्डस्ट्री और इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स इनके बारे में आज चिन्तन दूसरा हो गया है ।

वूलन मिल यहां खड़ी कर दो, या अलग अलग जिलों में कर दो तो आज के दिन यह थिंकिग नहीं चलता । आज तो यह थिंकिग चलता है कि कहां और कैसे इकोनोमी हो सकती है, तो इस दृष्टि से जहां दो चार पांच मिलें ऐसी हों तो वहीं और खड़ी की जाय, अगर जरूरत हो तो, जहां टेक्सटाइल मिलें पांच दस हों तो ग्यारहवीं भी वहीं लगाई जाय ताकि वहां उससे सम्बन्धित सारी चीजें सहूलियत से और बहुतायत से आसानी से मिल जायं । यह नहीं कि एक इस जिले में तो दूसरी दूसरे जिले में और कभी किसी कल पुर्जे की जरूरत पड़ी तो भागो बम्बई । सांभर-डीडवाना में सोडियम सल्फेट का प्लान्ट लगा है तो सोडा एश का भी वहीं लगेगा । वह सांभर में डींडवाना में और कुचामन में लग सकता है । ताकि वहां केमिकल कम्प्लेक्स बन जावे और वह डवलप हो जावे पूरा एरिया ।

इसी तरह से वूलन की बात है । जहां जहां वूल के सेन्टर हैं वहीं वूलन मिल लगनी चाहिये ।

डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ इन्डस्ट्री कुछ हद तक तो समझ में आती है । पर इन्डस्ट्रियल

(श्री मथुरादास माथुर)

कम्प्लेक्स ज्यादा चीप प्रोडक्शन कर सके तो उसका थिंकिंग आज चल रहा है। कोटा है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है ये डवलप होंगे। भरतपुर डवलप होगा, मेन लाइन है। फिनिश्ड गुड्स का डिसबर्समेन्ट में भी यह ठीक होगा। तो इन्डस्ट्रीज सब इकोनोमी को देखकर लगती है।

आप जैसलमेर के लिये कहें कि वहां भी एक वूलन मिल लगनी चाहिये तो यह गलत होगा। वहां पेट्रोलियम चूंकि निकलने की सम्भावना है तो इस पेट्रोलियम पर आधारित इन्डस्ट्री लग सकती है, पेट्रोलियम इन्डस्ट्री का कम्प्लेक्स वहां हो सकता है। तो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीपर हो जहां, वहां इन्डस्ट्री का कम्प्लेक्स होना चाहिये। यह रा-मेटीरियल इकानामी का थिंकिंग है। ऐसी इकानामी का थिंकिंग नहीं है सेल्फ जनरेटिंग का।

इसलिए मैंने अपने विचार आपके सामने रक्खे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस उसूल को मानकर कोई इन्डस्ट्री राजस्थान में नहीं लगने वाली है। आप फ्लोरिश नहीं कर सकते इस उसूल को मानकर।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : उसका जवाब देते। चार चोर डाकू बताये थे भैरों सिंहजी ने उनके सम्बन्ध में ?

श्री मथुरादास माथुर : वह उद्योग मन्त्री बतावेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी उद्योग के बारे में माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कुछ बातें बतलाई।

मुझे वैज्ञानिक विभाग अथवा खनिज विभाग और उद्योग विभाग के कतिपय कट मोशनों के बारे में और माननीय सदस्यों ने कुछ जनरल बातें कही हैं, उनके बारे में निवेदन करना है।

मैं पहले खनिज विभाग को लेता हूं।

खनिज विभाग के पास में एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है कि जिसमें वह प्राइवेट लीज होल्डर्स को लीज देते हैं। दूसरा उसका वैज्ञानिक कार्यों से सम्बन्ध है कि जिसमें प्रोसपेक्टिंग करते हैं, सर्वे करते हैं और तीसरे उसके डिपार्टमेन्टल वर्क्स हैं।

जहां तक खनिज विभाग के अपने डिपार्टमेन्टल वर्क्स का सवाल है, वह बहुत ही सीमित है। हम जिप्सम, टंगस्टन, फ्लोराइट और जालोर के अन्दर कुछ काम करते हैं।

जहां तक फ्लोराइट का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आपको विदित ही है कि यह प्रोजेक्ट स्टेट सेक्टर में सबसे अधिक रिटर्न देने वालों में से एक है। इसकी रिपोर्ट केनेडियन एक्सपर्ट ने तैयार की और पिछले वर्ष ही वह राज्य सरकार को दी गई है। उसके ऊपर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आवेगी और नेट प्रोफिट उससे हमें लगभग ६० लाख ६ वर्षों में होगा। नये अनुसन्धान हुए हैं और जितने डिपोजिट्स पहले थे और जितने नये मिलते चले गये हैं, उनके लिये जो वेनिफिसियरी प्लान्ट लगेगा, वह ६ साल से भी ज्यादा के लिये होगा।

मगर अभी जो विभाग काम कर रहा है मेन डिपोजिट पर नहीं, अनुसन्धान के लिये खोज की जा रही है और नये नये डिपोजिट ढूंढ रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं। इधर उधर खुदाई हो रही है, पिछले वर्ष यह तै किया गया

(श्री हरिदेव जोशी)

कि अनुसन्धान के सिलसिले में जो उत्पादन मिले उसको बेच दिया जावे, रोक कर नहीं रक्खा जावे। तो पिछले वर्ष सात लाख की आमदनी इससे हमें हुई हैं।

मेरे कहने का तात्पर्य यह हैं कि जहां कम से कम खर्चा होता हो, ऐसी कोशिश हम करत हैं और अधिक से अधिक आमदनी लेने की कोशिश करते हैं।

ठीक यही स्थिति टंगस्टन के बारे में हैं। छोटे पेमाने पर अभी काम कर रहे हैं। इससे विभाग को अच्छा मुनाफा भी हुआ हैं। पर वहां पर भी उसका उद्योग लगा कर बेनिफिशियरी प्लान्ट लगाकर चलना चाहते हैं। हाथ से खुदाई करके अभी तो बेचने का काम चल रहा हैं। इकट्टा करने का भी काम चल रहा हैं। इसके बदले चाहते हैं कि मशीनरी से काम किया जावे और अधिक उत्पादन हो, इसके प्रयत्न हमारे चालू हैं।

ये इतने ताजा और नये मामले हैं कि उनके बारे में उनकी प्रगति के बारे में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हैं अभी।

अब रह जाता हैं प्रोसपेक्टिग वगैरह के बारे में राजस्थान में जो विभिन्न रियासतें थी उनमें प्रोसपेक्टिग का बड़े पेमाने पर काम नहीं था। किन्तु फिर भी आज राजस्थान हिन्दुस्तान के उन प्रान्तों में से हैं कि जहां कि जिओलोजिकल सर्वे का काम ओर्गेनाइज्ड वे में किया जाता हैं और उन दो चार स्टेटों में राजस्थान भी एक हैं।

राजस्थान में स्टेट लेवल पर प्रोसपेक्टिग वर्क बड़े पेमाने पर हुआ हैं। और उसके लाभ भी राजस्थान को मिले हैं। हम स्वीकार न करें, यह बात दूसरी हैं, पर राजस्थान के इस विभाग के द्वारा लाइम स्टोन, फ्लोरस्पार, लोह खनिज, फ्लोराइट, चूने का पत्थर, अजमेर में बरमेकुलाइट, चूने का पत्थर बूंदी में चूने का पत्थर, रास व्यावर में मेगनेसाइट-वेराइटीज, नाथद्वारा में निमोदिया वेराइटीज, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में इनका प्रोसपेक्टिग हुआ हैं और अध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय भी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वैसे आम तौर पर प्रोसपेक्टिग का काम भारत सरकार करती हैं और खास करके महत्वपूर्ण खनिजों का भारत सरकार ने अपने जिम्मे लिया हैं। पर जितने भी मिनरल्स मिले हैं यह खुशी की बात है कि उनका प्रोसपेक्टिग माइनिंग विभाग ने किया हैं। बाद में वे भारत सरकार के सुपुर्द किये गये हों या और किसी को दिये गये हों। यह दूसरी बात हैं। और इस सदृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि इस विभाग के अधिकारी मशीन हेंडिल करना भी नहीं जानते, मैं नहीं समझ सका कि किस प्रकार से और किस तरह से यह कहा गया हैं।

यदि कुछ विशेष जानकारी इस बारे में दी जावे तो मैं कहने की स्थिति में हो सकूंगा। वरना तो स्थिति यह है कि अच्छे और बहुमूल्य मिनरल्स का प्रोसपेक्टिग राजस्थान में डिपार्टमेन्ट के द्वारा किया गया हैं। उसमें अणु शक्ति आयोग को भी राय दी गई हैं कि फलां जगह पर अमुक अमुक प्रकार का खनिज है, उनको उसे देखना चाहिये।

मैं निवेदन करूं कि अणु शक्ति आयोग के उपयोगी जितने मिनरल्स हैं, स्टेट गवर्नमेन्ट आम तौर पर उनका प्रोसपेक्टिग नहीं किया करती, अगर उनका पता चले तो सम्बन्धित

(हरिदेव जोशी)
विभाग को सूचना देने की बात आती है और फिर वह अपने ही लेवल पर उसका सर्वे करता है।

इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिओलोजिकल सर्वे का काम और अधिक बड़े पैमाने पर हो इसके लिये अमेरिकन एक्सपर्ट एरियल सर्वे की स्कीम को यहां लागू करने को थी और इस अरावली हिल्स में उसकी रेन्जेज में वह एरियल सर्वे का प्रोग्राम शुरू कर भी दिया है और वह सर्वे सिरोही से लेकर पूरी अरावली रेन्ज में होगा।

तो मैं निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान के अन्दर मिनरल का पूरा पूरा सर्वे हुआ है, राजस्थान के अन्दर मिनरल की व्यवस्था हुई है। वहां का मिनरल कोई अनएक्सप्लोर रह गया हो, ऐसी बात नहीं है।

मगर ऐसा होता है कि किसी जगह अमुक प्रकार के मिनरल्स हैं, मगर उन मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की कन्डीशन्स नहीं हैं, ज्योगराफीकल कन्डीशन्स नहीं हैं, तब हमको इस प्रकार का वातावरण बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लाइम स्टोन कई जगह है किन्तु हर जगह सीमेन्ट के लिए फेक्टरी नही बन सकती है। सीमेन्ट फेकटरी बनाने के लिए केपीटल चाहिए, पानी चाहिए और स्किल्ड आदमी चाहिए। यह सारी चीजें हैं, ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था हो तब जाकर सीमेन्ट फेक्टरी पनप सकती है। मगर चूने का पत्थर मिल जाये और यह सारे साधन नहीं है तो मुमकिन नहीं है कि वहां फेक्टरी सीमेन्ट की लग जाये। इसलिए हम प्रयत्न यह कर रहे हैं कि पहले उन स्थानों पर प्रास्पेक्टिंग हो जहां कि इस प्रकार के साधन और सुविधायें हों और जहां उद्योग स्थापित हो सकते हों। इस प्रकार की स्थिति जहां बनी हों वहां प्रास्पेक्टिंग पहले करते हैं उसके बाद में जहां जहां भी मांग आती है उन सारी चीजों में देखने की कोशिश करते हैं......

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, एक इनफर्मेशन चाहिये। अभी जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि हम आणविक संबंधी कोई भी मिनरल यहां पर निकालते हैं तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अजमेर जिले की आपके पास क्या रिपोर्ट है जो कि आपने भारत सरकार को दी हो कि यहां पर एटामिक मेटेरियल मिलता है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि देरियम और यूरेनियम के बारे में मैं यहां कोई जानकारी नहीं दे सकता। वह तो मुझे संबंधित अधिकारी को ही देनी चाहिए और किसी को नहीं।

तो मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि जहां ऐसा वातावरण हो वहां ही पहले प्रास्पेक्टिंग लाभदायक हो सकता है। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि बांसवाडा में चूने का पत्थर है है—उसका प्रास्पेक्टिंग भी हुआ मगर रेल्वे लाइन नहीं है। मैं नहीं जानता, मेरे सामने ममता होते हुए भी, बांसवाडा में सीमेन्ट फेक्टरी कब लग सकेगी पता नहीं....

श्री भैरोंसिंह : डूंगरपुर में ?

श्री हरिदेव जोशी : डूंगरपुर में उस तरह की नहीं है। लाइम स्टोन प्रूव नहीं हुआ है। चूना भी डूंगरपुर में बांसवाडा से जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर

(श्री हरिदेव जोशी)

जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक दृष्टि से इम्बेलेन्स नहीं है, रीजनल इम्बेलेन्स नहीं है किन्तु उसके लिए केवल यह सरकार ही दोषी हो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की पुरातन स्थिति उद्योग के अन्दर बाधक है। इसलिए हम आशा करके चलते हैं कि जब तक यह वातावरण नहीं बने कि राजस्थान का औद्योगीकरण होना चाहिए और तेजी से होना चाहिए तब तक मुश्किल यह है कि यह सारी चीजें चाहे कितने भी मिनरल्स हमारे यहां हों, दूसरी इन्डस्ट्रीज हमारे यहां पर पनप नहीं सकती। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि कोशिश यह करनी पड़ेगी कि हमारे यहां पर जितने भी मिनरल्स हैं उनके आधार पर यदि उद्योग कोई स्थापित हो सके तो अच्छी बात है......

श्री भैरोंसिंह : सीमेन्ट फैक्टरी के लिए नीम के थाने के लिए घोषणा कर चुके हैं, वह ड्राप कर दी क्या बिलकुल ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आता हूं, उस पर। नहीं, ड्राप नहीं की है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री स्थापित हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन हम इसका इन्तजार नहीं कर सकते कि इन्डस्ट्री स्थापित नहीं हो सकती है इसलिए उस मिनरल का राष्ट्र को किसी प्रकार से फायदा नहीं मिल सके और इस लिहाज से हमको यह देखना होगा कि अगर एक जगह उद्योग स्थापित हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो वह मिनरल निकाल करके दूसरी जगह जाये—चाहे वह बिल्डिंग स्टोन हो, लाइम स्टोन हो या दूस [redacted] प्रकार [redacted] और उसका उपयोग हर हालत में हो चाहे उसमें फोसफेट हो, चाहे उसमें जिप्सम हो या दूसरी चीजें हों। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी कोशिश यह है कि अभी माननीय सदस्यों को पता होगा कि जैसलमेर के अन्दर और उदयपुर के एक जिले के अन्दर फोसफेट का पता लगा और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और उसका लाइसेन्स आप नहीं दे रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : हां, नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, यह भी मैं निवेदन कर देता हूं। कई प्राईवेट पार्टीज फोस्फेट का लाइसेन्स लेने के लिए जैसे ही अखबारों में आया, उन्होंने एप्लाई किया। हमने यह समझा किन्हीं भी कारणों से हो, जिप्सम बेस्ड फर्टीलाइजर फेक्टरी राजस्थान में उस समय नहीं लग सकी थी। मेरी यह तमन्ना थी कि फोसफेट बेस्ड फर्टीलाइजर फेक्टरी राजस्थान में लगे। मैं तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री जी से मिला और उनसे यह निवेदन किया कि एकदम सीधे से लाइसेन्स देने की अपेक्षा यह देखा जाना चाहिए कि उसके आधार पर राजस्थान के अन्दर कोई फेक्टरी या कारखाना लग सकता है या नहीं और उसमें इनवेस्टमेन्ट का सवाल था। हमने कहा कि इसको हमारी पूंजी मान ली जाये जो खनिज पदार्थ है, उसको और उसको हमारा शेयर मानकर फर्टीलाइजर फेक्टरी किसी तरह से राजस्थान में उद्योग स्थापित करें। मंत्री जी थे, उनके ज्वाइन्ट सेक्रेटरी थे, सेक्रेट्रीज थे, हमारे सेक्रेट्री और मैं था और उन लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार विनिमय किया और उसके बाद में फिर यह

(श्री हरिदेव [redacted] चीज कहां तक बढी , मैं कह नहीं सकता लेकिन एक बार तो यह सोचा गया था कि हम सीधे से उसका लाइसेंस एक्सप्लाइट करने के लिए दे दें, मगर हमने उस स्थिति को दूसरे रूप में चलने दिया और हमने चाहा कि यहां पर उद्योग लगें। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि हम नहीं चाहते हों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। जैसा कि जिप्सम के बारे में कहा गया। इन्डस्ट्रीज के लिए जहां पब्लिक सेक्टर की बात आती है, पब्लिक सेक्टर में एक पंचवर्षीय योजना में कितना एलोकेशन्स होंगे, कितना रुपया लग सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। उससे ज्यादा कोई स्टेट नहीं जा सकती है और अपने रिसोर्सेज की भी लिमिट होती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, आप मार्केट में भी जाकर कितना बोरो करें, उसकी भी लिमिट है। हम कितना कर्जा लें. यह हमारी मर्जी की चीज नहीं है यह रिजर्व बैंक पर है कि आर्थिक दृष्टि से हम कितना कर्जा ले। यह रिजर्व बैंक जब तक क्लियरेन्स नहीं देता है, तब तक हम कोई कर्जा नहीं ले सकते। जैसे राजस्थान स्टेट पिछले वर्षों में ५ करोड़ रुपये का कर्जा लेते चला आ रहा है, मार्केट में जाते हैं राजस्थान स्टेट इन्डिपेन्डेन्टली रिजर्व बैंक की बिना मर्जी के या उसकी सलाह के ६ करोड़ के लिए मार्केट में नहीं जा सकता। उसको रिजर्व बैंक की मन्जूरी चाहिए और बिना मन्जूरी के हम कोई लोन फ्लोट नहीं कर सकते। इसलिए चाहे वह प्राईवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो सबकी, अध्यक्ष महोदय, लिमिटेशन्स हैं। मैं एक निवेदन करना चहाता हूं किह मारे दिमाग में प्राईवेट सेक्टर में कोई चीज हो या पब्लिक सेक्टर में हो, कोई प्रिजुडिसेस नहीं हैं। हम गाइड होते हैं इन्डस्ट्रियल पालिसी जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया की है, उससे। और वह पालिसी भी फ्लेक्सीबल है। अगर आपके पास पैसा है, उसका इन्वेस्टमेन्ट करें–चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, उसको हाथ में लें। जैसे फ्लोराइट का बेनीफीशियरी प्लान्ट है ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको हाथ में लेकर गवर्नमेन्ट कोई बड़ा काम कर रही हो लेकिन यह हमारा काम है। तो ऐसे काम जो अच्छे मुनाफे दे सकते हैं, उसको अपने हाथ में लेकर अपनी नान-टेक्स रेवेन्यू को बढाने के लिए उसको हाथ में लेते हैं तो हमने बहुत लिमिटेड प्राजेक्ट्स अपने हाथ में लिए हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि माइन्स डिपार्टमेन्ट के एक भी प्राजेक्ट के अन्दर लास नहीं है। चाहे वह जिप्सम हो, चाहे वह फ्लोराइट हो या दूसरी चीज हो...

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, टाइम खत्म हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की अनुमति से जब तक मांग पास नहीं हो, तब तक के लिए समय को बढ़ाता हूं।

(5 म.प.)

श्री हरिदेव जोशी: इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा काम हाथ में लिया जाय अथवा कौनसा काम हाथ में नहीं लिया जाय। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारी लिमिटेशन्स है, फाइ-नेंशियल लिमिटेशन्स हैं जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पलाना में लोस दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: शुरू रखिये नो डिस्टर्बेन्स।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीज निवेदन करना चाहता था और मैं अब उस पर आता हूं, वह है हमारे डिपार्टमेंट की रेवेन्यू का मामला। डिपार्टमेंटल रेवेन्यू प्रति वर्ष बढ़ी है और पिछले वर्ष में तो और भी ज्यादा बढ़ी है। पिछले वर्ष एक करोड़ 13 लाख की जगह एक करोड़ 69 लाख की रेवेन्यू हुई है। इसकी बराबर आमदनी बढ़ रही है। इसमें डिपार्टमेंट वर्किंग और रायल्टी दोनों से ही आमदनी सम्मिलित है। पिछले वर्ष में राजस्थान सरकार ने इन सब चीजों के बारे में जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम ऐसे भी उठाए हैं कि पहले रायल्टी कलेक्शन के लिए राज्य सरकार ठेका दिया करती थी, जिससे कंकरी, बजरा, चूरा, ईंट का भट्टा आदि से रायल्टी कलेक्शन करती थी, उसमें वह ठेकेदार एक हरेसमेंट का कारण बन जाता था। आम लोगों के लिए परेशानी होती थी। उससे और लोगबाग अपने घरेलू काम के लिए भी ये चीजें लाते तो भी हैरानी भुगतनी पड़ती थी। राज्य सरकार ने उस आमदनी को फोरगो करते हुए उस सिस्टम को खत्म किया और आज मैं निवेदन करता हूं कि गांवों के अन्दर कोई किसान, कंकरी, बजरी अथवा पत्थर, साधारण पत्थर किसान अपने काम के लिए लाता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक उसी प्रकार.........

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यह गलत है ....

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान न करें, भाषण के अन्त में पूछें।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गांवों में आज भी रायल्टी कलेक्ट होती है..........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(श्री मदनसिंह बोलते रहे)। (अश्रव्य)

माननीय सदस्य। आप बीच में डिस्टर्ब न करें। आप (श्री जोशी) जारी रखें।

श्री हरिदेव जोशी : इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जितना भी हो सकता है, डिपार्टमेंट उनके लिए चाहता है कि सब सुविधायें जो प्राकृतिक रूप से गांवों के नजदीक लोगों को मिली हुई हैं, वे उन्हें सुविधायें उपलब्ध हों।

अब मैं कुछ बातें ड्यूज के बारे में, माइनिंग ड्यूज के......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो किसानों को छूट दी हुई है, तो गांवों में ग्राम पंचायत भवन बनाती है या स्कूल बनाती है तो क्या यह सुविधा उनको भी है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो नियम हैं वे ये हैं कि किसान अगर अपने खेत में ईंट बनाने के लिए मिट्टी लाता है तो उससे चार्ज नहीं किया जा सकेगा। ठीक उसी प्रकार से कोई सरकारी जमीन के ऊपर मकान बनाने के लिए नदी से बजरी लाता है, कोई और चीज लाता है, तो उसके लिए रायल्टी नहीं लगेगी। पंचायत के लिए यह नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसे जस्टीफाईड नहीं मानते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जस्टीफाईड हैं या अनजस्टीफाईड हैं, जो कुछ भी हैं, वह मैंने आपके सामने.....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि आज भी गांवों में रायल्टी ली जाती है। यह व्यवस्था कानून के अन्दर हो सकती है लेकिन यह प्रेक्टिकल रूप में नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझे उदाहरण दे देंगे तो जिन लोगों की भी गल्ती होगी, उनके खिलाफ कदम उठाए जायेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह तो सब जगह हो रहा है।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : लाखों रुपया वसूल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर आर्डर ! शुरू रखिये।

श्री हरिदेव जोशी : अब अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बकाया के बारे में। बकाया की स्थिति दो तीन प्रकार की है। कुछ तो बकायात हैं राजस्थान बनने से पहले के। दूसरे बकायात ऐसे रहे हैं कि यह वर्ष खत्म हुआ और रायल्टी का असेसमेंट हुआ, वह अगले वर्ष का दिखता है, मगर वह हर साल वसूल होता रहता है, लेकिन देखने में कुछ लाख रुपया बकाया दिखता रहता है। मैं इसमें कोई किसी चीज को यों ही नहीं कहना चाहता, मगर इस सदन की पी. ए. सी. भी बकाया के बारे में हमेशा सख्ती करती चली आई है और मैं हाउस को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, चाहे वह माइन्स डिपार्टमेंट हो, उसकी बकाया किसी भी प्रकार से एक पैसा भी अपना उसके अन्दर बाकी न रह सके, ऐसी स्थिति लाने के लिए जितनी भी सख्ती कर सकते हैं, उतनी सख्ती करने की कोशिश की जाएगी। मगर हमारी भी कुछ कठिनाइयां हैं और उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको हल करने के लिये मैं आपके समक्ष, सदन के समक्ष भी, कुछ कानून में संशोधन लेकर आऊंगा। स्थिति यह है कि किसी की रायल्टी लीज पर है और लीज रिन्यू होती है। कानून के अनुसार लीज की रकम बढ़ती है, डेड रेंट, रायल्टी का रेंट बढ़ता है। वह रेट बढ़ता जाता है। उसके लिए गवर्नमेन्ट तो यह समझती है कि इतनी रायल्टी, इतना डेड रेंट उचित है और उसके अनुसार गवर्नमेंट ने आर्डर भी दे दिया, मगर वह पार्टी कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जाने के बाद में वहां पर एक दो वर्ष और इससे भी ज्यादा लग जाते हैं, और ज्यादा लगने के साथ स्टे आर्डर भी आ जाता है। पार्टी यह समझती है कि हमको जो पहले से रायल्टी दे रहे थे, उसके अनुसार ही हमको पे करना है, जब कि डिपार्टमेंट यह मानता है कि बढ़ी हुई दर पर वसूल किया जाना चाहिए। डिपार्टमेंट यह आग्रह करता है कि बढ़ी हुई दर पर वसूल किया जाय। तो इस प्रकार से जो यह बकाया है वह किसी के ऊपर कृपा करके छोड़ दिया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। जिसके अन्दर रायल्टी का पैसा बकाया है, वह अधिकतर बढ़ी हुई रायल्टी का है।

माननीय सदस्य ने इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के आर.के. मिश्रा के लोन के बारे में कहा। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने कार्यकाल के अन्दर उनको मशीनों को अटेच करवाया है, कुछ ही दिनों पहले और मैं यह भी सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किसी प्रकार से किसी के हक में नहीं होने दिया जाएगा। हम यह समझ सकते हैं

(श्री हरिदेव जोशी)

कि कोई व्यक्ति आज पैसा न दे सके तो यह एक बात हो सकती है। मगर कोई यह समझ ले कि राज्य के पैसे को जो कानूनी तौर पर देय है उसको वह नहीं दे तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाकर के और जिनको डाकुओं की संज्ञा माननीय सदस्य ने एक आधा व्यक्ति को दी जिसमें हनुमान प्रसाद चौधरी का नाम भी लिया गया और क्योंकि उनका नाम लिया गया है तो उनके बारे में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास में एक दो तीन चार ऐसे केसेज आए कि जिसमें उन सज्जन ने अनऑथोराइज्ड वर्किंग किया। मैंने पहली बार फाईल देखी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी प्रकार से हो गया होगा। दूसरी बार देखी तब भी समझा कि हुआ होगा। मगर बारबार जब इस प्रकार के केसेज आने लगे तो मैंने स्वंय आगे होकर एक्शन लिया है, उन पर मुकद्दमा चलाया है और उन पर पेनल्टी इम्पोज की गई है। मैंने यह कोशिश की कि एक प्रकार से जो हेबिचुअल ओफेंडर हैं, उनको जब कोई दूसरी लीज मांगते हैं, तो उनको लीज न दें। जो मेजर मिनरल का मामला था उसमें हमने उन्होंसे कहा कि हम लीज नहीं देंगे। हमने उनकी अप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। वे गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास में गए और वहां पर अप्लीकेशन दायर की। वहां से यह कहा गया कि आप अगर कोई किसी तरह के डिफाल्ट के लिए पेनल्टी देना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर कोर्ट में जाकर ही कार्यवाही कर सकते हैं। उनकी लीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यह हमारी मजबूरी थी। इसलिए हमने यह कोर्स सोचा कि एक्ट को ही अमेंड करवाया जाय और अध्यक्ष महोदय......

श्री भैरोंसिह: मैं आपको सिम्पलेस्ट वे, बिल्कुल साधारण रास्ता है, वह बताता हूं। जो पुलिस में केसेज रजिस्टर करवाए हैं उनमें चालान करवा दें।

श्री हरिदेव जोशी: मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी केस चालान हुए बगैर नहीं रहेगा।

श्री भैरोंसिह: मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि पुलिस में भी मेन्योर करके एक एक केस में फाइनल रिपोर्ट करवा दी गई है कि अनअकर्ड हैं।

श्री हरिदेव जोशी: बहुत मुमकिन है कि बाज मर्तबा कोई व्यक्ति मेन्योर करके किसी केस में.....

श्री भैरोंसिह: जो अभी पन्ने की खान का प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने, उसका क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी: मैं यह विश्वास-पूर्वक कहता हूं कि आज तक मेरे पास में कोई फाईल इस प्रकार की नहीं आई है और न उसको दिया गया है।

श्री भैरोंसिह: मैं भी आपको कहता हूं कि लाइसेंस दिया गया है और आज की तारीख तक है।

श्री हरिदेव जोशी: मेरे पास में अध्यक्ष महोदय, इसकी फाईल नहीं आई...

श्री भैरोंसिंह : म[redacted] मिनरल की बात आपने भी स्वीकार की है, तो कौनसे मेजर मिनरल हैं वे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह निवेदन किया कि उनको नहीं दिया गया है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनको लाइसेंस नहीं दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : मेजर मिनरल कौनसे दिये गये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : सिलिका, मैंने निवेदन किया।

श्री भैरोंसिंह : एक ही ?

श्री हरिदेव जोशी : एक ही केस मेरे पास आया। उसको मैंने टैस्ट केस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को भेज दिया था।

मेरे निवेदन करने का तात्पर्य है कि जो चीजें हमारी निगाह में आती हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी को बख्शने का सवाल नहीं आता है, मगर जो कानूनी स्थितियां हैं उसमें हमारी परेशानी भी है, जैसा कि इन सज्जन के बारें में कहा गया।

एक और निवेदन करना चाहता था। इसमें जो कुछ कटमोशन्स दिये हैं, उनके बारे में बहुत विगत में न जाकर इन्डस्ट्रीज के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कुछ तो ग्रामोद्योग हैं, कुछ ऐसे लघु उद्योग हैं, और कुछ मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं और बड़े उद्योग हैं जो कि राजस्थान में चल रहे हैं। कुछ ऐसे उद्योग हैं जसे तेल घाणी का उद्योग, कुम्हारी का उद्योग है, खादी का उद्योग है, जो पेशेवर उद्योग हैं जो कि हमारे गांवों में चले आ रहे हैं उनको एक प्रकारसे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कर्जा देता है, असिस्टेन्स देता है, सबसिडी देता है। जो भारत सरकार का पैटर्न है कि राजस्थान सरकार खादी बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट मात्र के लिए सहायता, मायने रुपया उनको देती है और इसमें जितना भी लोन का अथवा सबसिडी का रुपया है वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया से आता है और गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पैटर्न ऑफ असिस्टेन्स के आधार पर खादी बोर्ड देता है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग खादी में विश्वास नहीं करते हैं, अगर वे खादी की इकोनामी में विश्वास नहीं करते हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे मंत्री महोदय के बारे में कुछ नहीं कहना है जिन्होंने एज चेयरमैन ऑफ दी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बहुत कुछ लिखा है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने मेरे बोनाफाइड्स में अविश्वास......

श्री भैरोंसिंह : आपके बोनाफाइड्स का कोई सवाल नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो गलतियां और कमजोरियां हैं, आज आप उनको कुछ भी कहें, आज एक्सीडेन्टली मैं उसका चेयरमैन भी हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह आज ही पता लगा है।

श्री हरिदेव जोशी : अभी इसी उसके अन्दर। तो उसके अन्दर खादी बोर्ड के पैटर्न के अन्दर चेन्जेज किये हैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने जो जो सुझाव दिये हैं......

श्री अध्यक्ष : How you can enter by accident ? this is by law.

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि पहले एक प्रकार से यह बोर्ड इस तरह का बनता था कि जिसमें केवल खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं काम करने वाले लोग ही उसमें हुआ करते थे। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पालिसी को चेन्ज किया और अब मेजोरिटी बोर्ड के सदस्यों की ऐसी है जिनका ऐसी संस्थाओं से सम्बन्ध नहीं है। यह इस सदन की पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की मांग थी जिसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। इसी प्रकार फाइनेन्स एकाउन्ट के बारे में और फाइनेन्स के बारे में प्रोपर्ली कन्ट्रोल करने के लिए एक डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल की केडर का आदमी, एक एफ० ए० और सी० ए० चीफ एकाउन्ट्स आफिसर के रूप में खादी बोर्ड को दिया गया है। पहले ये दोनों ही काम सेक्रेटरी किया करता था। अब एक डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल की हैसियत का आदमी वहां पर रखा गया है जो इन सारी चीजों को देखता है। और, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आपकी मारफत सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने पेपर्स अब प्रोसेस होते हैं, वे सारे उन रूल्स और रेग्युलेशन्स की मारफत होते हैं और एफ० ए०, सी० ए० के अ० पास होते [redacted] र देखे कोई चीज नहीं जाती है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स ही नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : उसके बाद बोर्ड के अन्दर फाईनेन्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव हैं और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, और, अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मैं निवेदन करूं कि अब इस सदन के माननीय सदस्य भी बोर्ड में रखे गये हैं और विरोधी दल के सदस्य भी रखे गये हैं। नये सिरे से इस चीज को इन्ट्रोड्यूस किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : खादी पहनना शुरू कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : आप कर दें तो मैं वेलकम करूंगा। जो खादी के अन्दर विश्वास नहीं रखते हैं, मुझे उनको कुछ नहीं कहना है, मगर खादी के लिए जो भी सहायता दी जायगी उसका वेलकम किया जायगा, और माननीय सदस्य जो विरोधी दल के सदस्य हैं, अगर उसके अन्दर जो कुछ भी कन्ट्रीब्युशन कर सकें; तो उसका वेलकम किया जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान इन्डस्ट्रियली.......

श्री भैरोंसिंह : जो माननीय सदस्य खादी पहने हुए बिराजे हैं, अर्गोजीशन में.....

श्री हरिदेव जोशी : वे सदन के माननीय सदस्य हैं......

श्री रामकिशन : ये खादी नहीं पहनते हैं तो इन्होंने कहा कि अगर मुफ्त दिला दें तो खादी की आलोचना करना बन्द कर

(श्री राम किशन) [redacted] दूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे खेद है कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने सोसाइटीज जो खुद बुनकर चलाते हैं इनके बारे में जिन्होंने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक यहां पर भाषण दिया था वे मेरा उत्तर सुनने के लिए उपस्थित नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव के जुलाहे, गांव के खाती, गांव के सारे कातिन हैं उनके पास में इतनी जमीन नहीं है, इतना काम नहीं है कि वे पूरा समय देकर अपनी खती के अन्दर, पूरा उत्पादन करके अपने पेट को पूरा भर सकें। अगर कताई के काम के अन्दर बुनाई के काम के अन्दर या दूसरे किसी काम के अन्दर उनको लगाते हैं और चाहे नौमीनल पैसा लगाते हैं, मैं जानता हूं कि वह पैसा नौमीनल होता है बाज दफा। लेकिन जो इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटस हैं खादी के अन्दर जैसे कि टेक्सटूल तो उसके जरिये 2½-3 रुपया दिन का कमाया जा सकता है। अम्बर चरखा है तो उसके जरिये 3-4 रुपया कमाया जा सकता है, मगर कुछ ट्रेडीशनल चीजें हैं, उनसे कम होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आज राजस्थान के अन्दर बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चलने वाले चरखे को भी बन्द किया जाय। इसलिए जिन माननीय सदस्य ने खादी बोर्ड के बारे में यह कहा कि खादी बोर्ड को बन्द किया जाना चाहिए, मैं इस हद तक तो निश्चित रूप से उनसे सहमत हूं कि उसके अन्दर कहीं कोई बंगलिंग होता है, कहीं कोई गड़बड़ होती है, उसके अन्दर कहीं कोई पक्षपात होता है, पैसे का दुरुपयोग होता है तो उसके अन्दर किसी भी प्रकार से उसको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु आज राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी आबादी के अन्दर खादी के द्वारा, ग्रामोद्योगों के द्वारा लोगों को सबसिडी मिलती है अथवा उनको कोई रोजगार मिलता है तो वह खादी बोर्ड के जरिये ही मिलता है। दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया अथवा खादी कमीशन जो है वह खादी बोर्ड के मारफत देता है। इसलिए हमारे पास कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम उसको बन्द करते हैं तो इसके मायने यह है कि हम राजस्थान के अन्दर में जो इन बुनने वालों को, कातने वालों को यह सारा पैसा मिलता है उनको इससे डिप्राइव कर देंगे, इस सहायता के मिलने से और एक प्रकार से राजस्थान को इससे नुक्सान होगा। इसलिए मैंने यह निवेदन किया कि जहां पर कमजोरियां और गलतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, हर हालत में, यह मेरा निवेदन है।

श्री देवीदत्त गाडिया : ऐसा है कि कुछ विशेष व्यक्ति इस खादी ग्रामोद्योग के मामले में कुण्डली मारे हुए बैठे हैं और उसको सेन्ट्रलाइज कर लिया है तो आपसे निवेदन है कि इसका विस्तार रोकें।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक मैं इसके अन्दर नहीं गया था तब तक पूरा पता नहीं था कि कैसा उनके काम का सिलसिला है। जब तक अपन किसी चीज की विगत में जाकर समझने की कोशिश

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं करते हैं तब तक ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें इस प्रकार से हो रहा है, सैन्ट्रेलाइज कर लिया है अथवा यह हो गया है। खादी कमीशन ने बड़े बड़े संस्थानों को तोड़कर डिसेन्ट्रेलाइज किया है, जैसा उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि भरतपुर का जो संस्थान बना है जो कि खादी का काम करता है वह एक जमाने में चौमू का जो खादी संघ है, उसका एक अंग था। अब क्योंकि डिसेन्ट्रेलाइज किया गया है, इसलिए अलग संस्थान डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एसोसियेशन अथवा इन्स्टीट्यूशन्स बना कर उनको सब को डिसन्ट्रेलाइज किया गया है और अब उनका सीधा सम्बन्ध उन संस्थाओं से न होकर मातृ संस्था से हो गया है। इसलिए अगर कहीं कोई बात हो गई है, वह सही हो, लेकिन अब सारी संस्थाओं को अमुक समय के अन्दर डिसन्ट्रेलाइज किया जा रहा है प्रोगाम के अनुसार....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: डिस्ट्रिक्ट एसोसियेशन हैं, उनके अन्दर सदस्य जो मैनेजिंग कमेटी वगैरह के होंगे, वे अधिकतर सदस्य सेन्टर के हैं।

श्री हरिदेव जोशी: ऐसा नहीं है। मैंने निवेदन किया है कि पहले ऐसा था, किसी जमाने में था, पर आज ऐसा नहीं है अब बोर्ड के अन्दर मैजोरिटी उन लोगों की है जो किसी संस्था से सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि एम० एल० एज० हैं, एम० पी० हैं, अथवा दूसरे लोग हैं। इसलिए ऐसी चीज नहीं है। आपको और हमको जो नजदीक से [redacted] को देखने का अवसर है।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता था, रीजनल इम्बेलेन्स के सिलसिले में कुछ माननीय सदस्यों ने अमुक अमुक स्थान के इस उसकी बात कही थी। मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की भावना के प्रति सम्पूर्ण रूप से सहानुभूति रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने टेक्सटाइल मिल को अलवर में लगाने के लिए कहा था, और एप्लीकेशन दी थी और लाइसेन्स देने के लिए कहा था, उस सज्जन ने स्वयं एप्लाई किया कि अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस काम को वहां पर प्रारम्भ कर सकूं। इसलिये एप्लीकेशन रिमूव की गई। उसको उठा कर भीलवाड़ा या दूसरी जगह लेगया हो—ऐसी बात इसमें नहीं है। आज तो स्थिति यह है कि सीमेंट फैक्ट्री और 25 हजार स्पिन्डल्स मिल के लिए कोई लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं है। अब जो रूल्स बने हैं, जो अमेन्डेड रूल्स बने हैं, उनके अनुसार पोजीशन यह है कि कोई भी इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति यदि कोई टेक्सटाइल मिल लगाना चाहता है, पच्चीस हजार स्पिन्डल्स के लिए, तो लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं है। तो वह यह करने के लिए, वहां अपना काम शुरू कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई सीमेन्ट फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो सीमेन्ट फैक्ट्री as such के लिए कोई लाइसेन्स की जरूरत नहीं है। अलबत्ता मेजर मिनरल, लाइम स्टोन के लिए लाइसेन्स लेना पड़ेगा। उस दृष्टि से नई सीमेन्ट फैक्ट्री आगे आ रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फोरेन एक्सचेंज की मशीनरी वगैरह के लिए लो

(श्री रामानन्द [redacted] जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्लियेरेन्स लेना पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : वह अपने रूल्स से गाइड होता है। जहां तक किसी इन्डस्ट्री के लिए फोरिन एक्सचेंज की जरूरत है, तो वह उससे कंट्रोल होगा। जो लाइसेन्स लेने का सवाल है, उसका जो प्रोसीजर है....

श्री भैरोंसिह : कन्सेशन देने का सवाल है, वह तो मंत्री महोदय दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे बोल रहे हैं। आप आरम्भ रखिये।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें जो प्रोस्पेक्टिंग किया है, उसके आधार पर।

एक माननीय सदस्य ने नीम के थाने में सीमेन्ट की बात कही थी। जिस पार्टी ने नीम के थाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसी ने निम्बाहेड़ा के लिए भी एप्लीकेशन दी थी। हमने चाहा कि एक पार्टी दोनों की जगह, एक जगह काम शुरू करे क्योंकि वहां पर ड्राई प्रोसेसिंग है, नीम के थाने में, वहां ड्राई प्रोसेसिंग सिस्टम है और वहां वेट प्रोसेसिंग सिस्टम है। अब उन्होंने निम्बाहेड़ा के लिए पसन्द किया और निम्बाहेड़ा के लिए कहा, तो इनकी एप्लीकेशन ड्रॉप करके दूसरे ने जो एप्लीकेशन दी है, उसके लिए नीम के थाने के लिए कोशिश की जा रही है.....

एक माननीय सदस्य : मैं निवेदन करूं कि नीम के थाने के लिए मेरी जानकारी है। वहां पर सर्वे कराई गई है और सर्वेयर आये हैं उन्होंने इसको अनफिट कर दिया है कि यहां नहीं लग सकती।

श्री [redacted] जोशी : मेरी जानकारी इसके विपरीत है।

श्री भैरोंसिह : मेरी जानकारी है कि वहां जो लाइम स्टोन के कान्ट्रेक्टर हैं, वह नहीं चाहते कि यहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री चालू हो। अगर वहां फैक्ट्री चालू हो जायगी तो उनका स्फीअर खत्म हो जायगा।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मंत्री, यह जानकारी देंगे......

श्री हरिदेव जोशी : सीमेन्ट फैक्ट्री का क्षेत्र अलग है, वह डिमार्केटेड है और लाइम स्टोन का काम करते हैं उनका क्षेत्र अलग है और डिमार्केटेड है। इसमें कन्फ्लिक्ट आने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। मैं अध्यक्ष महोदय.....

श्री मदनसिंह दांता : मंत्री महोदय, वहां कोई लाइम स्टोन की फैक्ट्री है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐं ?

श्री मदनसिंह दांता : लाइम स्टोन की फैक्ट्री है क्या नीम के थाने में ?

श्री खेतसिंह : है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीजें पब्लिश्ड हैं कि वहां है कि नहीं है....

श्री मदनसिंह दांता : आपका कहने में क्या घटता है कि वहां है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह दांता : नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि वहां सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री भैरोंसिह : लाइम स्टोन है या नहीं— यह छोड़िये। आपको यह मालूम है कि लीज में कितना घोटाला हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी कोई चीज सामने नहीं है।

श्री भैरोंसिह : सामने नहीं है, रिपोर्ट में तो है।

श्री हरिदेव जोशी : होगी, मेरे सामने नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपके सामने तो माइक है।

श्री मदनसिंह दांता : वहां लाइम स्टोन फैक्ट्री है क्या? (विराम) नहीं, क्या मंत्री महोदय.....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय,......

श्री मदनसिंह दांता : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने भरतपुर साल्ट पिटर के लिए कुछ थोड़ी बात कही थी। उसके लिए ऑक्शन किया गया है और 19-1-62 से 31-3-65 के लिए लीज दी गई। उस लीज का उस पार्टी ने अपने ठेके के अनुसार पहले दूसरे वर्ष की रॉयल्टी की रकम थी, धीरे धीरे उस रकम को चुकाया और चुकाने के तीसरे वर्ष की शुरूआत में अथवा मुझे ठीक से तारीख याद नहीं, उसकी एक फैक्ट्री में आग लग गई, उसके कारण से उसको नुकसान हुआ और उसने अपनी लीज को सरेन्डर कर दिया। लीज को सरेन्ड [redacted] सको वजूहात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस सरेन्डर को एक्सेप्ट किया। उसके बाद में ऑक्शन हुआ, री-ऑक्शन हुआ और री-ऑक्शन के समय सेंटन सरकमस्टान्सेज हो सकती हैं, उसके आधार पर उद्योग था, वह नहीं होने के कारण, अथवा ठीक से नहीं कर पाने के कारण, लीज की रकम कम आयी। ऐसी सरकमसटान्सेज बन सकती है बेनिफीसियेशन प्लान्ट अमुक इन्डस्ट्री के लिए है, वह हटा दिया जाय तो उस एरिया में उस मिनरल की कीमत ज्यादा अथवा कम हो जायगी। मैं ऐसा समझता हूं, जैसा मेरी जानकारी में चीज है, उससे लगता है, उसकी कीमत में इसलिए कमी हुई क्योंकि बेनिफीसियेशन प्लान्ट बन्द हो गया था...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नहीं, ऐसा है, मैं आपके कथन के लिए यह तो नहीं कहता कि आपके लिए डिपार्टमेंट ने सूचना दी है वह वैसे ही देदी है। मैं निवेदन करूंगा कि 58 हजार पर लीज थी। पहले 58 हजार की लीज 18,300 की कैसे रह गई? इसमें क्या क्या घोटाले हुए— आप महरबानी करके इसकी जांच कर लें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है, वह मैंने निवेदन की और वह सूचना यह है कि जो बेनिफीसियेशन प्लान्ट था, उस प्लान्ट में आग लगने के कारण प्लान्ट जल गया। तब फिर जो मिनरल बेनिफीसियेट होता था, वह नहीं होने पा रहा था, इसलिए कम कीमत आई। आपने अभी कहा है कि कोई चीज ऐसी हुई है उसके लिए मैं उस फाइल को देखूंगा और फाइल देखने से अगर कोई ऐसी चीज लगी

(श्री हरिदेव [redacted]
तो उसमें एक्शन लिया जा सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी को स्पेअर नहीं किया जायगा ।

एक माननीय सदस्य ने जयपुर उद्योग लिमिटेड को नया एरिया देने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग लिमिटेड के पास जो एरिया वर्क करने को था, वह पुराने जयपुर स्टेट के जमाने से चला आ रहा था । उस एरिया का न तो प्रोस्पेक्टिंग हुआ था और न कोई प्रूव्ड डिपोजिट था। तो इस एरिया में इतना डिपोजिट्स है । आज विज्ञान की बढी चढ़ी स्थिति के कारण से जब किसी को कोई एरिया देते हैं, तो यह कह कर देते हैं कि अमुक कैपेसिटी के प्लांट के लिए अमुक वर्ष के काम करने के लिए, इसमें डिपोजिट है । मगर उस समय जो एरिया दिया गया, वह एरिया न तो प्रोस्पेक्टिंग हुवा था और न यह चीज थी कि इतना डिपाजिट है इसमें । कालान्तर में जाकर उसका डिपाजिट खत्म हो गया, माइन्स वर्टिकल हो गई । दूसरी चीज इसमें यह हुई कि तब राज्य सरकार को एप्रोच किया और कहा कि जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ सीमेन्ट था, वह घटता जा रहा है और लाइम स्टोन जितना मिलना चाहिए, वह नहीं रहा है । तो जब लाइम स्टोन कम हो गया और हर महीने उसका प्रोडक्शन गिरता गया

(5.28 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तब उनके कहने के आधार पर कि नया एरिया दे दिया जाय, यह चीज राज्य सरकार के समक्ष में नहीं आई, इसलिए पहले तो कुछ दिन तक उस पर विचार हुआ और फिर यह हुआ कि इसको एक्जामिन करा लिया जाय कि नया एरिया देना जरूरी है अथवा कहां क्या है ? इस चीज के होने पर उसने कहा कि तब तक तो प्रोडक्शन और बहुत गिरता जायगा और यह नेशनल इन्ट्रेस्ट में भी नहीं है कि सीमेन्ट जैसी चीज, जो आम लोगों के जरूरत की चीज है, उसका प्रोडक्शन इतना गिर जाय। और अगर ऐसे ही चला तो प्रोडक्शन आधा रह जायगा । तब यह तय हुआ कि उन्हें मेजर मिनरल के तौर पर नहीं, माइनर मिनरल के तौर पर, जब तक हम एक्जामिन न करलें और जब तक गवर्नमेंट सेटिसफाइड न हो जाय, तब तक माइनर मिनरल के तौर पर अमुक एरिया तत्काल काम करने के लिए दिया जाय । गवर्नमेंट ने उसको एक्जामिन किया और गवर्नमेंट सेटिसफाइड हो गई कि जो स्थितियां रहीं, चाहे उसके अन्दर गलती पुराने जमाने की राज्य सरकार की रही हो, चाहे गलती इन्डस्ट्रियलिस्ट की रही हो, कि उन्होंने प्रोसपेक्ट नहीं किया, आज यह चीज थी कि उसमें जितना चाहिए था उतना रा-मैटिरियल नहीं था और रा-मैटिरियल नहीं था तो लेबर और प्रोडक्शन प्रोबलम हो रही है ...

श्री भैरोंसिंह : फलौदी माइन्स में आज भी प्रोडक्शन के अन्दर कोई अफेक्ट नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : प्रोडक्शन आफ सीमेंट इटसेल्फ ?

श्री भैरोंसिंह : प्रोडक्शन आफ सीमेन्ट कभी नहीं गिरा है ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास फिगर्स हैं, डिपार्टमेंट ने इसको एक्जामिन किया

(श्री हरिदेव जोशी)

है । उस आधार पर गवर्नमेंट के सामने यह सवाल था, कि या तो इन्डस्ट्री धीरे धीरे बैठ जायगी या इन्डस्ट्री को माइनर मिनरल का एरिया दिया जाय जो उसकी नैसेसिटी के लिए नितान्त आवश्यक है । इसलिए मैं ऑफ हैंड तो नहीं कह सकता, लेकिन एक दो मील का नया एरिया दिया गया। वह इस शर्त पर कि पुराने एरिया में से उसी तादाद में वह सरेन्डर करेगा । और जिस पीरियड तक उसको एक्जामिन न करलें, तब तक माइनर मिनरल के तौर पर वह रायल्टी अदा करेगा इसेलिए इसमें कोइ ऐसी चीज नहीं थी जिससे यह समझा जावे कि उसमें पक्षपात किया गया है अथवा मिनिस्टरों के पास....

श्री भैरोंसिंह : आप बिल्डिंग स्टोन को देंगे या ऐसे को देंगे जो कोमर्शियल हो। यह माइनर मिनरल है....

श्री हरिदेव जोशी : अगर वह साधारण बिल्डिंग स्टोन के रूप में काम लिया जावे तो माइनर मिनरल है और अगर उसे सीमेन्ट बनाने के काम में लिया जाता है तो वह मेजर मिनरल है। मेजर के तौर पर काम में लिया जावेगा तो रोयल्टी कम होगी और माइनर में लिया जावे तो ज्यादा होगी क्योंकि इन्डस्ट्री में बहुत ज्यादा....

श्री भैरोंसिंह : जो पत्थर सीमेन्ट के काम में आता है, उसको आपने मेजर के रूप में लिया है और दूसरे जो लाइम स्टोन के रूप में काम में लेते हैं, उनको माइनर में।

श्री हरिदेव जोशी : सीमेन्ट मेजर इन्डस्ट्री है उसकी रोयल्टी मेजर के हिसाब से ली जाती है। लाइम स्टोन बहुत ही कम रायल्टी के आधार पर लिये जाते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा कि मेजर की रोयल्टी ज्यादा है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि मेजर की रोयल्टी कम है ।

लाइम की कम है और माइनर मिनरल की रोयल्टी ज्यादा है, इसलिये हमने इनटेरिम पीरियड के लिये बढ़ी हुई दरों पर दिया और जब एग्जामिन कर लिया तो मेजर......

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने पहले प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स नोमीनल फी 5 रु० पर दिये और हजारों टन उन्होंने बाहर निकाला है ।

श्री हरिदेव जोशी : यह संभव नहीं है कि जिसमें प्रोस्पेक्टिव लाइम स्टोन के लिये एक लाख और कितने हजार टन है जिसमें यह बात रहती है कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए इतना काम में ले लिया ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कदम उठाया गया है, वह जस्टीफाइड था और रीजनेबल था ।

श्री भैरोंसिंह : अब तो दे दिया है ।

श्री हरिदेव जोशी : काफी पहले दे दिया वह तो मैंने कहा है । इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है......

श्री भैरोंसिंह : जयपुर स्पिनिंग मिल बन्द पड़ा है, उसका क्या ? मैनेजर पैसे हजम करके बैठ गये ।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसी तरह धौलपुर वाला लाखों रुपये हजम कर गया ।

[redacted]

श्री हरिदेव जोशी : धौलपुर के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि अभी गवर्नमेन्ट के पास इसका केस आया है और अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उस पर कुछ कहूं और ठीक उसी प्रकार की बात मेवाड टैक्सटाइल मिल के बारे में है। जिस कानून के तहत उस मिल को गवर्नमेन्ट ने अपने कन्ट्रोल में लिया, उससे किसी को यह समझ कर नहीं चलना चाहिये कि उससे जो प्रोफिट होगा, वह गवर्नमेन्ट के रेवेन्यू में आता है। माननीय सदस्यों ने और खास कर आपने कहा कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि स्टेट एन्टरप्राइज में नुकसान होता है और दूसरी तरफ एक मिल गवर्नमेन्ट के पास आ गई है, उसको क्यों वापिस देते हैं। इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो आय होगी, वह स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड में आवेगी। गवर्नमेन्ट ने उसकी गिरती हुई स्थिति के कारण उसको एक अमुक अवधि के लिये लिया है और जब उसकी स्थिति ठीक हो जावेगी और गवर्नमेन्ट सेटिसफाइड हो जावेगी, तब उसको उसे वापिस देना ही है। इस सिलसिले में समझा जावे। यह फाइल जैसे ही न्यू गवर्नमेन्ट बनी, उसके बनने के दो तीन दिन बाद मेरे पास आई। उसको मैंने टर्न डाउन कर दिया क्योंकि जब तक उसको अच्छी तरह से समझें नहीं, क्या किया जाए? गवर्नमेन्ट ने लाखों रुपये की गारन्टी दी है। इन्डस्ट्रियलिस्ट को पूरा अधिकार है उसको वापिस लेने का, मगर जब इन्डस्ट्री अच्छी तरह से चल सकती है, यह विश्वास होने पर उसको वापिस दी जा सकती है। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि तब तक वापिस नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेन्ट सेटिसफाइड न हो।

श्री मुकटबिहारा लाल गोयल : जिस तरह से आप सेठों को शेड करते हैं, आपने कभी किसी किसान को भी मदद दी और उनके खेतों को भी जोता सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इसको आप कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछते तो वे आपको इसका उत्तर दे सकते थे।

श्री फतह सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ब्यावर में सीमेन्ट फक्ट्री की क्या प्रगति हो रही है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर, निम्बाहेडा और बूंदी में सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए मेरा ऐसा खयाल है कि ब्यावर और निम्बाहेडा में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी वर्ष में उसकी शुरुआत हो जाए। आबू रोड और बांसोडी में थोड़ा समय लग सकता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : सेठों का क्या हुआ, मैं यह पूछना चाहता हूं?

एक माननीय सदस्य : फर्टीलाइजर फैक्ट्री में जमीन पड़ी है, उसके लिए क्या हुआ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : माइका के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है।

श्री हरिदेव जोशी : यह माइका मिनरल है, उसके लिये अलग से एक्ट है और वह उससे गाइड होते हैं और वह पार्लियामेंट से पास होता है और वहीं से इसका संबंध है। मगर जितना हम कर सकते हैं, करेंगे।

दूसरी बात फर्टीलाइजर फैक्ट्री, कोटा में जमीन देने के बारे में कहा गया। जैसा, अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया था कि स्पीकर तत्कालीन थे उनके सामने वह फाइल रख

(श्री हरिदेव जोशी)

दी गई थी उसके बाद में उस कम्पनी ने फर्टीलाइजर फैक्ट्री नहीं लगाई और लगाने की कोई आशा भी नहीं रही इसलिए उसको जो जमीन का अलोटमेंट किया गया था वह आज से कई दिन पहले कैंसिल कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डी०सी०एम० और जालान्स दो थे।

श्री हरिदेव जोशी : जब ऐसा मालूम हुआ कि अब वह नहीं बना सकेगा तो उसे कितने ही रुपयों का अलोटमेंट किया गया था उसको कैंसिल कर दिया।

डी०सी०एम० की फर्टीलाइजर फैक्ट्री जल्दी से जल्दी हो जाएगी और काम शुरू हो जावेगा। हमें ऐसी आशा करनी चाहिए। केबल फैक्ट्री के बारे में एक प्रश्न आया था, उसका मैं जवाब दे चुका हूं। वह प्रेम केबल फैक्ट्री है। वह संस्थान कोटा में था उसको इलेक्ट्रिसिटी कम मिली। उसके आधार पर उसको दूसरी फैक्ट्री मद्रास में है, उसने उसको वह रा-मैटिरियल भेज दिया। जब इस बात का मालूम हुआ कि उसने रा-मैटिरियल बाहर भेज दिया है, तो हमने उसको ब्लेक लिस्ट करार दे दिया। मगर जब उसको मालूम हुआ कि उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया है तो तुरन्त उसने सारा माल वहां से वापिस मंगवा लिया और वह माल यहां पर आ गया। जब सारा मैटिरियल यहां आ गया तो यह एक्शन लिया गया।

मैं माननीय सदस्यों को एक संतोष और दिलाना चाहता हूं, यह धारणा है कि यहां बहुत ब्लेक मार्केट होता है, रा-मेटिरियल का और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छी अच्छी कम्पनियों को पुलिस के सुपुर्द किया गया है, उनके मा [redacted] महीने तक की सजाएं हुई हैं। 12-14 कम्पनियां हैं.....

श्री भैरोंसिंह : भरतपुर के आदमी को सजा हो, उसके अलावा एक भी आप बता दीजिये जिसको सजा हुई हो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसमें वह नहीं कहना चाहता। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि दो एक केसेज में जिनमें गवर्नमेंट को संतोष हो गया कि गडबडी की है तो यहां पर नहीं दे कर सीधा सी०आई०डी० के सुपुर्द कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : के० एल० जैन जिनके खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट है, उनको स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन का डायरेक्टर कैसे बनाया ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह विभाग अभी आया है, मेरी इतनी जानकारी नहीं है कि ऑफ हेंड कह सकूं। इसमें कट मोशन नहीं था जिसके लिये तैयार हो आता। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि गड़बड़ करने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो डिमाण्ड्स यहां सदन के सामने रखी गई हैं, उनको स्वीकार किया जाय।

श्री हीराभाई : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फरवरी से पहले लोहारिया में चूना फेक्ट्री लगाने का और ताम्बेसर में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने के लिए बांसवाडा में पूरा हल्ला किया था, वह स्टेन्ड बदल लिया है या उसकी पूर्ति करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : ताम्बेसर में मेंग्नीज है, सीमेन्ट फैक्ट्री का नहीं।

श्री हीराभाई : चु[redacted]ता खुला आश्वासन वहां के लोगों को दिया था, वह स्टेन्ड बदल दिया या उस रास्ते पर गाड़ी चलायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : वह तो चुनाव स्टन्ट ।

श्री उपाध्यक्ष : **मांगों पर मतदान**

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,81,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,91,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,69,70,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.45 म० प० पर दिनांक 10-6-67 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

———

परिशिष्ट 1

(कृपया प्रश्न संख्या 363 का उत्तर देखिये)

सूची (अ) तारांकित प्रश्न सं० 37-सा० नि० मं०

सूची (अ)

	नाम ठकेदार
मील सं० 0/0 से 4/0 ..	यह काम अकाल श्रम द्वारा कराया गया है।
4/0 से 12/0 ..	श्री रघुनाथ राम श्री मिश्रीलाल श्री जगदीश प्रसाद
12/0 से 19/0 ..	श्री पन्नालाल अग्रवाल मैसर्स लीलाधर ठेकेदार
19/0 से 26/0 ..	श्री पन्नालाल अग्रवाल।

परिशिष्ट 2

(कृपया प्रश्न संख्या 364 का उत्तर देखिये)

मान चित्र

नाम तहसील	चोरियां हुई अप्रेल, 1965	1966	1967
1. हिन्डौन	35	40	17
2. महुवा	36	28	4
3. टोडाभीम	19	12	2
4. गंगापुर	16	20	4
5. वामनवारा	7	7	3
6. नान्दोली	7	12	1
7. सवाई माधोपुर	17	30	13
8. वोंली	9	19	4
9. खण्डार	8	6	–
10. करोली	22	48	6
11. सपोटरा	16	25	5
योग ..	192	247	59

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 9 जून, 1967)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
5	अंतिम	ना दूं ।	सुना दूं ।
6	अंतिम से 3	नाचना के पास	नाचना
7	अंतिम से 9	कर्मचारियों का	कर्मचारियों की
9	5	दरों से	दरों के
24	4	आाडट-डोर	आउट-डोर
65	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव-1 जून, 1966-ध्यानकर्षण प्रस्ताव	स्थगन प्रस्ताद-9 जून, 1967-ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
66	अंतिम से 10	स्पष्टकीरण	स्पष्टीकरण
68	शीर्षक	अनुदान की मांगों	अनुदान की मांगों पर कटौती-प्रस्ताव
69	शीर्षक	–2 जून, 1967–	—9 जून, 1967—
71	अंतिम से 3	समितिक	समिति के
74	14	मुख्य शर्षक 85	मुख्य शीर्षक 35–
76	20	चार्चा	चर्चा
80	12	शोर्षक	शीर्षक
80	13	100) 0	100) रु०
81	3	उद्याग	उद्योग
86	8	को	को
87	अंतिम	इन्डस्ट्रीस्ज	इन्डस्ट्रीज
89	11	डे लपमेंट	डेवलपमेन्ट
97	8,9,10,14,17, 29,31 व 34	कॉंग्रेस	कॉंग्रेस
99	अंतिम से 10	वचारार्थ	विचारार्थ
100	अंतिम से 2	परन्त	परन्तु
104	अंतिम से 13	उपाध्याक्ष	उपाध्यक्ष
104	अंतिम से 3	श्री मुकटबिहारी लाल गोयल	श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल
105	16	गवं	गर्व
105	अंतिम से 3	फेजड्	फेज्ड
105	अंतिम	꠰ च्छे	अच्छे
109	12	उद्योग ओर	उद्योग और
111	4	आज जो	आज वो
116	अंतिम से 4	सहने	सहन
117	1	कारखान	कारखाने
117	1	7.8	7-8

शुद्धि-पत्र

1	2	3	4
117	अंतिम	समाप्‍	समाप्त
118	5,11,15	रां-मेटीरियल	रॉ-मेटीरियल
119	6	श्रो दवीदत्त गाड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
121	अंतिम	तो मझे	तो मुझे
123	अंतिम से 4	मालम पड़ा	मालूम पड़ा
126	अंतिम से 8	बोर में	बारे में
128	अंतिम से 5	को काम	को काम
129	19	यदि अपको	यदि आपको
134	9	मे	में
177	2	सांगानेर	सांगानेर
177	6	छोट छोट	छोटे छोटे
177	14	ह	है
180	अंतिम से 2	नर्जी	इनर्जी
181	अंतिम से 5	सापन	सामने
183	अंतिम से 8	मने भी	मैंने भी
187	19	और आ	और
190	18	सम्बन्ध थी	सम्बन्ध था
191	9	सभानत्री	सभानेत्री
192	अंतिम से 7	श्रोमती समापति	श्रीमती सभानेत्री
192	अंतिम से 6	श्री देवालाल	श्री देवीलाल
193	अंतिम से 1	खान ह	खान है
193	अंतिम	मे ही	ऐसे ही
194	15	होती ह	होती हैं
195	16, 23	प्लाट	प्लांट
200	13	वहां क	वहां के
201	6	श्री नाथलाल	श्री नाथूराम
201	18	बजान पर	बजाने पर
202	5	श्री नाथुराम	श्री नाथूराम
202	अंतिम से 7	क्षत्र में	क्षेत्र में
203	अंतिम से 6	म	में
207	1	चष्टा	चेष्टा
207	13	उपक्षित	उपेक्षित
208	अंतिम से 7	आपक	आपके
215	अंतिम से 13	कर दिय	कर दिया
223	1	उद्योग बड़	उद्योग बड़े
225	अंतिम से 6	आपक	आपके
226	अंतिम से 8	हनमानगढ़	हनुमानगढ़
226	अंतिम से 7	फक्ट्री	फेक्ट्री
232	10	रिशयन	रशियन
240	अंतिम से 11	पत्थर है है	पत्थर है

शुद्धि-पत्र

1	2	3	4
243	12	में कितना	में कितने
245	15	बजरा	बजरी
251	1	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
251	अंतिम	हैं जसे	हैं जैसे
252	अंतिम से 3	चयरमेन	चेयरमेन
255	12	खती	खेती
257	अंतिम से 2	ूसरे	दूसरे